BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI OA NO.276 OF 2013

IN THE MATTER OF:-ASHWANI KUMAR DUBEY

APPLICANT

RESPONDENTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

INDEX S.No **Particulars** Page No. 1. **REPORT OF CORE COMMITTEE FOR MONITORING OF** POTENTIAL HAZARDS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN SINGRAULI AREA IN COMPLIANCE OF HON'BLE NGT ORDER DATED 06.12.2017 FILED BY CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD 2. ANNEXURE-I: HON'BLE NGT ORDER DATED 06.12.2017 74-29 3. ANNEXURE-II: HON'BLE NGT ORDER DATED 25.08.2014 30-34 4. ANNEXURE-III REPRESENTATIONS GIVEN BY 35-103 RESIDENTS, GRAM PANCHAYATS AND PATRAKAR UNION Prov of Service ς. 104

NAZIMUDDIN SCIENTIST 'E' CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD EAST ARJUN NAGAR, DELHI

DATED: 27.03.2018 PLACE: DELHI

 \mathcal{O}

REPORT OF THE CORE COMMITTEE [CONSTITUTED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI FOR "MONITORING OF POTENTIAL HAZARDS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN SINGRAULI AREA]

IN COMPLIANCE TO THE ORDER OF THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL DATED DECEMBER 06, 2017

[In the Matter of OA No. 276 of 2013 & M.A. No. 59 of 2014 in O.A. No. 20 of 2014]

FEBRUARY, 2018

Order of The National Green Tribunal

÷.

The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in its order of December 06, 2017 **(Annexure1)**, directed the Core Committee **(Annexure 2)** to conduct a fresh inspection within four weeks from the date of passing the order of all the industries located in the area in question as well as localities around those industries. The Core Committee shall also examine whether the recommendations made by the Committee already in its report dated 14-02-2014, 07-07-2014 and 20-08-2015 have been implemented or not and how they need to be. If any stakeholder is to be found deficient in compliance in taking action, what action should be taken against that industries or authorities or State Government for that default.

Further, the NGT had constituted two separate Supervisory Committees for appropriate implementation of the recommendations made by the Core Committee in their reports and these committees in their respective States shall be responsible for implementation of those directions. Committee shall consist of the following in each State:-

- i) Secretary Environment of the respective States
- ii) Member Secretary of the Pollution Control Board of the concerned States
- iii) District Magistrate of the concerned district who shall be conveners of the meeting.
- iv) Zila Panchyat Adyayksh of the District in which the village falls inspection of which is being conducted by the Team.
- v) Nominee of the Mayor in the case of Urban areas.
- vi) Senior Officer from the Coal Mine Department of the States

As per the Order, these Supervisory Committees shall perform dual functions, namely, of supervision of the implementation and recommendations issued by the Core Committee and provide suggestion to the Core Committee such further steps that have to be taken in the interest of environment, ecology and public health.

The Supervisory Committees shall submit monthly reports to the Core Committee and the Core Committee, in turn, shall submit reports to the Tribunal every three months.

The NGT has further directed the Member Secretary of the respective State Pollution Control Boards (SPCBs), the District Magistrate of the concerned district and the Director/Partner/Executive Officer of the industry / thermal power plant to ensure that :

- every village in the region of Singrauli region including coal mining area is provided with an RO plant and if the population of the village so demands at least two or even more plants shall be provided in that village to ensure that residents of the village get potable water for drinking purposes at any cost,
- all the industries shall be liable to bear the cost in discharge of their corporate social responsibility as well as on the fact that the existing pollution is attributable to them in one way or the other. The Principle of Polluter Pays has to be invoked wherever applicable

Since this region falls both in the State of Uttar Pradesh and in the State of Madhya Pradesh, both the State Pollution Control Boards along with the Departments of Environment of the State Government shall fix on-line air monitoring system. They shall also ensure that water quality monitoring system is also provided wherever the water body or the river is there near to village/ industrial complexes etc.

NGT further orders directs The and that Core Committee, upon recommendations of the Supervisory Committee, may consider and providing of further time for compliance or directions provided that it is shown that effective steps have already been taken by the industries and they are in the process of compliance of the directions may be like installation of ETP or any other antipollution devises that has been recommended or directed. For installation of RO plant, land would be provided by the Government/Gram Panchayat and entire cost for installation or maintenance would be borne by the industries. Further, the Supervisory Committee would be at liberty to take input/advise or opinion of any authority or body including Director General of Mines Safety.

According to this Order, all the stone crushers which are operating in these regions without obtaining consent of the Board and permission from the competent authority shall be shut down without further notice. The stone crusher which are permitted to operate would also be responsible for installation of RO system at the place where there are number of stone crushers running and they would be guided by the same directions as has been provided to the industries.

Status of Compliance of the Recommendations made by the Core Committee in its Report submitted on July 2015, based on the discussion and field visits held on January 8 and 9, 2018

For restoration of the environment and the prevention of pollution in the Singrauli area (both Uttar Pradesh & Madhya Pradesh), the Core Committee, based on the interaction with the people and the observations and findings during the field visit, and the conclusions drawn by the respective Sub-Committees, made the following Industry/ Institution-specific recommendations in its Final Report submitted to the NGT, New Delhi on July 2015 which are

documented hereunder along with the status of compliance documented while carrying out a fresh investigation on January 8 and 9, 2018 pursuant to the Hon'ble NGT order dated December 6,2017.

1. Thermal Power Plants

1.1 **Recommendation:** Anpara (A&B) and Obra Thermal Power Plants of Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (UPRVUNL) & Anpara C Thermal Power Plant of M/s Lanco Power shall complete their ash water recirculation system (AWRS) and stop discharge of ash pond overflow in Rihand reservoir.

Status of Compliance: AWRSs have been installed and are functional.

1.2 **Recommendation:** All Thermal Power Plants in Sonebhadra and Singrauli Districts shall submit a road map and make all out efforts to achieve target of flyash utilization as per the Notification of 2009. If needed, the plants shall install their own brick and block manufacturing units at suitable sites and these bricks/blocks shall be made mandatory to be used in the buildings and other construction activities by the District Administration/State Government within a 200 km radius of the plants. The state Government may declare a utilization zone for such purpose. The plants shall submit quarterly compliance report to the concerned State Pollution Control Boards.

Status of Compliance: Though the Plants have installed their own brick and block manufacturing units, there bricks and blocks are being used captively and District Administration/State Government is yet to declare the area as a utilization zone where fly ash/bottom ash derived bricks/blocks are made mandatory to be used in the buildings and other construction activities._It is gathered that there are few brick making units which are mixing soil with fly ash to make bricks. It shall be ensured that at least 25% of flyash shall be mixed in making clay bricks within 100 Km radius of thermal power plants, otherwise it will be in contravention to the Fly ash Notification 2009 issued by the MoEF&CC, New Delhi. The status of flyash utilization during 2016-17 in thermal power plants located in the Singrauli area is given as under:

SI. No.	Name of TPS	Capac- ity (MW)	Coal Con- sumption (MT)	Total Ash Gen. (MT)	Total Ash Utiliza- tion (MT)	% Ash Utiliza- tion in 2016-17
1.	Vin- dhyachal, NTPC	4760	21.86	7.639	1.796	23.51%
2.	Singrauli, NTPC	2000	10.46	3.677	0.334	9.09%
3.	Rihand, NTPC	3000	14.47	4.854	0.751	15.47%

4.	Obra A&B, UPVUNL	1288	3.25	1.384	0.383	27.65%
5.	Anpara C, Lanco Power	1200	5.59	1.947	0.158	8.11%
6.	Anpara, UPVUNL	2630	10.75	4.03	0.03	0.75%

Flyash utilization is far from the targeted 100% ash utilization. As per the provisions of the Notification of 2009, 25% percent of fly ash should be utilized along with Over Burden (OB) generated in the mines of NCL. During the discussion with the Core Committee, NCL stated that the concerned DGMS had not permitted for the afore referred utilization as the same is not safe and suitable for a working mine and, therefore, the recommendation made by the Core Committee in their final report could not be complied with. However no documents from DGMS in this regard were placed before the Core Committee. The possibility of using Gorbi Mines, abandoned one, is being considered.

1.3 Recommendation: All Thermal Power Plants in Sonebhadra and Singrauli Districts shall be supplied with and use coal not containing ash content more than 34% on quarterly average basis as stipulated vide Notification No. GSR 02 (E) dated January 02, 2014.

Status of Compliance: It could be gathered during discussion that this norm of ash content equal to or below 34 percent is not strictly complied with by the NCL and ash content is going as high as 40 percent was reported.

1.4 **Recommendation:** Shaktinagar, Rihand, Vindhyachal Thermal Power Plants of NTPC Ltd. and Anpara (A&B) and Obra Thermal Power Plants of UPRVUNL shall install and renovate Electrostatic Precipitators to achieve emission limit of 100 mg/Nm³ as per the long-term action plan prepared under CEPI programme for improvement of air quality of Singrauli area.

Status of Compliance: The Committee was informed during discussion that Shaktinagar, Rihand, Vindhyachal Thermal Power Plants of NTPC Ltd. and Anpara (A&B) and Obra Thermal Power Plants of UPRVUNL have installed/renovated their Electrostatic Precipitators with online monitoring systems. Power Plant wise status of installation/renovation of Electrostatic Precipitators is given as under:

Sr. No.	Name of Plant	ESP upgradation status
1	NTPC ShaktiNagar,UP	R&M of ESPs in progress to meet emission limit of 100mg/Nm ³ . Work completed in two passes of unit Nos 1,3,4 & 5, whereas one pass completed in unit Nos 2,6 & 7. The work in unit Nos 2, 6 & 7

		will be completed by March 2019.
2	NTPC, Rihand, UP	ESP upgradation in stage 1 units completed in June 2016 and claiming to maintain emission level below 100 mg/Nm ³ . Emission from Stage II & II units are reported to be within the limit of 100 mg/Nm ³ .
3	Anpara A & B, UPRVUNL, UP	Feasibility study for upgradation of ESPs is being carried out through NTPC Ltd. No firm time line is given
4	Obra, UPRVUNL, UP	Unit 1-8 phased out. ESP upgradation completed in unit 9-11, work in in unit 12 to be completed by June 2018. Unit 13 will be taken up for R&M after completion unit 12 and likely to be completed in 2019.
5.	NTPC, Vindhyachal, MP	R&M of ESPs in progress to meet emission limit of 100mg/Nm ³ . Work completed in three passes out of four in unit Nos 1-6 of Stage I whereas work completed in both units (7 & 8) of Stage II. The work in remaining passes of unit 1-6 will be completed by March 2018.

1.5 Recommendation: Shaktinagar Super Thermal Power Plant of NTPC Ltd. shall stop discharge of sewage into Ballia Nallah with immediate effect. The sewage from the plant should be treated to meet the statutory requirements for recycle and reuse, for gainful purposes such as gardening.

Status of Compliance: Shaktinagar Super Thermal Power Plant of NTPC Ltd. has installed STP and is utilizing treated sewage for gardening though the possibility of discharge of untreated sewage into Ballia Nallah from time to time cannot be completely ruled out.

1.6 Recommendation: Captive Power Plant (Renusagar Power Company) of M/s Hindalco Industries Ltd. shall commission Pipe Conveyor System for transportation of coal from Krishanshila Coal Mine of NCL to Renusagar Power Company within a month and shall immediately stop transportation of coal by trucks thereafter.

Status of Compliance: Captive Power Plant (Renusagar Power Company) of M/s Hindalco Industries Ltd. has commissioned Pipe Conveyor System for transportation of coal from Krishanshila Coal Mine of NCL to Renusagar Power Company, which is at present functional. However, transportation of coal in open trucks is continued unabated, thereby defying the very purpose of installation of the Pipe Conveyor System. Further, the residents in the concerned area complained about severe noise pollution caused by the prevailing coal transportation system.

1.7 Recommendation: The hazardous waste generated from the power plants shall be disposed off through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste . The plants shall obtained authorization for the same from the

concerned State Pollution Control Boards under the Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

Status of Compliance: All the power plants stated that the Authorization from the concerned State Pollution Control Boards was obtained for hazardous waste management and all the concerned plants are disposing off their hazardous wastes through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste in accordance with the provisions made in the Hazardous Waste Rules, 2016. The same was endorsed by the concerned State Pollution Control Boards.

2 Aluminum Smelter: M/s Hindalco Industries, Renukoot

2.1 Recommendation: Industry shall achieve emission limit of 50 mg/Nm³ for particulate matter in respect of Baking furnace No. 3 & 4. The emission from baking furnace No. 5 should also be limited to 50 mg/Nm³.

Status of Compliance: The UP State Pollution Control Board has endorsed that M/s Hindalco Industries at Renukoot has achieved emission limit of 50 mg/Nm³ for particulate matter in respect of Baking furnace Nos. 3, 4 and 5.

2.2 **Recommendation:** Industry shall ensure that no red mud is leached out to ground water during monsoon and post monsoon period. Besides, industry shall facilitate utilization of Red Mud in nearby cement industries. The industry shall also explore the possibility of extraction of titanium and other heavy metals from the Red Mud.

Status of Compliance: The satellite imagery of the concerned area shows that the red mud disposal area is vast. The field visit has revealed that the number of piezometers installed in the area is far from adequate in monitoring ground water pollution and a massive monitoring network system has to be installed for this purpose.

The industry has taken initiative on red mud utilization in nearby cement industry though this initiative helps in utilizing a fraction of red mud generated per day. The industry is yet to take initiative to explore the possibility of extraction of titanium, while it could successfully extract vanadium from the red mud.

2.3 **Recommendation:** Industry shall submit an action plan by October 31, 2015 to achieve zero discharge of waste water by December 31, 2016.

Status of Compliance: The Core Committee was informed that the industry has taken a zero waste water discharge initiative though no such action plan could be provided to the Committee.

2.4 **Recommendation: The hazardous waste generated from the industry shall**

be disposed off through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste. The industry shall obtain authorization for the same from the concerned State Pollution Control Boards under the Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

Status of Compliance: The Industry stated that it had obtained the Authorization from the concerned State Pollution Control Board for hazardous waste management and are disposing off its hazardous wastes through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste in accordance with the provisions made in the Hazardous Waste Rules, 2016. It was endorsed by the UP State Pollution Control Board.

3. M/s Aditya Birla Chemicals, Renukoot

3.1 **Recommendation:** Industry shall ensure installation and proper operation of effluent treatment plant so as to ensure the compliance of the effluent discharge standard. The industry shall also ensure that no untreated/improperly treated effluent finds its way in to the Nallah leading to the Rihand Reservoir.

Status of Compliance: The industry has installed membrane reactor to recover water from the waste water for recycle followed by multiple effect evaporators to handle the membrane reactor rejects with the aim of achieving zero liquid discharge. The salt is destined for disposal in a secured land fill, while possibilities are being explored for in-plant utilization for the waste derived salt.

The industry has installed STP, but the treated effluent was seen discharged into a channel leading to Rihand Reservoir.

3.2 **Recommendation:** Industry shall submit an action plan within one month so as to achieve zero discharge of waste water by July 31, 2016.

Status of Compliance: The action plan implemented by the industry as could be seen from the Status of Compliance (1) is partial. Plan needs to be prepared for the treated sewage which is being discharged and not utilized in the process plant after necessary renovation.

3.3. **Recommendation:** The industry shall obtain authorization for the same from the concerned State Pollution Control Boards under Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016

Status of Compliance: The Industry stated that it had obtained the Authorization from the concerned State Pollution Control Boards for hazardous waste management and are disposing off its hazardous wastes through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste in accordance with the

provisions made in the Hazardous Waste Rules,2016. The same was endorsed by the UP State Pollution Control Board.

However, storage of mercury bearing brine sludge and the muck contaminated with chlorinated chemicals inside the premises is not permitted in the industry's premises by the prevailing Hazardous Waste Management Rules, 2016 and, therefore, these wastes are to be shifted to a suitable TSDF immediately without any further delay.

4. M/s Northern Coalfields Limited (NCL)

4.1 **Recommendation : T**hat all the coal mines of NCL in Singrauli area shall ensure that their waste water from different processes is integrated and subjected to treatment in the effluent treatment plant. Entire treated effluent shall be reused in the dust suppression on haul roads, irrigation on mine overburden and other associated operations which shall eventually result in zero discharge of waste water from the coal mines.

Status of Compliance: The Core Committee was informed that all the coal mines of NCL in Singrauli area has ensured that their waste waters from different processes are integrated and subjected to treatment in the effluent treatment plant. Entire treated effluent is being reused in the dust suppression on haul roads, irrigation on mine overburden and other associated operations which eventually results in zero discharge of waste water from the coal mines

4.2 Recommendation: Coal mines of NCL should use 25% fly ash from thermal power plants on volume to volume basis for external dump of overburden and also 25% of the over burden in the upper benches of back filling of exhausted pits of all open cast mines of NCL under the guidance of DGMS as per Notification dated November 03, 2009. Further, the external dump and exhausted pits should be scientifically reclaimed using suitable biological and engineering measures.

Status of Compliance: The Core Committee noted that as per the provisions of the Notification of 2009, 25% percent of fly ash should be utilized along with Over Burden (OB) generated in the mines of NCL. During the discussion with the Core Committee, NCL stated that the concerned DGMS had not permitted them for the afore referred utilization as the same is not safe and suitable for a working mine and, therefore, the recommendation made by the Core Committee in their final report could not be complied with. However, no documents from DGMS in this regard were placed before the Core Committee. It was also brought to the notice that in a meeting taken by Chief Secretary Govt of MP on 16-10-15, NCL has informed that work order for the study of mixing of fly ash has been awarded to CMPDI. The report was required to be submitted with in 3 month's time to MPPCB, which has not been submitted by NCL so far even after more than 2 years. Similarly, Gorbi Mine of the NCL which has been abandoned since 1996, and which is filled with acidic water, is not being

provided to NTPC for back filling with fly ash. The core committee is satisfied that NCL is not taking seriously the recommendations of the core committee or the provisions of Fly ash Notification. The core committee recommends that NCL shall produce relevant findings of DGMS as well as CMPDI within 6 weeks and also sign MOU with NTPC for the disposal of flyash in Gorbi Mines with in 8 weeks. The external dump is being scientifically reclaimed using suitable phytorestoration and engineering measures.

4.3 **Recommendation :** The coal mines of NCL shall ensure the compliance of the Notification of 2014 on the supply and use of beneficiated coal to thermal power plants in the Singrauli area.

Status of Compliance : It could be gathered during discussion that this norm of ash content equal to or below 34 percent is not strictly complied with by the NCL and ash content is going as high as 40 percent and beyond .Coal beneficiation is, therefore required to obtain coal with ash percentage less than 34%.

4.4 Recommendation: The coal mines shall ensure that transportation of coal shall only be either by railway wagons or by the dedicated conveyor system. No transportation of coal shall be permitted by road to any of the industries in the Singrauli area.

Status of Compliance : Although transportation of coal is being carried out by railway wagons and by the dedicated conveyor system, transportation of coal in open trucks is carried out in good number for users other than the thermal power plants resulting in pollution. It has been observed during visit that the coal is transported from Gorbi Block B mine and Jayant Mine of NCL to the Morba Railway siding in MP causing pollution. It was informed that the railway track laying Gorbi Block B mine of NCL to the Morba Railway siding in MP is in final phase and is obstructed due to some local issues. The district administration should sort out the local problems at the earliest so that the road transportation of coal from Gorbi Block B can be stopped immediately. Similarly, the Jayant mine shall either install a coal conveyor system up to Morba railway siding, or should increase the coal handling and storing capacity in the mine premises, so that the coal can be loaded in railway wagons from the mine itself, thereby avoiding its road transportation up to Morba railway siding. The control of dust during coal loading / unloading at Morba and other railway sidings shall be undertaken as per the CPCB guidelines and the concerned Railway Department / Zone shall also take necessary measures of dust control at the railway sidings.

4.5 Recommendation : The hazardous waste generated from the coal mines shall dispose off through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste . The coal mines shall obtain authorization for the same from the concerned State Pollution Control Boards under Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

Status of Compliance : All the coal mines stated that the Authorizations

from the concerned State Pollution Control Boards were obtained for hazardous waste management and all the concerned mines are disposing off their hazardous wastes through either authorized Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) or registered recyclers/users of the hazardous waste in accordance with the provisions made in the Hazardous Waste Rules, 2016. It was also confirmed by the concerned State Pollution Control Board.

5.0 Stone crushers

5.1 **Recommendation:** All stone crushers which operate without effective dust suppression system and without the consent of the concerned SPCB shall be closed forthwith. Feasibility should be assessed for providing wind breaking walls towards upwind direction to prevent dispersion of fugitive dust.

Status of Compliance: The concerned State Pollution Control Boards have stated that all operating stone crushers in the states of UP and MP are having consents. The crushers which are located in MP, are not in clusters, but are isolated and minimum 25-30 Kms from the designated Critically Polluted Area (CPA) of MP. However, big cluster (s) of stone crushers exist/s in Dist Sone Bhadra,UP at (Dala, Obra & Markundi area). The State Pollution Control Boards have assessed the feasibility for providing wind breaking walls towards upwind direction to prevent dispersion of fugitive dust. The results were found to be far from satisfactory and air pollution near stone crushers/stone crusher clusters at Dala, Dist. Sonebhadra was high during the inspection.

5.2 **Recommendation :** The concerned State Pollution Control Boards, in consultation with the Central Pollution Control Board, shall also look into the ambient air quality of the area in the 500 m zone from the crushers and suggest and enforce such measures as may be necessary to reduce the fugitive dust emission from the crushers. If necessary, the dust emission norms/ norms for the ambient air quality in the immediate vicinity of the crushers shall be reviewed and made more stringent.

Status of Compliance: The Core Committee, during the field visit, found the status of pollution in the cluster of stone crushers in UP at an unacceptable levels even after adopting all possible mitigation measures (Photograph I).

6. Pollution Control Boards and MoEF & CC

6.1 **Recommendation:** The expansion of the existing industries and permission for installation of new industries should only be considered after ensuring that the cumulative impact of emissions and effluents on ambient air and water quality of the area shall not exceed the prescribed

limits.

Status of Compliance: The regional carrying capacity of the entire Singrauli region is to be assessed before any expansion scheme with respect to the existing industries. This assessment is the prerequisite for such consideration in future.

6.2 Recommendation: The UP & MP Pollution Control Boards shall ensure the implementation of Action Plan formulated in their respective areas under Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) Programme. Besides, SPCBs shall ensure compliance with respect to emission, effluent and solid waste management by the industries and submit a progress report to the Regional Office of MoEF & CC and CPCB regularly.

Status of Compliance: The Core Committee was informed that necessary compliance had been made by the concerned State Pollution Control Boards.

6.3 **Recommendation:** That industries shall provide on-line monitoring systems for emissions and effluent discharge and the data generated shall be transferred to respective SPCB and the CPCB on continuing basis.

Status of Compliance: The Core Committee was informed that all the major stacks are being continuously monitored and these are linked with the CPCB/SPCB network. Effluent discharges from the industries are monitored once a month.

6.4 **Recommendation:** The existing network of monitoring system for AAQ monitoring in both the districts of UP & MP need to strengthened and expanded to get representative air quality status of Singrauli area. Industries in the area should install at least three continuous ambient air quality monitoring stations within six months on **"Polluter Pays Principle"** at such locations as may be decided by CPCB in consultation with the respective SPCBs. The data generated should be transferred to SPCBs and CPCB on continuing basis.

Status of Compliance : The Core Committee was informed that 11 number of online continuous ambient air quality monitoring stations have been installed at Rihand (02), Shakinagr (03), Vindhyachal (04), Renusagar (01) & Anpara (01) locations in Singrauli area (UP & MP) which are now linked to the CPCB/SPCB network.

6.5 Recommendation : The levels of mercury in ambient and ground and surface water is reported to be one of the major problems in Singrauli area. Therefore, it is essential that at least three continuous monitoring systems for mercury (Hg) monitoring in the ambient air and surface and ground water should be installed (covering both the Districts of UP & MP) at suitable locations in the Singrauli area by the industries on "Polluter Pays Principle". CPCB in consultation with the SPCBs shall guide the industries in the location of the monitoring stations.

Status of Compliance : Monitoring of mercury in ambient air as well as in surface and ground water is not being monitored on a continuous basis.

7. District Administration of respective States

7.1 **Recommendation:** Poor road conditions in the area are also one of the major sources of pollution. It is, therefore, recommended that the respective State Governments should take immediate measures to improve the road conditions in the area in a time-bound manner and ensure the regular maintenance of the roads.

Status of Compliance : It has come to the notice of the Core Committee that the Awdi-Shaktinagar Marg and Singrauli-Awdi -Dibulgunj Marg are extensively used for heavy traffic and for clandestine coal transport leading to dust pollution. Further, the dense population which residing along these roads are severely affected by dust and noise pollution. Road conditions improved ,but constant maintenance is not ensured leading to damage to roads used by heavy trucks.

7.2 **Recommendation:** Fluoride affected villages must be supplied with safe drinking water (RO treated water) under the supervision of the District Administration. All the tube wells supplying contaminated water should install SIGN BOARDS informing public not to use the tube well water for drinking purposes. The concerned Departments (Irrigation/ Jal Nigam) of the State Administration should submit a compliance report to Regional Office of MoEF & CC every month. The maintenance of these RO systems along with education of residents about proper method and benefits of RO water shall also be ensured.

Status of Compliance: It has come to the notice of the Core Committee that some industries have installed RO plants in the fluoride affected villages, though the required number of such plants is still high. A sign board informing public not to use the tube well for drinking purposes in Kusumaha village was seen. During meeting with the villagers, it was revealed that they are aware of the benefits of RO water and happy to use RO water.

7.3 **Recommendation:** The concerned Departments (Irrigation/ Jal Nigam) of the State Administration shall also ensure proper disposal of the RO rejects, so as not to affect the ground water and surface water streams and the soil of the area.

Status of Compliance: The Core Committee found during the field visit that there is no strategy for disposal of the RO rejects in an environmentally friendly manner. Such a situation is encouraging dumping of RO rejects which adversely affect nearby land as well as water resources.

7.4 **Recommendation:** As the patients with clinical manifestations suggestive of fluorosis were also noted to have severe malnutrition. Therefore, mineral and nutrient supplements for these areas should be ensured by the District Administration.

Status of Compliance : The Core Committee learned that mineral and nutrient supplements for these areas are not provided by the District Administration.

7.5 **Recommendation :**The patients with clinical manifestations suggestive of fluorosis must be monitored for their health through a scientific plan of periodic checkup as recommended by KGMU, AIIMS, Bhopal and IMS, BHU. Dental as well as bone fluorosis can be improved, if detected in the early stage.

Status of Compliance :The Core Committee learned that health monitoring of fluorosis affected population is not being systematically carried out with periodic check-up as recommended by KGMU, AIIMS, Bhopal and IMS, BHU.

7.6 **Recommendation :** Considering the reports of the clinical examination and recommendations by the Sub-Committee on Health, it is essential that a Standard Toxicological Testing and Analysis Laboratory should be established in the region.

Status of Compliance : The Core Committee did not find any initiative taken by the District Administration with a view to establishing a Standard Toxicological Testing and Analysis Laboratory to cater to the needs of the Singrauli region.

7.7 **Recommendation:** There is a need to train Health care workers including Doctors for identifying the sources of diseases due to fluoride/mercury emission/discharge and treating the affected patients. Therefore, Training Centers can be established in KGMU, Lucknow and AIIMS, Bhopal for such a purpose.

Status of Compliance : The proposed Training Centers are yet to be established for identifying the sources of diseases due to fluoride/mercury emission/discharge and treating the affected patients.

7.8 **Recommendation:** There are a number of health related issues like silicosis, fluorosis, and the impact of mercury on the people in the area, which need to be examined in detail. Therefore, a long-term project needs to be planned with proper funding and adequate manpower under **"Polluter Pays Principle"** for estimating the magnitude of health related problem in the area.

Status of Compliance: The District Administration is yet to identify longterm project needs with proper funding and adequate manpower under "**Polluter Pays Principle**" for estimating the magnitude of health related problem with special reference to silicosis, fluorosis, and the impact of heavy metals such as mercury on the people in the area.

Issues raised by residents/ NGO /activists/ media

The Core Committee received representations from residents of Shonbhadra district, NGO and Press. The representations given by the residents, Gram panchayats and Patrakar Union placed at **Annexure III.** The issues highlighted through these representations are summarized as under:

- Pollution in Singrauli area due to inadequate management of fly ash and red mud.
- Sewage contamination in Balliah Nullah due to leakage in the pipeline laid by NTPC Shaktinagar.
- Pollution due to transportation of coal by road and disposal of fly ash.
- Pollution due to stone crushers.
- Non-address of health issues arising out of fluoride, mercury and air pollution.

Final Recommendations

Compliance requirement identified during the Inspection carried out in pursuance of the Order of the NGT dated December 6,2017.

The Core Committee carried out a fresh investigation in the Singrauli area on January 8 and 9, 2018 as directed by the NGT,New Delhi (vide order dated December 6,2017).The compliance necessary further are documented as under:

(i) Thermal Power Plants

- a) All the AWRS and ESPs installed by the thermal power plants should be made functional on continuous basis. The stacks of the power plants and the ambient air monitoring stations need to be linked with CPCB/SPCB network.
- b) Necessary renovation of the ash dykes needs to be carried out in order to prevent ash slurry going to Rihand Reservoir.

District Administration/State Government is required to declare an area in the 300 km radius of the power plants as a utilization zone where fly ash/bottom ash derived bricks/blocks and building products are made mandatory to be used in the buildings and other construction activities. It is gathered that there are few brick making units which are mixing soil with fly ash to make bricks. It shall be ensured that at least 25% of flyash shall be mixed in making clay bricks within 100 Km radius of thermal power plants, otherwise it will be in contravention to the Fly ash Notification 2009 issued by the MoEF&CC, New Delhi. The making of bricks from soil or mixed soil is to be banned forthwith.

c)

- d) All Thermal Power Plants in Sonebhadra and Singrauli Districts must be supplied with coal containing ash less than 34% on quarterly average basis as stipulated vide Notification No. GSR 02 (E) dated January 02, 2014.
- e) Shaktinagar Super Thermal Power Plant of NTPC Ltd. must repair their damaged pipeline and stop discharge of sewage into Ballia Nallah with immediate effect.
- Transportation of coal in open trucks is continued unabated thereby f) defying the very purpose of installation of the Pipe Conveyor System. Further, the residents in the concerned area complained about severe noise pollution caused by the prevailing coal transportation system. Necessary compliance should be carried out to reduce the noise pollution to the level required by the concerned SPCB with immediate effect. In case of dire necessity of transportation of fly ash and bottom ash, CPCB Guidelines for Loading/Unloading and Transportation of Flyash (December 2013), made for this purpose should be strictly followed. CCTV cameras are to be installed at strategic locations to monitor such transports by the concerned SPCBs. NCL, Gorbi Block B mine shall complete its railway track at the earliest and stop road transportation of coal up to Morba Railway siding. Similarly, Jayant mine shall either transport coal upto Morba railway siding by conveyor system or make arrangements to load the entire coal in railway wagons from the mine itself and stop the road transportation of coal.

(ii) Aluminum Smelter: M/s Hindalco Industries, Renukoot

- a) Industry shall achieve emission limit of 50 mg/Nm³ for particulate matter in respect of all Baking furnaces. The emission from boilers shall be reduced to the level of 50 mg/Nm³ from the existing norms of 150 mg/Nm³ by December 31, 2019 retrofitting of exiting ESPs and also meet emission limit of SO2 & NOx notified for industrial boilers.
- b) Industry shall ensure that no red mud is leached out to ground water during monsoon and post monsoon period. Piezometers/monitoring wells

should be installed in and around the red mud disposal sites in consultation with the CGWB/concerned SGWB. Regular monitoring of the leachate should be carried out as per the sampling and analysis plan as proposed by the concerned SPCB. Besides, industry shall facilitate utilization of Red Mud in nearby cement industries, including those located in MP. The industry shall also explore the possibility of extraction of titanium and other heavy metals from the Red Mud.

c) The Core Committee was informed that the industry has taken a zero waste water discharge initiative though no such action plan could be obtained. This action plan must be made ready within a month's time and submitted to UPPCB for necessary approval

(iii) M/s Aditya Birla Chemicals, Renukoot

- a) Industry shall ensure proper operation of effluent treatment plant so as to ensure the compliance of the effluent discharge standard. The industry shall also ensure that no untreated/partially treated effluent finds its way in to the Nallah leading to the Rihand Reservoir. The channel leading to Rihand Reservoir has to be intercepted, diverted and treated within the industry. The nallah presently passing through the factory should be isolated so that the industry cannot discharge any treated/partially treated/untreated effluent which is being done now.
- b) There is also an urgent need for the preparation of an action plan by the industry to shift the mercury bearing brine sludge and the muck contaminated with chlorinated chemicals from the factory premises to the TSDF in consultation with the UP State Pollution Control Board. It may be stated here that storage of hazardous mercury bearing brine sludge and the muck contaminated with chlorinated chemicals inside the premises is not permitted by the prevailing Hazardous Waste Management Rules,2016 and, therefore, to be shifted to a suitable TSDF immediately.

(IV) M/s Northern Coalfields Limited (NCL)

a) As per the provisions of the Notification of 2009, 25% percent of flyash should, along with Over Burden (OB) generated in the mines of NCL, be used for back filling the abandoned mine. NCL must sign an MOU with NTPC and make available the abandoned Gorbi Mine for this purpose without further delay. NCL is required to obtain the necessary permission from the concerned DGMS in this regard. Further, the external dump and exhausted pits should be scientifically reclaimed using suitable biological and engineering measures as well as by mixing fly ash as per fly ash notification. Since human habitation has been seen to exist in the close proximity of the OB dump, NCL must take all possible initiatives for slope stabilization thereby preventing any possibility of accidents of sliding OB causing damage to property and life.

- b) The norm of ash content equal to or below 34 percent is not strictly complied with by the NCL and ash content is going as high as 40 percent and beyond .Coal beneficiation is ,therefore, be initiated to obtain coal having less than 34 % ash.
- c) Also, the coal mines shall ensure that transportation of coal shall only be either by railway wagons or by the dedicated conveyor system. No transportation of coal shall be permitted by road to any of the industries in the Singrauli area, as recommended earlier also. The railway wagon loading area requires better material management as severe dust pollution is found in the area.

(V) Stone crushers

a) All stone crushers in Singrauli are have not taken adequate pollution control measures as the level of air pollution in the vicinity of stone crushers is high and causes a health hazards. Most of the crushers are located very near to habited area or very near to the roads/ highways. All such stone crushers which are not suitably located as well as which do not have adequate pollution control systems should be immediately closed. Relocation of stone crushers may also be explored.

(VI) Pollution Control Boards and MoEF & CC

- a) The regional carrying capacity of the entire Singrauli region is to be assessed before allowing any expansion scheme with respect to the existing industries. This assessment is the prerequisite for such consideration in future.
- b) The concerned SPCBs must ensure that all the major stacks from all the industries are being continuously monitored and these are linked with the CPCB/SPCB network. Effluent discharges from the industries are monitored once a month.
- c) The existing network of monitoring system for AAQ monitoring in both the districts of UP & MP need to strengthened and expanded to get representative air quality status of Singrauli area. Industries in the area should install at least three continuous ambient air quality monitoring stations forthwith on "Polluter Pays Principle" at such locations as may be decided by CPCB in consultation with the respective SPCBs. The data generated should be transferred to SPCBs ,CPCB and MoEF & CC on continuing basis.
- d) It is also essential that at least three continuous monitoring systems for mercury (Hg) monitoring in the ambient air should be installed (covering both the Districts of UP & MP) forthwith at suitable locations in the Singrauli area by the industries on "Polluter Pays Principle". CPCB in

G

consultation with the SPCBs shall guide the industries regarding the location of the monitoring stations. Besides mercury in and surface and ground water should also be monitored manually once in a three months.

(VII) District Administration of respective States

- a) The Awdi-Shaktinagar Marg and Singrauli-Awdi -Dibulgunj Marg are extensively used for heavy traffic and for clandestine coal transport leading to dust pollution. Further, the dense population which are residing along these roadsides are severely affected by dust pollution. As has been mentioned, coal transportation by open truck is to be banned forthwith .CCTV cameras are to be installed at strategic location to record any violation in this regard.
- b) To improve the prevailing situation, these roads are required to have 4/6 lanes and the pavements should be furnished with inter locking bricks of suitable quality to arrest air entrainment of dust.
- c) Since there is no strategy for disposal of the RO reject in an environmentally friendly manner, prevailing practice of dumping of RO reject shall affect nearby land as well as water resources with long term consequences leading to irreversible ecological damage. Therefore no further installation of RO plants in affected villages is recommended. Instead water supply should now be practiced using water tankers as an interim measure. Piped water supply from Rihand reservoir will be a long term solution for drinking water supply to fluoride and mercury affected villages.
- d) In the past Rihand reservoir was polluted by the major industries in the area such as thermal power plants, coal mines, M/s Aditya Birla Chemicals, Renukoot and M/s Hindalco Industries, Renukoot. Since this reservoir is the only drinking water source in the area, the reservoir needs restoration and protection. A comprehensive study needs to be undertaken to assess the reservoir's water and sediment quality and to delineate water and sediment remediation and restoration measures on **Polluter Pays Principle.** All the streams and nullahs joining the reservoir need to be intercepted and diverted to save the reservoir from further pollution. CSIR-NEERI, Nagpur and/or CSIR-IITR, Lucknow may be entrusted with this study for which both these organizations have the requisite expertise.
- As the patients with clinical manifestations suggestive of fluorosis were e) also noted to have severe malnutrition, mineral and nutrient supplements for these areas should be ensured by the District Administration. Further, patients with clinical manifestations suggestive of fluorosis must be monitored for their health through a scientific plan of periodic checkup as recommended by KGMU, AIIMS, Bhopal and IMS, BHU. Dental as well as bone fluorosis can be improved, if detected in the early stage. It is also essential to establish a Standard Toxicological Testing and Analysis Laboratory in the region. The earlier

recommendation of establishment of Training Centers to train Health care workers including Doctors in KGMU, Lucknow and AIIMS, Bhopal for identifvina the sources of diseases due to fluoride/mercury emission/discharge and treating the affected patients must now be done at an early date.

- There is a number of health related issues like silicosis, fluorosis, and the f) impact of mercury on the people in the area, which need to be examined in detail. The District Administration is urgently required to identify longterm project needs with proper funding and adequate manpower under "Polluter Pays Principle" for estimating the magnitude of health related problem with special reference to silicosis, fluorosis, and the impact of mercury on the people in the area.
- The District Administration of both the States are required to hold monthly g) meetings of all the stakeholders of Singrauli area , prepare minutes signed by the Stake holders and place it before the Supervisory Committee constituted by NGT in its order dated December 6,2017.

Reel of

36HK 12103118

Prof. I. M. Mishra (Member Secretary CPCB, Delhi) (Prof. Chemical Eng. Dept., ISM, Dhan

Sinh 202

Dr. Rajesh Singh Shri T U Khan (Scientist C, NIH, Roorkee) (Chief Env. Officer, UPPCB, Lucknow,)

ALANON

Dr. KhaianchiLal (Principal Scientist, IARI, New Delhi) (Sc B, NIOH, Ahmedabad)

DEVINOS

DR Veeramgami

Jishas-Fine Kon

Hemant Sharma (Chief Engineer MPPCB, Bhopal)

Dr. Vishavjit Kumar (Scientist D, ICFRE Dehardun)

· Chakiabasti.

Dr. Tapan Chakrabarti (Chairman of Core Committee & former Director, NEERI, Nagpur)

(Photograph-I)

22



Visible high dust levels due to operation of stone crushers, Dist Sonebhadra, UP (Dala, Singrauli area)



Visible high Dust levels due to operation of stone crushers, Dist. Sonebhadra, UP (Dala, Singrauli area)





Dust emission from stone crushers in Dalla area of Dist Sonebhadra, UP

Annexure-I

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.276 of 2013 (M.A. No. 571/2016) And Original Application No.20 of 2014 (M.A No. 59/2014)

IN THE MATTER OF:

Ashwani Kumar Dubey Vs. Union of India & Ors. And Jagat Narayan Viswakarma & Ors. Vs. Union of India & Ors

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON HON'BLE DR. JUSTICE JAWAD RAHIM, JUDICIAL MEMBER HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER

Original Application No.276 of 2013

Applicant :Mr.Ashwani Kr. Dubey, Applicant in person. Present: Respondent No. 1 :Mr. Vikas Malhotra, Advocate : Mr. Rajul Shrivastava, Adv. Respondent No. 4 **Respondent** no.7 : Mr. Daleep Kr. Dhyani, Adv Respondent No. 6 & 9 ; Mr. Gigi C.George Adv, for State of UP Respondent No. 10,11&12 : Mr. Bharat Sangal, and Ms. S. Spandana Reddy Advs. Respondent no. 13, 15, 16, 21: Mr. Syed Shahid Husain Rizvi, Adv. Respondent No. 14,17 & 37: Mr. Vikrant Pachnanda, Adv. Respondent No. 20 : Mr. Rajat Jariheal and Mr. Bharat Gupta, Advs. :Mr. Pradeep Misra,Adv Respondent Nos. 19 & 20 Respondent No. 22 : Mr. Nitin Mishra, Adv. with Ms. Mitali Guupta Adv



Respondent no. 23 & 27

Respondent No. 26 State of M. P.

UPPCB Respondent No. 36

State of Uttar Pradesh

Original Application No.20 of 2014 Present: Applicant

Respondent No. 1

Respondent No. 2 Respondent no.5 State of M. P.

State of Uttar Pradesh

Ms. Deep Shikha Bharati, Adv for State of UP Mr. Pawan Upadhyay Adv. Mr. Krishana Kanodia, Mr. Akash Tyagi, Adv. Mr. Vivek Singh, Mr. Swastik advs : Mr. V. K. Shukla, Mr. Himanshu Dubey Adv Mr. Bharat Gupta and Mr. Rajat Jariwal Advs. : Mr. Daleep Kr. Dhyani, Advocate Mr. Anip Sachthey, Ms. Anjali Chauhan and Mr. Ria Sachthey, Adv Mr. Sharad Chauhan, Adv. Mr. Rajkumar Adv. with Mr. Bhupender LA : Mr. I.K. Kapila, Adv. for Uttar Pradesh Jal Nigam Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv. Mr. Rajat Jariwal, Adv. : Ms. Katyayni, Ms. Mehak Rastogi, Adv. :Ms. Panchajanya Batra Singh, Advocate with

Ms. Aanya Shrotriya, Adv. for MoEF& CC :Mr. Raj Kumar, Advocates

:Mr. Daleep Kumar Dhyani, Adv

:Mr. V. K. Shukla and Ms. Vijay Laxmi, Advs.

:Mr. Anip Sachthen, Ms. Ria Sachthey, Adv.

and Ms. Anjali Chauhan, Adv. : Mr. Sharad Chauhan, Adv.

Mr. Krishna Kumar Singh Adv.

Mr. Rajkumar Adv. with Mr. Bhupender LA

Mr. Amit Tiwari, Adv.

Mr. Syed Shahid Hussain Rizvi and Mr. Zeeshan Rizvi, Advs.

Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv.

Dr. Vijendra Mahndiyan, Adv. for State of UP

Mr. Daleep Kr. Dhyani Adv.

Mr. Vikrant Pachnando, Mr. Nishant Rao and Ms. Tanvi Manchando, Advs.

Mr. Rajul Shrivastav, adv.

Mr. Sanjay Sen, S. Adv., Mr. Rishi Agrawal, Adv., Ms. Aanchal Mullick, Adv., Mr. Nishant Rao, Adv., Ms. Tanvi Manchanda, Adv.

25.

MR. Pawan Upadhyay, MR. Akash Tyagi and Mr. Krishna Venodia, Advs.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 26 & 27	We have heard the Learned Counsel appearing for
December 06, 2017	the parties. We dispose of these applications with the
	following directions:-
	1. We accept the interim report dated 07-07-2014 and
	final report dated 20-08-2015 filed by the Core
	Committee before the Tribunal as there are no
	objections raised by any of the stakeholders before
	us to the acceptance to the said reports.
	Consequently, we accept the reports λ .
	2. Keeping in view of the facts and circumstances of
	the case, the Core Committee shall conduct a fresh
	inspection within four weeks from today and all the
	industries located in the area in question as well as
	whether the recommendations made by the Core
	Committee already in its report dated 14-02-2014.
	07-07-2014 and 20-08-2015 have been
	implemented or not and how they need to be. If any
	stakeholder is to be found deficient in compliance in
	taking action, what action should be taken against
	that industries or authorities or State Government
	for that default.
	3. We hereby constitute two separate committees for
	appropriate implementation of the recommendations
	made by the Core Committee in their reports and
	these committees in their respective States shall be
	responsible for implementation of those directions



27

Item No. 26 & 27 December 06, 2017

region of Singrauli region including coal mining area, every village is provided with an RO plant and if the population of the village so demands at least two or even more plants shall be provided in that village to ensure that residents of the village get potable water for drinking purposes at any cost. All the industries shall be liable to bear the cost in discharge of their corporate social responsibility as well as on the fact that the existing pollution is attributable to them in one way or the other. The Principle of polluter pays has to be invoked but we make it clear that at this stage we are not returning the findings that these industries are causing pollution, as of now. We will leave it to the inspection team to return their findings in that behalf with complete analysis report.

- 7. Since this region falls both in the State of Uttar Pradesh and in the State of Madhya Pradesh, both the State Pollution Control Boards along with the Department of Environment of the State Government shall fix on-line air monitoring system. They shall also ensure that water quality monitoring system is also provided wherever the water body or the river is there near to village/ industrial complexes etc.
- 8. We further order and direct that Core Committee upon recommendations of the Supervisory Committee may consider and providing of further time for compliance or directions provided that it is shown that effective steps have already been taken by the industries and they are in the process of

Item No. 26 & 27 December 06, 2017 compliance of the directions may be like installation of ETP or any other anti pollution devises that has been recommended or directed.

- 9. For installation of RO plant, land would be provided by the Government/Gram Panchayat and entire cost for installation or maintenance would be borne by the industries.
 - 10 .The Supervisory Committee would be at liberty to take input/advise or opinion of any authority or body including Director General of Mines Safety.
 - 11 All the stone crushers which are operating in these regions without obtaining consent of the Board and permission from the competent authority shall be shut down without further notice. The stone crusher which are permitted to operate would also be responsible for installation of RO system at the place where there are number of stone crushers running and they would be guided by the same directions as we have afore-recorded in the case of industries.

With the above directions these applications i.e. Original Application No. 276/2013 and Original Application No. 20/2014 stand disposed of without any order as to cost.

As and when the report is submitted by the Core Committee the same shall be registered separately and place before the Tribunal for appropriate orders.



Annexure-II 30

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.276 of 2013 And M.A. No.59 of 2014 In Original Application No.20 of 2014

Ashwani Kumar Dubey Vs. Union of India & Ors. And Jagat Narayan Viswakarma and Ors. Vs. Union of India & Ors

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON HON'BLE MR. JUSTICE M.S. NAMBIAR, JUDICIAL MEMBER HON'BLE MR. DR. D.K. AGRAWAL, EXPERT MEMBER HON'BLE PROF. A.R. YOUSUF, EXPERT MEMBER HON'BLE DR. R.C. TRIVEDI, EXPERT MEMBER

Present: Applicant:

Respondent No. 1:

Respondent No.3: Respondent No.4: Respondent No.6&9:

Respondent No.7:

Respondent No.10 to 12: Respondent No.13,15, 16 & 21:

Respondent No.19&20: Respondent No.22 Respondent No.23&27: Respondent No.24: Mr. Vikas Malhotra and Mr. M.P. Sahay, Advocates & Ms. Seema Rao Mr. Raman Yadav Mr. Rajul Shrivastav, Advocatr for MPPCB Mr. Raman Yadav & Mr. Atifsuh Rawardy, Advocates Mr. Daleep Kumar Dhayani, Advocate and Mr. Vikas Singh, Advocate Mr. Bharat Sangal, Advocate Mr. Syed Shahid, Advocate & Mr. Parag P.

Mr. M.Z. Choudhary, Mr. Avinnash Prasad and

Mr. Ashwini K. Dubey, Advocates

Mr. Syeu Shamu, Auvocate & Mr. Parag P. Tripathi, Senior Advocate Mr. Pradeep Misra, Advocate Mr. Rajat Jariwal and Ms. Anisha Somal Mr. Pawan Upadhyay and Mr. Sarvjit P. Singh Mr. Harsh Sethi for VHS Legal

Dateand Orders of the Tribunal Remarks Item No. 17 & 18 August None of the parties have filed any objection / 25, 2014 suggestions to the proposed Committees and the ToR. The only prayer made is that the Chairman, Central Pollution Control Board be permitted to be substituted by the Member-Secretary of the CPCB. Ordered accordingly. Therefore we constitute the following Committees with the ToR as indicated as below. Monitoring of potential hazards of Industrial **Development in Singrauli Area** Core Team: a. Member Secretary, Central Pollution Control Board b. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board c. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board









डा. तपन चक्रवर्ती चेयरमैन, कोर कमेटी

(कैम्प-एनटीपीसी, विन्ध्याचल सिंगरौली म.प्र.)

(NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI द्वारा O.A NO. 276 of 2013 & O.A NO. 20 of 2014 IN THE MATTER OF Ashwani kumar dubey VS. Union of india & Ors. And Jagat narayan vishwakarma & Ors. VS. Union of india & Ors. मे गठित कोर कमेटी।)

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013 अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य मे आदेश दिनांक 06 दिसम्बर 2017 के अनुपालन मे कोर कमेटी के समक्ष कोर कमेटी द्वारा 20.08.2015 को माननीय हरित अधिकरण के समक्ष अपनी विस्तृत रिपोर्ट मे प्रदुषण नियंत्रण हेतु की गयी अनुशंसाओ का पालन सम्बन्धित राज्य सरकारो व औद्दोगिक संस्थाओ द्वारा न किये जाने तथा प्रभावी प्रदुषण नियंत्रण हेतु बिन्दुवार सुझावों को कोर कमेटी के अनुशंसा मे सम्मिलित किये जाने हेतु।

महोदय,

1. कोर कमेटी द्वारा माननीय हरित अधिकरण को उपरोक्त प्रकरण के संर्दर्भ मे प्रस्तुत अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिनांकः- 20.08.2015 के साथ पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण हेतु किये गये संस्तुतियो मे जिला प्रशासन व सम्बन्धित राज्य सरकारो के स्तर पर किये जाने हेतु निम्नवत अनुशंसा की सिफारिश की गयीः-

9.7 District Administration of respective States:-

9.7.1 Poor road conditions in the area are also one of the major sources of pollution. It is therefore recommended that the 27 respective State Governments should take immediate measures/ to improve the road conditions in the area time bound manner and ensure regular maintenance.

कोर कमेटी की उक्त अनुंशसा/सिफारिश का अनुपालन उ.प्र. के जनपद सोनभद्र मे नही किया गया जिसके कारण वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर कोयला खनन-अभिवहन व अन्य खनिजो के अभिवहन तथा औद्दोगिक उत्पादो व अन्य भारी वाहनो के भारी दबाव, क्षमता से अधिक सडक पर दबाव, जर्जर अवस्था की सडक तथा सडक पर फुटपाथ न होने के कारण गत वर्षों मे औडी-शक्तिनगर मार्ग तथा सिगंरौली-औडी-डिबुलगंज मार्ग पर सर्वाधिक वायु प्रदुषण अपने चरम पर है व सडक के आस-पास निवासरत लोगो, सैकडो दु-पहिया वाहन चालको व पैदल चलने वालो की सडक दुर्घटना मे असमायिक मृत्यु हुई है तथा सैकडो लोग दुर्घटना मे घायल होकर विकलागंता का शिकार हुये है। जो कि खनन गतिविधियो व प्रदुषण से होने वाला प्रत्यक्ष रुप से सबसे बडा दुष्प्रभाव है तथा यह सडक दुर्घटना की अधिकता के कारण किलर रोड के रुप मे परिवर्तित हो चुकी है व जिसमे मानवीय जीवन की भी क्षति हो रही है।

समक्ष,

कोर कमेटी को सोनभद्र जिला प्रशासन की ओर से पर्यावरण सरंक्षण व प्रदुषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से बनाये गये सिंगरौली एक्शन प्लान सौपा था जिसे कोर कमेटी द्वारा मा. हरित अधिकरण के समक्ष ्रे दाखिल अपनी विस्तृत रिपोर्ट वाल्युम-2, एनेक्सचर-4 मे दाखिल किया गया है जिसमे यह बताया गया है कि वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के 4/6 लेन बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है जो 2015 तक पुर्ण हो जायेगा। जिला प्रशासन, सोनभद्र की ओर से दी गयी उपरोक्त रिपोर्ट कोर कमेटी व मा. हरित अधिकरण को तथ्यो से भटकाने व भ्रम मे रखने मात्र का प्रयास है जबकि वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग जो कि 200 किमी लम्बा है जिसमे नारायणपुर-हाथीनाला की सडक एसएच-5ए है जो 115 किमी है को 4/6 लेन बनाया गया है, जबकि हाथीनाला से अनपरा-सिंगरौली तक उक्त सडक एनएच-75(ई) तथा पुनः औडी से शक्तिनगर(म.प्र.) सीमा तक एसएच-5ए है जो वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग के अर्न्तर्गत पडता है जिस पर कोयला अभिवहन व अन्य खनिजो तथा औद्दोगिक उत्पादो के अभिवहन व अन्य भारी वाहनो के दबाव, क्षमता से अधिक सडक पर दबाव, जर्जर अवस्था की सडक तथा सडक के दोनो तरफ फुटपाथ न होने के कारण गत वर्षों में औडी-शक्तिनगर मार्ग तथा सिगंरौली-औडी-डिबुलगंज मार्ग पर सर्वाधिक वायु प्रदुषण व सडक दुर्घटनाये अपने चरम पर है का 4/6 लेन निर्माण व सडक की पटरियो को पेवर ब्लाक से इंटरलाकिंग नही किया गया है जिसके कारण वायु प्रदुषण व सडक दुर्घटनाये अनवरत जारी है जिसकी पुष्टि 12.08.2016 को माननीय हरित अधिकरण द्वारा गठित कोर कमेटी के संस्तुतियो के अनुपालन मे हुई बैठक के उपरांत उप-जिलाधिकारी दुध्दी, सोनभद्र द्वारा जारी कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेखित बिन्दु से होता है, जिसमें थानाध्यक्ष अनपरा द्वारा यह बताया गया है कि सडक पर भारी वाहनो के दबाव, कोयला चुर्ण के सडको पर गिरने व उसपर पानी के छिडकाव से सडक की पटरियो पर कोयला चुर्ण व मिट्टी से फिसलन बढ जाती है जिस कारण सडक दुईटनाओ मे काफी वृध्दि हुई है व मात्र दो माह मे 12-13 लोगो की मृत्यु सडक दुर्घटना मे हुई है उक्त सडक वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग(एस.एच-5ए) के औडी मोड से शक्तिनगर तक मार्ग को फोरलेन बनाये जाने हेत् जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा 1 अप्रैल 2015 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसमे यह कहा गया कि वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग(एस.एच-5ए) पर विभिन्न पावर प्लांटो एवं कोल माईन्स के भारी संख्या मे वाहन निकलते है, दो लेन मार्ग होने से यातायात सुचारु नही होता है और प्रदुषण भी फैलता है यदि इसे फोरलेन बना दिया जाये तो तो आगे चलकर (एन.एच75ई) रीवा-रांची मार्ग से जुड जायेगा तथा आवागमन सुगम हो जायेगा।(संलग्नक-1, दिनांकः-12.08.2016 को माननीय हरित अधिकरण द्वारा गठित कोर कमेटी के संस्तुतियो के अनुपालन मे हुई बैठक के उपरांत उप-जिलाधिकारी दुध्दी, सोनभद्र द्वारा जारी कार्यवृत्त की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 1 से 5 तक)(संलग्नक-2, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग(एस.एच-5ए) के औडी मोड से शक्तिनगर तक मार्ग को फोरलेन बनाये जाने हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा 1 अप्रैल 2015 को प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 6)।

सुझावः-

A. उ.प्र सरकार, जिला प्रशासन सोनभद्र को उनके अधीन पडने वाले औडी-शक्तिनगर मार्ग एसएच-5ए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार को सिगंरौली-(दुल्लापाथर, उ.प्र)-औडी-डिबुलगंज-हाथीनाला मार्ग, एनएच-75ई का निर्माण 4/6 लेन मे तथा सडक की दोनो पटरियो पर आवश्कतानुसार पेवर ब्लाक/हार्ड सोलिंग इंटरलाकिंग व आवश्कतानुसार सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर निश्चित समय सीमा के अर्न्तर्गत किये जाने तथा जिला प्रशासन सोनभद्र को उक्त सडको की स्विपिंग मशीनो के माध्यम से नियमित सफाई हेतु सुस्पष्ट निर्देश दिया जाये।
B. वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर स्थित औडी से शक्तिनगर तथा औडी से डिबुलगंज व औडी से सिंगरौली मुख्य मार्ग के दोनो तरफ घनी आबादी है जहां पर उक्त सडको पर खनिजो व औद्दोगिक उत्पादो व अन्य वाहनो का भारी दबाव बना रहता है जिसके कारण सडक पर वायु प्रदुषण व सडक दुर्घटनाये सर्वाधिक है व <u>उक्त सडक दुर्घटनाओ में</u> सर्वाधिक दुर्घटना के शिकार सडक के आस-पास निवासरत आबादी के लोग होते है जो अपने दैनिक कार्यो हेतु वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण मुख्य मार्ग का प्रयोग करते है सडक दुर्घटना पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये उक्त मार्गो के समीपवर्ती ग्राम पंचायतो के आंतरिक सडको का निर्माण/सुदृढ किया जाना व उन पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था बहाल किया जाना नि:तान्त आवश्यक है जिससे स्थानीय लोगो को अपने दैनिक कार्यो हेतु अपने दु-पहिया वाहनो या पैदल मुख्य मार्ग पर कम से कम जाना पडे व प्रयोग न करना पडे , वैकल्पिक मार्ग सुटृढ होने की स्थिति मे हजारो लोग दु-पहिया वाहनो, छोटे वाहनो व पैदल वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करेंगे जिससे प्रतिदिन होने वाली सडक दुर्घटनाओ से होने वाली असमायिक मौतो पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा साथ ही साथ मुख्य सडक पर वाहनो व पैदल चलने वालो का दबाव कम होगा, जिससे सडक दुर्घटना और प्रदुषण काफी हद तक नियंत्रित होगा व आवागमन काफी हद तक सुगम होगा।

2. कोर कमेटी द्वारा माननीय हरित अधिकरण को उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ मे प्रस्तुत अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिनांक:- 20.08.2015 मे पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण हेतु कीये गये संस्तुतियो मे जिला प्रशासन व सम्बन्धित राज्य सरकारो के स्तर पर किये जाने हेतु निम्नवत अनुशंसा की सिफारिश की गयी:-

- **9.7.2** Fluoride affected villages must be supplied with safe drinking water (RO Treated water) under thesupervision of the District Administration. All the tube wells supplying contaminated water should carry boards informing public not to use the same for drinking purposes. The concerned Dept. (Irrigation/Jal Nigam) of the State Administration shouldsubmit compliancereport to Regional Office of MoEF& CC every month. The maintenance of these RO systems along with education of residentsabout proper method and benefits of RO water needs to be ensured.
- **9.7.3** The concerned Dept. (Irrigation/ Jal Nigam) of the State Administration shall also ensure proper disposal of the RO rejects, so as not to affect the ground water and surface water streams and the soil of the area

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013 अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक:13.05.2014 के अनुपालन मे क्रिटकली पाल्युटेड क्षेत्रो मे आर.ओ की स्थापना मे गम्भीर अनियमितता बरती गयी है व निजी संस्थाओ के दबाव मे गलत रिपोर्टो के आधार पर आवश्यकता से काफी कम आर.ओ संयंत्र स्थापित किये गये है जिसकी पुष्टि माननीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013 अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 के अनुपालन मे दिनांक:-18.5.2014 को हुई बैठक की कार्यवृत्त जिसमे शुध्द पेयजल व्यवस्था की स्थिति दर्शायी गयी मे गलत तरीके से

क़करी, कुलडोमरी, औडी, परासी, जमशिला, व खडिया को पूर्व से शुध्द पेयजल पाईप लाईन के माध्यम से उपलब्ध होने की टिप्पणी करते हुये वहां आर.ओ संयत्र नही लगाये गये जबकि लगाये गये आर.ओ पुर्ण रुप से जल शोधन कर शुध्द पेयजल नही उपलब्ध करा पा रहा है व आर.ओ संयंत्र से जल शोधन प्रक्रिया मे प्रतिदिन लाखो लीटर पानी निष्प्रयोज्य बह रहा है जिसका कोई समुचित उपयोग नही किया जा रहा जो आने वाले समय मे एक बडे संकट के रुप मे सामने होगा।(संलग्नक-3, माननीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013 अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य मे आदेश दिनांकः-13.05.2014 के अनुपालन मे दिनांकः-18.5.2014 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 7 से 12 तक)

सुझावः-

A. जनपद-सोनभद्र के क्रिटिकली पाल्युटेड क्षेत्र को अलग-अलग कलस्टरो मे बांट कर उच्च क्षमता का जल शोधन संयंत्र लगा कर लोगो को पाईप लाईन के माध्यम से शुध्द पेयजल की आपुर्ति की जाये या प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत मे एक हजार की आबादी को लक्षित कर प्रति एक हजार आबादी पर आर.ओ संयत्र स्थापित किया जाये जिससे शुध्द पेयजल उपलब्ध हो सके तथा आर.ओ संयत्र की जल शोधन प्रक्रिया मे निष्प्रयोज्य बहने वाले हजारो लीटर पानी को पाईप लाईन के माध्यम से आस-पास के घरो मे अन्य घरेलु उपयोग हेतु आपुर्ति की जाये जिससे हजारो लीटर बहने वाले जल का समुचित प्रयोग किया जा सके।

3. कोर कमेटी द्वारा माननीय हरित अधिकरण को उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ मे प्रस्तुत अपनी विस्तृत रिपोर्ट के साथ पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण हेतु कीये गये संस्तुतियो मे जिला प्रशासन व सम्बन्धित राज्य सरकारो के स्तर पर किये जाने हेतु निम्नवत अनुशंसा की सिफारिश की गयी:-

- **9.7.4** As the patients with clinical manifestations suggestive of fluorosis were also noted to have severe malnutrition. Therefore, mineral and nutrient supplements for these areas should be ensured by the District Administration.
- **9.7.5** The patients with clinical manifestations suggestive of fluorosis must be monitored for their health through a scientific plan of periodic checkup as recommended by KGMU, AIIMS, Bhopal and IMS, BHU. Dental as well as bone fluorosis can be improved, if detected in the early stage.
- **9.7.6** Considering the reports of the clinical examination and recommendations by the Sub-Committee on Health, it is essential that a standard toxicological testing and analysis laboratoryshould be established in the region. **9.7.7There** is need to trainHealth care workers including Doctors for identifying the sources of diseases due to fluoride/mercury emission/dischargeand treating the affected patients. Therefore, 28 Training centers can be established in KGMU, Lucknow and AIIMS, Bhopal for such a purpose.
- **9.7.8** There are number of health related issues like silicosis, fluorosis, and impact of mercury of the people in the area needs to examined in detail. Therefore, a long term project need to be planned with proper funding and adequate manpower under "Polluter pay Principal" for estimating the magnitude of health related problem in the area.

सुझाव:-

a

- A. जनपद-सोनभद्र के क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के रहवासियो को बेहतर चिकित्सा व जांच सुविधा उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता को देखते हुये <u>अनपरा परिक्षेत्र के डिबुलगंज में स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय, अनपरा(डिबुलगंज) को सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय के रूप मे परिवर्तित किया जाये जिसमे उच्च चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त फ्लोराईड/मरकरी तथा प्रदुषण के अन्य कारणो से होने वाले बिमारियो के जांच हेतु उच्च तकनीक से लैस परीक्षण लैब स्थापित किया जाये तथा अनपरा परिक्षेत्र मे स्थित सडको पर कोयला परिवहन, राख आदि के अभिवहन के कारण होने वाली दुर्घटनाओ को देखते हुये ट्रामा सेन्टर स्थापित किया जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र द्वारा भी उक्त अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था सुट्टढ किये जाने हेतु उक्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्न्तर्गत संचालित किये जाने हेतु उक्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्न्तर्गत संचालित किये जाने की अपनी प्रबल संस्तुति महानिदेशक, चिकित्सा सेवाये, उ.प्र.(लखनऊ) को दिनाक:- 14.08.2017 को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप किये जाने हेतु उक्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरक्त की जाने बाबत् महानिदेशक, चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप किय जाने होतु उक्त चिकित्सालय का पब्ति सां वाये, उ.प्र.(लखनऊ) को दिनाक:- 14.08.2017 को प्रबल प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्न्तर्गत संचालित किये जाने हेतु उत्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्न्तर्गत प्रानि हेतु उक्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के उत्तर्गत हिये जाने हेतु उत्र चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्न्तर्गत संचालर, सालय जाये। उ.प्र.(लखनऊ) को दिनाक:- 14.08.2017 को प्रवित की जा चुकी है।(संलग्नक:-4, मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय) की चिकित्सा व्यवस्था सुट्र किये जाने हेतु उक्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्ल्या त्रकी जाने बाबत् महानिदेशक, चिकित्सा सेवाये, उ.प्र.(लखनऊ) को दिनाक:- 14.08.2017 को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 13)।</u>
- कोर कमेटी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट/अनुंशसा मे सम्मिलित किये जाने के आग्रह के साथ बिन्दुवार सुझावः-
 - 1. भारत सरकार द्वारा खनन क्षेत्र मे पर्यावरण सरक्षंण, प्रदुषण नियंत्रण, स्वच्छता व खनन प्रभावित क्षेत्रो मे विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओ के संचालन हेतु प्रधान मंत्री खनिज कल्याण योजना लागु की गयी है जिसमे एमएमडीआर संशोधन अधिनियम-2015 मे राज्य सरकारो को जनपद खनिज फाउण्डेशन(डीएमएफ ट्रस्ट) के गठन का अधिकार दिया गया है, जिससे ट्रस्ट को अपने जनपद मे होने वाले खनिजो व उप खनिजो की रायल्टी का एक निश्चित प्रतिशत की धनराशि प्राप्त हो रही है, योजनानुसार प्राथमिकता के आधार उक्त मद मे प्राप्त राशि पर खनन प्रभावित क्षेत्रो मे पर्यावरण सरंक्षण, प्रदुषण नियंत्रण व खनन एवं खनन गतिविधियो से होने वाले दुष्प्रभावो को कम करने के उद्देश्य से उक्त ट्रस्ट की राशि खर्च की जानी चाहिये, परन्तु जनपद-सोनभद्र जहं उक्त योजनाके लागु होने के ढाई वर्ष पश्चात डीएमएफ ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसके पास विगत छः माह मे जनपद-सोनभद्र मे कोयला व गिट्टी-बाल् के खनन से तीन सौ करोड से अधिक की राशि ट्रस्ट के मद मे प्राप्त हो चुकी है परन्तु डीएमएफ ट्रस्ट सोनभद्र द्वारा उक्त मद मे प्राप्त राशि मे से एक रुपये भी कोयला खनन व अभिवहन तथा तापीय विद्दत परियोजनाओ के संचालन से प्रभावित गंभीर प्रदुषण प्रभावित क्षेत्रो मे पर्यावरण सरक्षंण, प्रदुषण नियंत्रण, स्वच्छता पर नही किया गया है व ना ही कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गयी है। उ.प्र. सरकार व जिलाधिकारी सोनभद्र को डीएमएफ ट्रस्ट मे प्राप्त राशि का उपयोग योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर खनन प्रभावित क्षेत्रो मे पर्यावरण सरंक्षण, प्रदुषण नियंत्रण व खनन एवं खनन गतिविधियो से होने वाले दुष्प्रभावो को कम करने के उद्देश्य से उक्त ट्रस्ट की राशि खर्च किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये जाने हेतु अनुंशसा करने की कृपा करे।(संलग्नकः-5, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 14 से 19 तक)(संलग्नकः-6, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली 2017 की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 20 से 28 तक)।

2. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरह सिंगरौली परिक्षेत्र के जनपद-सोनभद्र(उ.प्र.) व जनपद-सिंगरौली(म.प्र.)जो कि हिन्दुस्तान के सर्वाधिक प्रदुषित क्षेत्र मे से एक है मे व्यवसायिक वाहनो पर <u>ENVOIRMENTAL COMPENSATION CHARGE</u> लगाया जाये तथा उक्त मद मे प्राप्त राशि का उपयोग सिंगरौली परिक्षेत्र के जनपद-सोनभद्र(उ.प्र.) व जनपद-सिंगरौली(म.प्र.) मे पर्यावरण सरंक्षण व प्रदुषण नियंत्रण व खनन तथा खनन गतिविधियो से होने वाले दुष्प्रभावो को नियंत्रित/कम करने हेतु किया जाये।

୍ଦିକ

- 3. जनपद-सोनभद्र(उ.प्र) व सिंगरौली(म.प्र.) के गम्भीर वायु प्रदुषण से प्रभावित क्षेत्रो(कोयला एवं खनिजो के खनन व अभिवहन से प्रभावित सडको के आस-पास), सार्वजनिक स्थलो, विद्दालयो आदि मे वायु गुणवत्ता को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से एयर फिल्टर अविलम्ब लगाये जाने के निर्देश सम्बन्धित जिला प्रशासन व राज्य सरकारो को दिये जाये।
- 4. नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की खडिया परियोजना व सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, शक्तिनगर की पुर्नवास गांव चिल्काटांड जो गम्भीर प्रदुषण की जद मे है व मानवीय जीवन के लिये रहने योग्य नही है को तत्काल अन्यत्र स्थान्तरित किये जाने के निर्देश नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की खडिया परियोजना व सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, शक्तिनगर को दिया जाये।
- 5. नार्दर्न कोलफिल्टस लिमिटेड की कोयला खदान परियोजनाओ तथा ताप विद्दुत गृहो से डम्परो/ट्रूपरो/बल्करो से कोयला व राख के अभिवहन से होने वाले प्रदुषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मालवाहको के मुख्य मार्ग पर आने से पुर्व उच्च क्षमता के वैक्युम क्लीनर द्वारा सम्पुर्ण वाहन व उसके चक्को की सफाई सुनिश्चित हो तथा यही प्रक्रिया कोयला व राख के अनलोडिंग प्वाईट पर सुनिश्चित हो तथा जीरो डस्ट की स्थिति मे ही उक्त माल वाहको को राख लादकर या कोयला व राख अनलोड कर सार्वजनिक मार्ग पर अभिवहन की अनुमति दी जाये जिससे वायु प्रदुषण पर प्रभावी अंकुश लग सके जिसके लिये राज्य सरकारो, नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, विदुत ताप गृहो तथा कोयला एवं राख के अभिवहन कर्ताओ को समुचित निर्देश जारी किया जाये।
- 6. विद्दुत ताप गृहो से निकलने वाले राख के बल्करो के माध्यम से अभिवहन मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2013 मे बनाये गये गाईड लाईन का समुचित व प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार, ताप विद्दुत गृह व राख के अभिवहन कर्ताओ को समुचित निर्देश जारी किया जाये।(संलग्नक:-7, केन्द्रीय प्रदुषण नियत्रण बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2013 मे जारी गाईड लाईन की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 29 से 40 तक)
- 7. नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड की कोयला खदान परियोजनाओ में अधिभार के खनन व अभिवहन तथा अन्तर खदान कोयला के अभिवहन में सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा कार्य के लागत व समय को कम करने के उद्देश्य से सम्बन्धित अधिकारियों के सरक्षण में डम्परो/मालवाहको पर उनकी तय मानक भार क्षमता(पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार) से कई गुना अधिक कोयला व अधिभार लादकर प्रतिदिन पचास हजार चक्कर से अधिक अभिवहन किया जाता है जिससे सिंगरौली परिक्षेत्र में सबसे अधिक डीजल उपयोग में लाया जाता है, मालवाहको पर तय भार क्षमता से कई गुना अधिक भार लादकर अभिवहन करने से डीजल से उत्सर्जित होने वाले कार्बन कई गुना अधिक साईलेंसर के माध्यम से फैलते है साथ ही साथ माल वाहको पर अधिक भार लदे होने से उनके चक्को पर अधिक दबाव सडक पर होता है जिससे पर फैले धुल कण कई गुना ज्यादा वातावरण को गम्भीर क्षति पहुंचा रहे है साथ ही साथ क्षेत्र की पर्यावरण भार क्षमता पर

ЦÐ

भी कई गुना ज्यादा दबाव बढा रहे है जो सिंगरौली परिक्षेत्र मे वायु प्रदुषण के साथ-साथ वायु 🏼 🏹 की गुणवत्ता मे गिरावट का प्रमुख कारण है, पर प्रभावी नियत्रण लगाये जाने हेतु राज्य सरकार, नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड व सम्बन्धित कम्पनियो को मालवाहको से उनकी भार क्षमता के अनुरुप अभिवहन करने तथा खनन व अभिवहन करने के लिये तय समय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे।

- 8. सिंगरौली परिक्षेत्र मे वायु गुणवत्ता के निरन्तर गिरावट व गम्भीर वायु प्रदुषण को देखते हुये समस्त मालवाहको मे CATALYTIC CONVERTORS लगाये जाने का निर्देश राज्य सरकारो को दिया जाये।
- 9. सिंगरौली परिक्षेत्र के औदोगिक संस्थाओ के आवासीय परिसरो मे उच्च क्षमता के आर.ओ संयंत्र स्थापित कर शुध्द पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकारो व सम्बन्धित औद्दोगिक संस्था को समुचित निर्देश जारी किया जाये।
- 10.रेनुसागर पावर डिवीजन, रेनुसागर के बिछडी, ग्राम पंचायत-औडी स्थित ऐश पाण्ड जिसमे क्षमता से अधिक राख का भण्डारण हो चुका है व ऐश पाण्ड मे मानक के अनुरुप राख के तल से एक मीटर तक जल भराव न होने के कारण उक्त ऐश पाण्ड से भारी मात्रा मे राख उडकर रिहायशी इलाको मे फैलता है जिससे हजारो लोगो को गम्भीर वायु प्रदुषण का सामना करना पडता है। मानवीय जीवन पर संकट व गम्भीर वायु प्रदुषण को देखते हुये रेनुसागर पावर डिवीजन, रेनुसागर को उक्त ऐश पाण्ड अन्यत्र, जनशुन्य इलाके मे स्थान्तरित करने व वर्तमान ऐश पाण्ड पर दो मीटर मोटी मिट्टी की परत डालकर ईको पार्क बनाये जाने व पर्यावरण हितैषी वृक्षो के सघन वृक्षारोपण हेतु समुचित निर्देश जारी किया जाये।
- 11. सिंगरौली परिक्षेत्र मे वायु प्रदुषण व वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण हितैषी नीम, पीपल आदि वृक्षो का संघन पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये।

Uh. (पंकज कुमार मिश्रा) सहयोग सेवा शाखा ग्राम-औडी, पोस्टः-अनपरा सोनभद्र, (उ.प्र.) मो.न.-9839298409 इमेलः-Pankajmishraanpara@gmail.com

भवदीय

संलग्नकः-

े. इन्हे

- 1. दिनांकः-12.08.2016 को माननीय हरित अधिकरण द्वारा गठित कोर कमेटी के संस्तुतियो के अनुपालन मे हुई बैठक के उपरांत उप-जिलाधिकारी दुध्दी, सोनभद्र द्वारा जारी कार्यवृत्त की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 1से 5 तक।
- 2. वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग(एस.एच-5ए) के औडी मोड से शक्तिनगर तक मार्ग को फोरलेन बनाये जाने हेत् जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा 1 अप्रैल 2015 को प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 6 मात्र।
- 3. माननीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या-276/2013 अश्वनी कुमार दुबे बनाम युनियन आफ ईण्डिया व अन्य तथा आवेदन संख्या-20/2014 जगत नारायन विश्वकर्मा व अन्य बनाम युनियन

आफ ईण्डिया व अन्य मे आदेश दिनांकः-13.05.2014 के अनुपालन मे दिनांकः-18.5.2014 को हुई 🏼 🖓 📿 बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति, **पृष्ठ संख्या 7 से 12 तक**।

- 4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय, अनपरा(डिबुलगंज) की चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ किये जाने हेतु उक्त चिकित्सालय को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अर्न्तर्गत संचालन किये जाने बाबत् महानिदेशक, चिकित्सा सेवाये, उ.प्र.(लखनऊ) को दिनाकः- 14.08.2017 को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, **पृष्ठ संख्या 13 मात्र ।**
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 14 से 19 तक।
- 6. उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली 2017 की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 20 से 28 तक।
- 7. केन्द्रीय प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2013 मे जारी गाईड लाईन की छायाप्रति, पृष्ठ संख्या 29 से 40 तक।

प्रतिलिपीः-

ূ

- 1. ए-सुधाकर, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण, नई दिल्ली।
- 2. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड।
- 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड।
- 4. एस.बी. फ्रेन्कलीन, क्षेत्रीय अधिकारी,उ.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र क्षेत्र,।
- 5. क्षेत्रीय अधिकारी,म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली क्षेत्र,।
- 6. जिलाधिकारी, सोनभद्र(उ.प्र.)।
- 7. जिलाधिकारी,सिंगरौली(म.प्र.)।

Cardon Honor

10- 26+ 24-01 P-1

दिनांक 12.08.2016 को अपरान्ह 12.00 बजे विदेशी अतिथि गृह अनपरा तापीय परियोजना अनपरा --सोनभद्र में प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने,आर०ओ० प्लांट स्थापना/संचालन,सा० न्यायाधिकरण द्वारा गठित समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में अनुपालन के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की समीक्षा, सिंगरौली एक्शन प्लान की समीभा के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में 'उपस्थित अधिकारियों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर का विवरण संलग्न है।

पूर्व सूचना के अनुसार ज़नपद सोनभद्र में बृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों / पुलिस प्रशासन के बीच प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में व मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में पचलित वादों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में दिये गये प्रदूषण के रोकथान हेतु सुझावों के सम्बन्ध में आयोजित की गयी।

प्रदूषण से होने वाली हानियों से बचाव हेतु विचार विगर्श - एन0सी0एल0 की सभी परियोजनाओं से प्रतिदिन लगभग 1000 ट्रक / डम्फर कोयले की आपूर्ति रेनूसागर पावर डिवीजन,रेनूसागर-सोनभद्र एवं लैंको पावर परियोजना ,अनपरा--सोनभद्र तथा चन्दौली के कोयला बाजार तक किया जाता है। कोयला वाहक वाहनों के परिचालन के कारण वाराणसी--शक्तिनगर मुख्य मार्ग एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में कोयले का चूर्ण फैलता है , जिसके संदर्भ में पूर्व में की गयी बैठक दिनाक 25.12.2012, एवं 22.12.2013, 25.03.2014 तथा 30.04.2014 में भी आवश्यक निर्देश मेरे पूर्वाधिकारी एवं दिनांक 14.09.2015 एवं दिनांक 25.10.2015 ,01.04.2016, 17.06.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया था , किन्तु निर्देशों का दर्ज़ाई से पालन किये जाने में कमी होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है, जबकि कई बार अनुचित कोयला परिधालन करने वाले वाहनों के विरुद्ध ,प्रशासनिक कार्यवाही की जाती रही है।

चूंकि प्रदूषण की समस्या बृहद रूप से क्षेत्र में व्याप्त हैं अतः सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाहियों के द्वारा ही नियंत्रण स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है। अतः सम्मिलित परियोजना के अधिकारियों का सहयोग महती अपेक्षित है। इसी कम में सम्बंधित परियोजनाओं के सम्मानित जिम्मेदार अधिकरियों की बैठक दिनांक 14.09.2015 एवं दिनांक 25.10.2015 ,01.04.2016,17.06.2016 को विदेशी अतिथि गृह अनपरा तापीय परियोजना अनपरा सोनभद्र में आयोजित की गयी।

बृहद विचारोपरान्त यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रतिदिन परिचालित कोयला वाहनों के लगभग 250 ट्रक कोयला जयंत रोड से लैंको अनपरा तक,125 ट्रक कोयला सिंगरौली रोड से रेनूसागर तक तथा 500 ट्रक कोयला शक्तिनगर रोड से रेनूसागर तक 50 ट्रक कोयला कृष्णशिला से चन्दौली, 30 ट्रक कोयला ककरी से चन्दौली एवं 15 ट्रक कोयला खड़िया से चन्दौली के लिए किया जाता है अतः इस समस्या का निदान एन0सी0एल0 के अधिकारियों को समय-समय पर एवं सम्बंधित कय करने वाली परियोजनाओं रेनूसागर पावर डिवीजन, रेनूसागर एवं लैंको पावर परियोजना ,अनपरा के अधिकारियों एवं उनके ट्रांसपोर्टरों को कड़ाई से पालन कराने हेतु निम्नलिखित निर्देशों को तत्काल /आज ही पूर्णरूपेण अनुपालन करने के निर्देश दिये गये जो निम्नवत् है-

1-- कोयले के परिचालित वाइनों पर मोटी तिरपाल का प्रयोग पूर्ण रूपेण ढके हुए स्थिति में ही एन्उमी0एल0 के वेटिंग प्याइट से निकलने दिया जाये तथा आपूर्ति पाने वाली कम्पनियों के अधिकारी भी पूर्णरूपेण तिरपाल से ढके हुए कोयला का ट्रक/डॅफर की प्राप्ति स्वीकार करना सुनिश्चित करें।इस सम्बन्ध में कथन किया गया कि बीना एवं कृष्णशिला परियोजना द्वारा पूर्णतया पालन किया जा रहा है परन्तु यह संज्ञान में आया कि अभी भी लगातार समीक्षा बैठकों के आयोजित होने के उपरान्त भ्जी अनुपालन में प्रतिष्ठानों द्वारा लगातार कमी किया जा रहा है, जिसके लिए उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक पिपरी एवं उप संभागीय परिवहन अधिकारी समस्त थानाध्यक्षों तथा चौकीप्रभारियों को निर्देशित किया गया परियोजनाओं के प्रतिनिधियों को साथ में लेकर सधन जांच की जाये तथा किसी भी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी बिना पूर्णतया मोटी त्रिपाल से ढके पायी जाती है तो उसके विरुद्ध उक्त वाहनोंको सीज करने की कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जाये तथा कम्पनी प्रतिनिधि उस ट्रांसपोर्टर को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही अबिलम्ब सुनिश्चित करें । इसी कम्प में यह भी तथ्य में आया कि आदित्य विड़ला केमिकल्स रेनूकूट द्वारा जो कोयला परिवहन किया जाता है उसे एन0सी0एल0 के बेटिंग प्वाइंट से ही सील करके भेजा जाता है एवं वहां पर सील का परीक्षण करने के उपरान्त ही प्राप्ति स्वीकार किया जाता है। सभी कोयला कय करने वाली कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि अपनी सभी ट्रकों/डम्फरों को बेटिंग प्वाइंट से सील कराने के पश्चात ही परिवहन करें तथा सील का परीक्षण कराने के उपरान्त ही प्राप्ति स्वीकार करें तो कोयला चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।रेनूसागर परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि कोयला के परिवहन हेतु रोपवे बन कर प्रारम्भ हो गया है।

57

सभी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि मोटी वाटर प्रूफ कपड़े के तिरपाल से पूर्णतया ढककर उसे अच्छी तरीके से बांधकर ही सड़क से परिचालित किया जाय। थानाध्यक्ष शक्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि डम्फरों एवं ट्रकों पर जो चालक नाबालिग दिखते हैं उन्हे रोकने पर उनके पास भी लाईसें पाया जाता है उसपर सजगता बरने का अनुरोध किया गया, जिसके लिए उप संभागीय परिहवन अधिकारी को अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक अनपरा तापीय परियोजना द्वारा कथन किया गया कि वन विभाग का चेक

मुख्य महाप्रबंधक अनपरा तापीय परियोजना द्वारा कथन किया गया कि वन विभाग का चेक पोस्ट व॰संग्रहण केन्द्र होने के कारण ट्रकों के खड़े रहने के कारण दोनों तरफ जाम लगा रहता है तथा वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती है व दुर्घटनायें भी होती हैं,जिसको डिबुलगंज के आगे प्रतिस्थापित कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी,रेनूकूट सोनभद्र से वार्ता कर हल कराया जायेगा।

2- वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर काफी कोयले की धूल सड़क एवं उसकी पटरियों पर जमा हो गया है और बीना परियोजना से खड़िया परियोजना तक राख की सफाई अभी तक नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में निर्देशित िया गया कि राख की सफाई बीना परियोजना से पेट्रोल पम्प कोहरौलिया तक रेनूसागर पावर परियोजना,रेनूसागर सोनभद्र एवं पेट्रोल पम्प कोहरोलिया से पी0डब्ल्यू0 डी0 मोड़ तक लैंको पावर परियोजना, अनपरा सोनमद्र द्वारा करायी जायेगी तथा पानी का छिड़काव प्रतिदिन लैंको पावर परियोजना अनपरा सोनभद्र के गेट से कोलगेंट रेनुसागर तक लैंको पावर परियोजना एवं कोलगेट रेनूसागर से खड़िया परियोजना तक रेनूसागर घावर परियोजना द्वारा कराया जायेगा। इस कम में थानाध्यक्ष, अनपरा द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क पर चलने वाले कोयला परिचालितत वाहनों पर तिरपाल सही ढंग से नहीं बंधा होता है ,जिसके कारण अगल बगल से कोयला का चूर्ण सड़क पर गिरकर वाहनों के गति के कारण पटरियों पर इकठ्ठा होकर जम जाता है तथा सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता है जो बहकर पटरियों पर आता है, जिससे कीचड़ हों जाता है और दुपहिया वाहन सवारों द्वारा दुर्घटना होने के बचाव से नीचे जतरने पर फिसलकर सड़क पर गिर जाते है तथा भारी वाहनों के चपेट में आकर घायल हो जाते है तथा गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के दौरान या उससे पूर्व ही मृतक भी हो जाती है दो माह के अन्दर बारह--तेरह मौते हो चुकी है। इसपर अधिशासी अभियंता द्वारा कथन किया गया कि औड़ी मोड़ से शक्तिनगर तक फोर लेन मार्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस पर परिगोजनाओं के उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि पटरियों पर जमे कोयला की घूल को पहले साफ कराकर फिर पानी का छिड़काव कराया जाय तथा सड़क के दोनो तरफ 10–10 फ़ीट इंटरलाकिंग लगवाकर डिबुलगंज से शक्तिनगर तक निर्माण कराया जाय, जिसपर मुख्य महाप्रबंधक अनपरा तापीय परियोजनाद्वारा कार्यन किया गया कि अनपरा तापीय परियोजना का कोयला सड़क मार्ग से नहीं आता है फिर भी दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौपीं जायेगी उसका अनुपालन जनहित में अबिलम्ब किया जायेगा तथा उपस्थिति अन्य परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से अपील किया गया कि यदि अपने लाभांश का 2 प्रतिशत भी यदि खर्च कर दिया जाये तो यह समस्या का निदान हो जायेगा तथा दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग जायेगा। अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि तत्काल डिबुलगंज से शक्तिनगर उ०प्र० की सीमा तक सभी परियोजना को कितने–कितने दूरी तक उन्हे पटरियों का निर्माण कराया जाना है ,उसको विभक्त एवं निश्चित करके आज ही सम्बंधित परियोजनाओं को उपलब्ध करा दें तथा सभी परियोजनायें तथा उसपर अमल कर अबिलम्ब निर्माण कराना सुनिश्चित करें।

रेनूसागर पावर परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा अयगत कराया गया कि कोलगेट से बीना तक 17 मजदूर लगाकर प्रतिदिन सफाई करायी जाती है तथा उसके बाद पानी का छिड़काव कराया जाता है। थानाध्यक्ष शक्तिनगर द्वारा कथन किया गया कि कभी स्वीपिंग मशीन नहीं चलती है तथा पानी का छिड़काव नहीं कराया जाता है । अधिशासी अभियंता लोक निर्माण दिभाग के प्रतिनिधि द्वारा कथन

58 अधिकार क्षेत्र में आता है ,जिन

किया गया कि डिबुलगंज से औड़ी मोड़ तक का क्षेत्र प्रांतीय खण्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है ,जिनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इनके क्षरा यह भी अवगत कराया गया कि उनके पास बजट उपलब्ध नहीं है तथा कोयला परियालित वाहनों के आवागमन के कारण सड़क एवं उसकी पटरियां अतिग्रस्त हुई हैं, यदि उसपर दुर्घटना होकर कोई घायल होता है या मृत्यु होती है तो उससे कोई मतलब लोक निर्माण विभाग से नहीं है। फिर भी प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक अनपरा तापीय परियोजना द्वारा गंभीरता से लेते हुए सभी प्रतिष्ठानों से अपील की गयी तथा लोक निर्माण विभाग को पूर्ववत् निर्देश जारी किये गये । सड़क की पटरियों का इंटरलाकिंग किये जाने हेतु मुख्य महा प्रबंधक, अनपरा तापीय परियोजना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि समीक्षा करके परियोजनाओं से पटरियों की इन्टरलाकिंग करायें तथा प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। धानाध्यक्ष शक्तिनगर द्वारा यह भी कथन किया कि सड़क पर जो ब्रेकर बने हुए हैं वह आधे से अधिक दूट चुके हैं जिसकी पुनः मरम्मत कराकर उसपर रेडियम लगवाया जाय। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

3- कोल, उस्ट स्वीपिंग मशीन का प्रयोग नियमित रूप से किया जायेगा । रेनूसागर परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्वीपिंग मशीन का प्रयोग प्रत्येक मंगलवार को रेनूसागर मोड से सिंगरौली रेलवे स्टेशन तक एवं प्रत्येक शनिवार को बीना परियोजना से औड़ी मोड़ तक किया जाता है , जिससे काफी हुद तक प्रदूषण से राहत मिल रही है। थानाध्यक्ष अनपरा द्वारा कथन किया गया कि स्वीपिंग मशीन नहीं चलती है एवं उप संभागीय परिवहन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीपिंग मशन पंजीकृत नहीं है, जिसको पंजीकृत कराने हेतु रेनूसागर पावर परियोजना के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि रोस्टर के अनुसार स्वीपंग मशीन से पटरियों को साफ कराकर पानी का छिड़काव कराया जाय एवं स्वीपिंग मशीन का पंजीयन करा लिया जाये।

4—इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के प्रतिनिधि को यह निर्देश दिया गया कि समय—समय पर वायु एव जल प्रदूषण का तकनीको सर्वेक्षण एवं सम्बंधित परियोजनाओं के वाटर डिस्चार्ज का निरीक्षण किया जाय एवं शासन के साथ जिलाधिकारी महोदय को भी जांच आख्या की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा यह कथन किया गया कि दिनांक 08.01.2014 से लगातार जांच की जा रही है, जिसके रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।,जिसकी एक प्रति जिलाधिकारी महोदय को ज उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

05-- दिनाक 25.12.2012 एवं दिनांक 22.12.2013,25.03.2014,30.04.2014 दिनांक 14.09.2015 एवं 25.10.2015,01.04.2016,17.06.2016 की बैठक में दिये गये निर्देशों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

06- ट्रकों / इन्फरों एवं बल्करों पर खलासी की व्यवस्था अबिलम्ब सुनिश्चित करायी जाय। इस सम्बन्ध में परियोजनाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि माइन्स के अन्दर खलासी नहीं जा सकते हैं। पुनः उन्हे निर्देशित किया गया कि परियोजना के बाहर सड़क पर परिवहन करते समय खलासी की अनिवार्यता हैं, जिसपर सभी परियोजनायें प्रभावी कार्यवाही करें।

07- खड़िया परियोजना से डिबुलगज तक एवं गाढ़ा बैरियर से बावूराम सिंह महा विद्यालय खाड़पाथर तक 20 किमी0 प्रतिघंटा तथा बीच के रास्तों में 30किमी0 प्रतिघंटा सीमित रखी जाय स्थान-स्थान पर गति सीमा कम करने हेतु बोर्ड लगाया गया है । इस कम में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा यह अवगत कराया गया कि 03 एल0इ0डी0 मगाई गयी थी ,जिसे शक्तिनगर ,अनपरा, रेनूकूट में प्रतिस्थापित करा दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि जगह-2 सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाकर उसके माध्यम से भी गतिसोमा को नियंत्रित करने हेतु निगरानी की जाय तथा अनुपालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सीज करने की कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जाये।

08-- परियोजनाओं को निर्देशित किया गया कि परियोजनाओं के गेटों पर सचेत करने के लिए सिंबल लगाये जायेगे।इस सम्बन्ध में परियोजनाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कथन किया गया कि सिंबल लगाये गयें हैं। 09- ट्रकों का नम्बर और फिटनेश ठीक हो तथा टेल लाईट जलती हो।इस सम्बन्ध में परियोजनाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कथन किया गया कि अनुपालन कराया जा रहा है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि तमाम वाहनों की टेल लाईट नहीं जलती है। इस सम्बन्ध में उप संभागीय परिहवन अधिकारी एवं धानाध्यक्षों का निर्देशित किया गया कि आज से ही अभियान चलाकर प्रभवी कार्यवाही अमल में लायी तथा फोटोगाफ सहित अवगत कराया जाये।

10-- परियोजनाओं के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि निकलने वाली राखों का भण्डारण रिहन्द में न किया जाय तथा पानी को रिहन्द जलाशय में न बहाया जाये क्यों केमिकल शुदा पानी में तरह –तरह के कीटाणु होते हैं एवं जन समान्य को तरह–2 को बीमारियां उत्पन्न होते। हैं इस सम्बन्ध में परियोजनाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कथन किया गया कि राख एवं पानी का मण्डारण ऐश डेम में किया जाता है एवं पानी का रिसाईकिलंग कर पुनः उपयोग में लाया जाता है, जिसके वाटर ट्रीटमेंट प्लाट लगा हुआ है।

11--बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता रिहन्द बाध द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास केवाल रिहन्द बांध के अनुरक्षण का ही कार्य है तथा समस्त परियोजनाओं से अनुबंध उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लिं0 पिपरी--सोनभद्र द्वारा किया जाता है तथा रिहन्द जलाशय में जिन उद्योगों द्वारा औद्योगिक कचरा, पानी या रसायन बहाया जाता है ।अधिशासी अभ्यिता उठप्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रिहन्द जलाशय की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता, रिहन्द बांध सिविल खण्ड की है तथा उनके पास स्टाफ एवं उप राजस्व अधिकारी भी है जिनको स्पेशल मजिस्ट्रेट का अभिकर निहित है के द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा जो भी ब्यय आता है उसका भुगतान उठप्र0 जल विद्युत निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

12—बैठकमें उपस्थित अधिशासी अभियंता जल निगम से यह पूछने पर कि उनके द्वारा कितने हैण्डपम्पों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट की स्थापना करायी गयी है तो उनके द्वारा 1094 की संख्या बतायी गयी । इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोर अप्रसन्नता ब्यक्त की गयी क्यों कि उनके द्वारा दिनांक 14.09.2015 की बैठक में भी यही संख्या बतायी गयी थी तथा यह प्रतीत हो रहा है कि सम्बंधित अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही भी नहीं किया जा रहा है। उन्हे निर्देशित किया गया कि मीषण गभी में हैण्डपम्पों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है राथा भोने के पानी की अनुपलब्धता हो गयी जिसका तत्काल सर्वेक्षण कराकर टैंकर के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायें तथा अभियान चलाकर हैण्डप्रम्पों में फ्लोराईड ,मरकरी आदि की जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत भी करायें।

इसी कम में अवगत कराना है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने एवं मानसून सन्न में जल संयन हैतु तहसील दुद्धी में तीनों विकास खण्डों के अर्न्तगत ग्राम सभाओं स अब तक 70 टैंकर की खरीद ग्राम सभाओं से की जा चुकी है तथा 146 हैण्डपम्पों में समरसेबल लगाया गया है एवं 60तार्लाबों की गहरी खुदाई का कार्य चल रहा है, जिससे बरसात का पानी संचित कर भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाया जा सके। समरसेबल को चलाने हेतु ग्राम सभा से जनरेटर भी क्य कराया गया है। भा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनाक 13.05.2014 के अनुपालन में बृहद परियोजनाओं से 45 गग्रमों में 97 आरoओo प्लांट लगाये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया,जिसमें 14 ग्राम पाईप लाईन से आच्छादित होने के कारण 83 आरoओo प्लांटों का स्थापना कराया गया तथा 26 अतिरिक्त ग्रामों में आरoओo प्लांट की स्थापना कराये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है,जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ग्राम आवंटित करते हुए आरoओo प्लांट लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

आर0 ओ0 प्लांट से वेस्ट पानी निकलने के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु जल निगम को निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक उनके द्वारा सत्यापन कराकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक न प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के कारण तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । प्रस्ताव /योजना प्राप्त होने पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जपरोक्त निर्देशों का बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया तथा अनुपालन कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। सिंगरौली एक्शन प्लान एव मा० न्यायाधिकरण द्वारा गठित समितियों की संस्तुतियों के सम्बंध में प्रस्तरवार समीक्षा एवं सिंगरौली एक्शन प्लान की समीक्षा का विवरण अलग से संलग्न है।

13-- उद्योगवार समीक्षा करने करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि एन0सी0एल0 परियोजनाओं में कार्यरत किसी भी आउठ सोसिंग कम्पनियों द्वारा अभी तक पंकज कुमार मिश्र व चौधरी यशवंत सिंह में प्रतिवादी होने के वावजूद प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आउठ सोर्सिंग कम्पनियों पर एन0सी0एल0 के मुख्य महाप्रबंधकों का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है तथा अनुबंध के खिलाफ तमाम कार्य किये जा रहे हैं जिसमें एन0सी0एल0 बीना में कार्यरत जी0एस0सी0ओ0,स्वामी नारायण आदि प्रमुख रूप से है, जिसकी अलग से बृहद जांच प्रशासनिक स्तर पर कराये जाने का निर्णय लिया गया। सभी एन0सी0एल0 प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि सभी आउठ सोसिंग कम्पनियों से दिनांक 30.08.2016 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर उसकी प्रति दिनांक 31.08.2016 से पूर्व इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये । सी0एम0डी0 महोदय सिंगरौली भी इस प्रकरण पर गभीरता से ध्यान देते हुएकार्यवाही सुनिश्चित करायें। प्रकरण काफी गंभीर है।यदि कोई विपरीत निर्णय मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आउट सोर्सिंग कम्पनियों, एन०सी० एल० महाप्रबंधकों की होगी!

उपरोक्तानुसार विचार बिमर्श के बाद सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(गिरजा शंकर सिंह) उप जिला मजिस्ट्रेट, दुद्धी-सोनभद्र।

60

कार्यालय उप जिला माजस्ट्रेट दुद्धा-सानगद्र दि नांक 16 अगस्त 2016

पत्रांक 320/आ0लि0---बैटक/2016 प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- जिलाधिकारी मडोदय, सोनमद की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

02- पुलिस अधीक्षक, महोदय,सोन्भद्र की सेदा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

03- पुलिस उपाधीक्षक पिपरी/दुद्धी--सोनमद्र।

04- अधिशासी अभियंता, ७०४० जल विद्युत उत्पादन निगम लि0, पिपरी-सोनभद्र। 05-- अधिशासी अभियंता, रिहन्द बांध सिविल खण्ड, पिपरी-सोनभद्र।

- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूष्ण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद्र।

07-- मुख्य चिकित्साधिकारी,सोनमद्र।

- मुख्य महाप्रबंधक,अनपरा तापीय परियोजना,अनपरा--सोनभद्र। ।

09- महाप्रबंधक,एन०टी०पी०सी० रिहन्द नगर/शक्तिनगर-सोनगद्र।

– महाप्रबंधक,, रेनूसागर पायर डियीजन,रेनूसागर–सोनमद।

- महाप्रबंधक,डाला सीमेंट फेक्ट्री, डाला -सोनभद।

13- मुख्य महाप्रबंधक, ओवरा तापीय परियोजना ओबरा-सोनभद्र।

14-- अधिशासी अभियंता,विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय पिपरी--सोनभद।

15- महाप्रबंधक, आदित्य विडला केमिकल्स, रेनूकूट--सोनभद्र।

16- महाप्रबंधक. हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनूकूट--सोनभद्र।

17- खान अधिकारी,सोनभद्र।

18- अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,सोनभद्र।

19- उप संभागीय गरिवहन अधिकारी,सोनभद्र।

20- महाप्रबंधक,लैंको पावर परियोजना,अमपरा-सोनभद्र।

2:- महाप्रबंधक,एस0के0आई0कार्बन प्लांट,मुर्धवा--सोनंभद्र।

22- भराप्रबंधक एन०सी०एल० ककरी/बीना/खड़िया/कृष्णशिला/दुद्धीचुआं-सोनमद्र। 23- प्रमागीय वनाधिकारी रेकूट वन प्रमाग ,रेनूकूट--सोनभद्र।



4000-12-02 P-6 कोरलेन जनाळदिव्य हर 司行書 मार्ग के जुढ़ जाचेता तथी आचारामत गराम चाल्लायगा 同時間 सन्दर्भ आतं प्रचाशनी तक 面的和 1111 की आहा के आले. उत्त माध्य प्रति स मार्ग (एस)(पी.सच) पर पहुंचको जिससीह की जन हो स्तायमी क्रियर मार्गाए अभी तक श्यीकृति प्राप्त नहीं हुई।है নাগৰ নাগ কাকানসিয়ায়ান नेपाल किने राजे हैं। जिल्हा ज RULLING TO क मारी

1 सार्ध्रीय हरितः न्यायाधिकरण,नई दिल्ली द्वारा मूल प्रार्थना पत्र सं0 20/2014 जगत किंग्वकर्मा व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य- तथा अश्वनी कुमार दूबे बनाम यूनिगेन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.05.2014 के अनुपालन हेतु अघोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज दिनांक 18.05.2014 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त। अपूर्व सूचना के आधार पर बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे---🚛 01— - श्री महेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी,सोनभद्र। 02- ,, मनीलाल यादव, अपर जिलाधिकारी,सोनभद्र। 903- ,, अभय कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, दुद्धी-सोनभद्र। ., राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, उप जिलाधिकारी,सदर-सोनभद्र। 404-**3**05-., कालिका सिंह,क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद्र। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, सोनभद्र। 06-माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनाकः 13.05.2014 की प्रतिलिपि सभी अधिकारियों जेको उपलब्ध करायी गयी और मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक: 17.05.2014 की बैठक के अकार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिए गए। पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, सोनगद्र द्वारा अपर्यावरण एवं वन मंत्रीलय, नई दिल्ली के पत्र संख्या जे 11013/5/2010 आईए द्वितीय(प्रथम) दिनांक 15 मार्च अभितथा उउराके साथ संलग्न किटिकली प्रदूषित क्षेत्रों की सूची उपलब्ध करायी गर्भा,जिसमें--सिंगरौली इण्ड्रस्टीयले एरिया के 12 कलस्टर उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं। इन कलस्टरों से सम्बंधित ग्रामों अथवा क्षेत्र का कोई विवरण प्रदूषण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, राजस्व विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों से कलस्टरों के सभीपवर्ती ग्रामों के नाभों की जानकारी की गयी तो कुल 343 ग्राम बताये गये। राजरव विभाग द्वारा बताए गए ग्रामों के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद्र द्वारा पुष्टि करते हुए बताया गया कि ग्राम खैराही अगोविन्दपुर) तथा कुसुम्हा भी प्रदूषण से प्रभावित हैं अतः इन 02 ग्रांमों को सम्मिलित करके कुल 45 ग्रामों में व्यवस्था किया जाना है,इन 45 ग्रामों में समस्त ग्राम सम्मिलित हैं,कोई ग्राम छूटा नहीं है। मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मा० न्यायाधिकरण के आदेश के ूअनुपालन में प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु उ०प्र० जल निगम के अधिकारियों को चिन्हित किए गए 45 ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिनके सम्बन्ध में यह अताया गया कि 11 ग्रामों में पूर्व से ही पाईप पेयजल योजनाओं के अन्तगत पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इस कारण अवशेष 34 ग्रामों के लिए टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जाना है, जलनिगम द्धारा टैंकरों को आज से ही पेयजल भेजा जा रहा है, जो सभी ग्रामों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करेगें । साथ ही इन 34 ग्रामों में जो हैण्डपम्प लगे हैं उनके पानी तथा जिन 11 ग्रामों में पाईप से र येयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके पानी का सैम्पिल भी टेस्ट करागा जाय। जिससे स्पष्ट हो सिके कि किन ग्रामों /क्षेत्रों में स्थाई व्यवस्था होने तक टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता दोगी । (कार्यवाही- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र / अधिशासी अभियन्ता , उ०प्र० जल निगम सोनभद्र)

टकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तात्कालिक रूप से प्रारम्भ कर दी गयी है जो आदेशों तक अनवरत जारी रहेगी। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि 4 द में टैंकरों के पहुंचने तथा पानी वितरण के फोटाग्राफ्स भी बनवायें तथा राजस्व विभाग के अंधेकारियों को निर्देशित किया गया कि वह टैंकरों द्वारा पानी वितरण का सत्यापन भी करायें। यह कोटोग्राफ्स तथा सूचनायें कल दिनांक 19.05.2014 को दोपहर तक संकलित कर लिये जाये ताकि उन्हे उ0प्र0 शासन के पर्यावरण विभाग को भेजा जा सके।

(कार्यवाही— मुख्य विकास अधिकारी,सोनभद्ग / अपर जिलाधिकारी,सोनभद्ग / क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र0... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद्र अधिशासी अभियन्ता ,उ०प्र० जल निगम सोनभद्र / उप जिलाधिकारी,दुद्धी / रावर्ट्सगंज—सोनभद्र)

सूचीबद्ध किये गये 34 ग्रामों में उनकी आबादी तथा बसावटों की दूरी को ध्यान में रखते हुए जल निगम तथा प्रदूषण विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा शीघातिशीघ्र स्थल चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया । बैठक में शासन की ओर से जल निगम द्वारा भेजे गये तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित आये ,जिन्होने आर0ओ0 की क्षमता और उनको स्थापित किये जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में बताया गया ,जिसे जल निगम के स्थानीय अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया गया। जल निगम द्वारा मण्डल के समस्त अभियंताओं की टीम बनाकर लगाये जाने वाले आर0ओ0 की क्षमता के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्तुत करने के निर्देश सूची प्रस्तुत की जाय, जिससे शासन को अवगत कराया जा सके।

宁 (कार्यवाही— मुख्य विकास अधिकारी,सोनभद्र⁄अधिशासी अभियन्ता ,उ0प्र0 जल निगम 🕞 सोनभद्र⁄उपजिलाधिकारी,दुद्धी⁄रावर्ट्सगंज—सोनभद्र)

अार0ओ0 लगाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने बताया कि सदस्य/सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 19 बृहद औद्योगिक इकाईयों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं, जिनकी प्रति प्रस्तुत की गयी तथा बताया कि आर0ओ0 स्थापित करने हेतु रथल का चिंहाकन होने पर सम्बंधित 19 बृहद औद्योगिक इकाईयों को जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र की ओर से भी प्रदूषण विभाग के नोटिस के कम में दिनांक 20.05.2014 को नोटिस जारी कर दिया जायेगा। क्षेत्रीय आधिकारी द्वारा नोटिस का आलेख तथा 19 इकाईयों की सूची भी प्रस्तुत की गयी निर्णय लिया गया कि दिनांक 20.05.2014 को पूर्वांह में पर्यावरण, जल निगम एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक अपरान्ह 03.30 बजें रेनूकूट में आयोजित की जाय तथा दिनांक 20.05. 2014 को अपरान्ह: तक-सूचना पर्यावरण–विभाग को प्रेषित की जाये।

रिंतार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी ,सोनभद / क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्रठ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद) गोविन्द बल्लभ पंत सागर (सिंहन्द जलाशय) के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार का औद्योगिक / माइनिंग / घरेलू अपशिष्ट निस्तारित न किये जाने के सम्बंध में रिहन्द जलाश्चम के सम्बंधित अधिशासी अभियंता, रिहन्द बांध सिविल खण्ड ,पिपरी–सोनभद्र को निर्देशित किया कि वह आज ही पर्याप्त संख्या में बोर्ड बनवालें तथा रिहन्द बांध के समीप एवं कैचमेंट एरिया के समीप ऐसे स्थानों पर, जहां जन सामान्य का आवागमन रहता हो तत्काल बोर्ड स्थापित कराये जाय, साथ ही

कारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद्र को निर्देशित किया गया कि निर्देशानुसार त उद्योगों को इस आशय का नोटिस जारी करा दें।

> (कार्यवाही --अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द बांध सिविल खण्ड ,पिपरी-सोनभद / क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र)

बैठक के अन्त में सभी को निर्देशित किया गया कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण ,उ०प्र० शासन के पत्र-दिनांक 17:05:2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में नियत तिथि 21.05.2014 से पूर्व प्रतिशपैथ पत्र दाखिल कराया जाना है, इसलिए समस्त सूचनायें कल दिनांक 19.05.2014 को अपरान्ह तक अनिवार्य रूप से तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय ताकि वह प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग / निदेशक पर्यावरण निदेशालय को समय से प्रेषित कर सकें। समस्त अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि वह अनुपालन से सम्बंधित आख्यायें सुरपष्ट एवं समय से सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं संस्तुति के साथ उपलब्ध करायें ताकि सूचनाओं में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हाने पाये।

(कार्यवाही-- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमंद्र / अधिशासी अभियन्ता , उ०प्र० जल निगम सोनभद्र / उप जिलाधिकारी,दुद्धी / रावर्ट्सगज-सोनभद्र)

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का समय से अनुपालन किये जाने हेतु आश्वेरत किया गया । तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही समान्त की गयी।

> SMIA (चन्द्रकान्त) जिलाधिकारी, सोनभंद्र ।

जिलाधिकारी, सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी,सोनभद्र।

पत्रांकः 45.60/स्न और क्षे0अ0प्र0नि0बो0सोनभद्र / 2014 दिनांक 18.05.2014 प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 01-प्रमुख सचिव,पर्यावरण,उ०प्र०शासन ,लखनऊ। are the the destant

- 02-आयुक्त महोदय, विध्याचल मण्डल, मीरजापुर ।
- 03–मुख्य विकास अधिकारी,सोनभद्र।
- 04-अपर जिलाधिकारी सोनभद्र।

- 05–उप जिलाधिकारी,दुद्धी–सोनभद्र।
- 06--उप जिलाधिकारी, रावर्ट्सगंज --सोनभद्र।
- 07-क्षेत्रीय अधिकारी. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सोनभद्र।
- 08-अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
- 09-अधिशासी अभियंता, रिंहन्द बांध सिविल खण्ड ,पिपरी-सोनभद्र

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.05.2014 में सम्मिलित क्लस्टर / ग्राम / मजरों का विवरण :--

कम संख्या	क्लस्टर का नाम	क्लस्टर के अन्तर्गत पडने वाले	ग्राम के मजरे
NGAI		ग्राम	
1	2	3	4
1	डाला टोला	डाला टोला	डाना टोला
2	ओबरा	ओबरा	गवरा
3	रेणुकूट	रेणुकूट	······································
4	रेणुकूट	खाडपाथर	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	• रेणुकूट	टाडपाथर	4 1
6	रेणुकूट	बलहत्थी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7	रेणुकूट :	मुर्धवा	पूर्व से पाइप लाईन से आच्छादित।
8	अनपरा	अनपरा	पूर्व से पाइप लाईन एन आरओ से आच्छादित।
9	अनपरा	बेलवादह	
10	अनपरा	काशीमोड	
11	अनपरा	पिपरी	
12	अनपरा	कुलडुमरी आशिक	पूर्व से पाइप लाईन एवं आरओ रो आच्छादित।
13	अनपरा	औड़ी	पूर्व से पाइप लाईन एवं आरओ से आच्छादित।
14	रेणुसागर	परासी	पूर्व से पाइप लाईन सं आन्छादित।

E. E. Ch

Page 3 of 5

. Nv 52

Ġ

ł

\$

1 -> 5 P PP

	15	रेणुसागर	गरबन्धा	•
	16	रेणुरमागर ·	परतलिया	
	17	ककरी 🚓	ककरी	पूर्व से पाइप लाईन सं आच्छादित।
1.	18	ककरी	रेहटा	· · · <u>-</u> ···
ľ	19	ककरी	बासी	
	20	दुद्धीचुआं	परियोजना कार्यालय गेट के पास	
-	21	बीना	जमशीला	पूर्व से पाइप लाईन स आच्छादित ।
	22	• बीना	बरवानी	
	23	बीना	चन्दुआर	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	24	बीना	धरसड़ी	
	25	बीन्।	कोहरौल	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	26	बीना	कोहरौलिया	
	27	बीना	मिसिरा	
	28	बीना	भैरवा	
	29	बीना	योगीचौरा	··· ···· · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
•	30	बीना	मर्रक	
	31	खडिया	खड़िया	पूर्व से पाइप लाईन से आच्छादित।
	32	खड़िया	चिल्काटांड आंशिक	
	33	खड़िया	परसवार राजा	

d d d d d d d d d d d d d d d d -9 => -9 => nnn nn nn nn n n n

ならななり、ためたいとなっていたななりなりないという。

2a •

•

Lal.r.

Page 4 of 5

DN

53

3 1 3 A S

ф ;

पूर्व से पाइप लाईन से शक्तिनगर कोटा .34 आच्छादित । चिल्काटांड आंशिक शक्तिनगर 35 परसवार बाबू शक्तिनगर 36 शक्तिनगर परसवार चौबे 3 37 रानीबारी शक्तिनगर 38 शक्तिनगर बडवाभटवारी 39 3 पूर्व से पाइप लाईन से रिहन्दनग्र डोडहर 3 40 आच्छादित। रिक्स्सोती 3 रिहन्दनगर 41 し、し नकटू अधौरा रिहन्दनगर 42 बीजपुर पूर्व से पाइप लाईन से बीजपुर 43 3 आच्छादित । 3 18/27/4 3 उप जिलाधिकारी क्षेत्रीय अधिकरी. उप जिलाधिकारी अधिश्मार्सी क्षभियन्ता 3 जल निगम रावर्ट्सगंज उ०प्र0नि0बोर्ड **दुद्धी** ् सोनभद्र। 🥷 सोनभद्र । सोनभद्र। 3 सोनभद । 3 पतोरार्ड रेन उपरोक्तन के आतिरिक्त भूग के जल्ड में रेप्रआवित याज. क्रस्मा रून छेराती (कोमनेनुसपुर) भी सममाकित किपा ज्यना है। 3 \$ 875/14 0.0 10-0. ٢. 0 Page 5 of 5

मुख्य चिकित्साधिकारी WINNEL

महानिदेशक. शिकित्सा एवं स्वत्त्वस्य संवास

खत्तर प्रदेश. NISITIST |

UGEE

valia golaosio/ wito/2017-18 11/38

दिशांक 2,4 जन 207 विषय – अधोहलाइश के अधार कि संदर्भ रहत अस्थल के लिल्सामस्थ्र कि जिल्लामस्थ्र के जिल्लामस्थ्र

जमरोक्त विषय के सण्डी में। अरतात क्रयूका है कि 60 रोन्सा सहत संययत मिलिल्सालय अनपुरा सोनमद में स्थापित किंद्रा गरा है। जो मुख्यालय संका00 किलोमीडर दुर पर स्थित है। जहाँ यह अधिकांशतः आदिवासी रहाँ गरीब जनता निवास करती है। प्रत्येक प्रकार की जिकिस्तीय पुविभा जपलब्ध ज होने के व्यासम गरीव पुर्व सिरीई जनता यरेशान होती रहती है। उत्तर सिंसिल्लालय में प्रत्येक यूनिटवार सिंकित्सवा /विशेषहा एवं प्रेरामेडिव्रान स्टास स्टीकृत है लेकिस विशेष कर सिशेषेची की अत्यन्त कमी सने के कारण जनहिता में: पूर्ण कर्ष सेवा प्रहान करता समाव नही हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी राग है कि जवत चिकित्सालय यदि पहिल्क ग्राईतेन पार्टनरशिम के अन्तर्गत को जाता तो वहीं पर पुर्शरूप से जनला को स्वास्थय को सदिसा उपलब्ध हो जाती।

अतः आपसे अनुरोध हैंंेकि उपरोक्त परिस्थितियों मरे। दृष्टिमत रखते हुए उपत चिकित्सासय को पब्लिक प्राईवेठ पार्टनरशिप हेलु स्वीकृति प्रवान कराने का कन्द्र करें, जिससे जनहित में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा प्रदान हो सके

> मुख्य विकित्साधिकारी सम्लाह तद्दिलाक-

TO ST

मन्नाम-सुर्वनि०३१० / स्थार्त / २०१७ – १८

प्रसितिषि–निम्नलिखित को सुझनार्थ प्रेपित।

1-सिशन निदेशक, साध्रीय स्वाख्या मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 2-अपर मुख्य सहिव मिकिस्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जत्तर प्रदेश लखनज

8. S.

इन्झपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विक्याचल भण्डल, मिर्जापर। 4-जिलाधिकारी महीतय सोनमंद।

सुख्य मितित्साधिकारी,

PRADHAN MANTRI KHANIJ KSHETRA KALYAN YOJANA

Background

After agriculture, mining is the second largest employer in India. Most of India's minerals are located in forest areas inhabited by tribal, backward and deprived population. It can be argued, that the nation's unemployment problem could have been solved to a great extent, and inclusive development achieved with exemplary standards, had this sector been accorded the importance it deserves.

The present government, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, amended the MMDR Act in early 2015. Amid other significant improvements, the new Act addressed two root issues underlying the mining sector:

- a) Reinvigorating the mining industry by bringing in transparency and laying greater emphasis on exploration
- b) Distributing the fruits of prosperity achieved through mining to affected people for stable mining atmosphere

It is for the latter cause, that for the first time in the history of India, a separate fund was earmarked and established exclusively for the social and economic upliftment of mining affected people and places. The MMDR Amendment Act 2015 provides for District Mineral Foundation, or DMF, and mandates that all State Governments have to establish a DMF in each district affected by mining operations. To preserve the virtues of Cooperative Federalism, the Act empowered State Governments to frame rules pertaining to DMF.

Addressing the nation at large from the ramparts of Red Fort on Independence Day 2015, Hon'ble Prime Minister Shri Modi ji announced that the government would introduce a scheme for the welfare of people and development of area affected by mining.

• The Scheme

In September 2015, the Ministry of Mines has issued Guidelines for using the funds accruing to DMF. Called as the *Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana* (PMKKKY), this scheme will be binding on State Governments.

Encompassing all facets of development, social and economic, immediate and long-term, the *Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana* rests on three main objectives:

- 1. To implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas that complement the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government
- 2. To minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and
- 3. To ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

The objective has been spelled out clearly so that the end goal remains prominent in its clarity: causing substantial improvement in the quality of life.

RAJASEKHAR REDDY-9393306845

rajproton@gmail.com

mang-05 P.14 56

Highlights of the Scheme

Here are some pertinent facts concerning the scheme, which may come in handy for administrators, legislators and citizens concerned:

- ü The Scheme is applicable with effect from January 12, 2015
- ü Mining leases executed before 12th January, 2015 will have to contribute an amount equal to 30% of the royalty payable by them to the DMFs
- ü Mining leases granted after 12th January, 2015 through auction will contribute an amount equivalent to 10% of the royalty payable
- ü The total fund generated under this scheme is expected to be around Rs 6,000 crore per annum

The System in the Scheme

To ensure that PMKKKY serves to enhance lives of mining affected people on a sustained basis, the Government envisaged that the funds of DMF must also be spent in the most optimum way possible. It intended that the PMKKKY should function as a self-sustaining system of support, and not as one-time Government sop. Hence, it was crucial to guard this scheme against the trap of populist measures. Caveats have therefore been installed to ascertain that important tasks are not sacrificed at the hand of urgent tasks.

The scheme earmarks 60% of expenditure of this fund for high priority areas, and 40% towards other priority areas. Areas included under each head comprise:

in an	Oth Think Ances
Drinking water supply	Physical infrastructure
Environment preservation and pollution control measures	Irrigation
Healthcare	Energy and Watershed Development
Education	Any other measures for enhancing environmental quality in mining district
Welfare of Women and Children	
Welfare of aged and disabled people	
Skill development	
Sanitation	

RAJASEKHAR REDDY-9393306845

rajproton@gmail.com

357

Intended beneficiaries of the Scheme

Cutting out all ambiguities, the PMKKKY clearly lays out the definition of:

- 1. Directly affected areas: Where, *inter-alia*, direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal etc. are located.
- 2. Indirectly affected areas: Where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations. These could be deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water etc.
- 3. Affected people/ communities: Families identified as 'Affected family' and 'Displaced family' as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, and other families identified in consultation with *Gram Sabha*.

In line with these definitions, it mandates the DMF to maintain a list of people and places under these categories, who will be considered as the actual beneficiaries of the PMKKKY scheme.

Special provisions for scheduled areas:

The process of utilization of PMKKKY funds shall be guided by the provisions contained in Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. The Gram Sabha of affected villages to have major say in approval of plans and inspection of reports.

Other features of the scheme:

- The corpus of PMKKKY should, preferably, be dovetailed with the ongoing and existing welfare plans mooted by Centre/ State
- An amount not exceeding 5% of the annual receipts of the Foundation subject to an upper limit fixed by state government may be utilised for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation
- Staff/ manpower for implementing the PMKKKY scheme to be taken on contractual basis; no scope for permanent employment
- For mining affected areas which fall under two districts, or a welfare plan that involves peoples/ places outside the district of operation, clear rules have been laid out in the guidelines
- All work/ contracts to be awarded in accordance with rules issued by State Governments
- Transfer of funds to agencies/ beneficiaries directly to bank account
- Each DMF to maintain a website, and make public all data concerning details of self, beneficiaries, funds collected, minutes of meetings, action taken reports, annual plans, status of ongoing projects etc.
- The accounts of DMF to be audited every year, and included in its Annual Report

RAJASEKHAR REDDY-9393306845

rajproton@gmail.com

1997年1月1日

DMFs to prepare Annual Reports within three months of the end of Financial Year, should be laid before State Legislative Assembly and find place on its website

District-wise collection of Royalty in 2014-15

The district wise collection of mining royalty for 2014-15 for ten mineral rich states is given below. This gives planners and people a fair idea of the DMF collection they can expect in their district. And this is only the beginning, since auctions of new mines under the revamped law is yet to begin.

Miles covered, and miles to go

As promised by the Prime Minister in his Independence Day speech, the PMKKKY has been devised as the dedicated fund for development of mining related areas. The other provisions of MMDR Amendment Act 2015 provide a facilitating and enabling environment for scientific, responsible, sustainable and transparent mining to flourish.

Together, we strive to create a nation which rides on its strengths, and has people at its heart.

Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) launched by Government of India

Minister of Mines & Steel calls it a revolutionary and unprecedented scheme

The Central Government today announced the launch of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY). This is a new programme meant to provide for the welfare of areas and people affected by mining related operations, using the funds generated by District Mineral Foundations (DMFs).

Minister of Mines and Steel Shri Narendra Singh Tomar said, "PMKKKY is a revolutionary and unprecedented scheme of its kind, which will transform the lives of people living in areas which are affected directly or indirectly by mining."

The objective of PMKKKY scheme will be (a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas that complement the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government; (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas. Care has been taken to include all aspects of living, to ensure substantial improvement in the quality of life. High priority areas like drinking water supply, health care, sanitation, education, skill development, women and child care, welfare of aged and disabled people, skill development and environment, balance funds will be spent on making roads, bridges, railways, waterways projects, irrigation and alternative energy sources. This way, government is facilitating mainstreaming of the people from lower strata of society, tribals and forest-dwellers who have no wherewithal and are affected the most from mining activities.

The Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015, mandated the setting up of District Mineral Foundations (DMFs) in all districts in the country affected by mining related operations. The Central Government today notified the rates of contribution payable by miners to the DMFs. In case of all

RAJASEKHAR REDDY-9393306845

rajproton@gmail.com

mining leases executed before 12th January, 2015 (the date of coming into force of the Amendment Act) miners will have to contribute an amount equal to 30% of the royalty payable by them to the DMFs. Where mining leases are granted after 12.01.2015, the rate of contribution would be 10% of the royalty payable. Using the funds generated by this contribution, the DMFs are expected to implement the PMKKKY.

5

The Central Government has issued a directive to the State Governments, under Section 20A of the MMDR Act, 1957, laying down the guidelines for implementation of PMKKKY and directing the States to incorporate the same in the rules framed by them for the DMFs.

The DMFs have also been directed to maintain the utmost transparency in their functioning and provide periodic reports on the various projects and schemes taken up by them.

Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana Focuses on Safeguarding Health, Environment and Economic Conditions of the Tribals

Provides Them with Opportunities to Benefit from the Vast Mineral Resources

Nearly Rs. 6000 Crore Would Be Utilized For the Implementation of PMKKKY in Mining Areas of Different States

The Prime Minister Shri Narendra Modi had highlighted the under-development of mining areas as an issue of "Grave Concern", in his Independence Day address on 15th August, 2015.

He had said "Look at the life of people there. They sweat to make our country rich but that region is not developed and, therefore, we have formulated a special scheme for the development of the labourers and farmers of the regions from where minerals are extracted and around Rs.6000 crores will be spent every year on the regions which fall in the areas of my tribal brothers, located in my tribal areas".

Following up on this announcement of the Prime Minister, the Central Government has launched the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yonaja (PMKKKY).

This is the new programme meant to provide for the welfare of areas and people affected by mining related operations. The most productive mining areas in the country are largely areas inhabited by scheduled tribes. They also are mainly located in the areas covered by the Fifth Schedule of the Constitution. The PMKKKY is, therefore, very sharply focused on safeguarding the health, environment and economic conditions of the tribals and providing them with opportunities to benefit from the vast mineral resources that are extracted from the areas where they live.

The objective of PMKKKY scheme will be (a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas that complement the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government; (b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and (c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

The Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015, mandated the setting up of District Mineral Foundations (DMFs) in all districts in the country affected by mining related operations. The Central Government has notified the rates of contribution payable by miners to the DMFs. In case of all mining leases executed before 12thJanuary, 2015 (the date of coming into force of the Amendment Act) miners rajproton@gmail.com

- 「日本」、「日本町の市町」「「日本」、「「市」、「市」、「日本」、「日本」、「「日本」、「

المناقبة المرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة وال

will have to contribute an amount equal to 30% of the royalty payable by them to the DMFs. Where mining leases are granted after 12.01.2015, the rate of contribution would be 10% of the royalty payable.

Using the funds generated by this contribution, the DMFs are expected to implement the PMKKKY. By these rates of contribution, it's expected that with current level of royalty collection in the country, nearly Rs.6000 crore would be utilized for the implementation of PMKKKY in mining areas of different States.

The Central Government has issued a directive to the State Governments, under Section 20A of the MMDR Act, 1957, laying down the guidelines for implementation of PMKKKY and directing the States to incorporate the same in the rules framed by them for the DMFs.

The Guidelines provide for:-

- (a) Identification of affected areas and people to be covered under the PMKKKY
 - (i) All areas directly affected by mining related operations as well as those areas indirectly affected by such operations will be covered under PMKKKY.
 - (ii) Directly affected areas are those areas where direct mining related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal take place.
 - (iii) Indirectly affected areas are those where negative impacts of mining in the form of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations etc. happen.
 - (iv) Affected persons are to include "affected family", "displaced family", both as defined under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Any other family as identified by the concerned gramsabha could also be included.
 - (v) The Guidelines also provide that people affected by mining will include not only those who have legal rights over the land being mined, but also those who have occupational rights, usufruct and other traditional rights.
 - (vi) The Guidelines have been framed in a very exhaustive manner so as to rule out the scope of any affected person being left out due to ambiguity or inadequacy in the guidelines.

(b) Utilization of Funds

At least 60% of the funds under the PMKKKY have to be used for high priority areas such as drinking water supply, environment preservation and pollution control measures, primary / secondary health care, education, welfare of women, children, aged and disabled people, skill development & sanitation. Up to 40% of the funds can be used for infrastructure projects such as physical infrastructure, irrigation, energy and watershed development and any other measures for enhancing environmental quality in mining district.

The DMFs have also been directed to take all major decision in a participatory mode, in consultation with the 'gram sabhas' of the respective villages. They are expected to maintain the utmost transparency in their functioning and provide periodic reports on the various projects and schemes taken up by them.

RAJASEKHAR REDDY-9393306845

rajproton@gmail.com

उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, संख्या-866/86-2017-132/2016 लखनऊ; दिनांक /ऽ मई, 2017

62.

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 9-ख की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 489/86-2017-132/2016 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों की संरचना और उनके कृत्यों का विनियमन करने और खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

		उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, नियमावली, 2017
क्षिप्त बेस्तार	नाम भौर	1- (1) यह नियमावली, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 कही जायेगी ;
गरन्भ	5	(2) यह खनिज तेल को छोड़ कर समस्त खनिजों के लिये लागू होगी ;
·		(3) यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ;

परिभाषाएं

2- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से है ;
- (ख) 'प्रभावित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जहाँ खनन संक्रिया की जा रही हो या जारी हो ;
- (ग) 'प्रभावित व्यक्ति' का तात्पर्थ ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे खनन से सम्बन्धित क्रियाकलाप द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति का नुकसान होता है ;
- (घ) 'निधि' का तात्पर्य न्यास की निधि से है ;
- (इ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;
- (च) 'परिहार धारकों' का तात्पर्य अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञन्ति या खनन अनुज्ञा पत्र के धारक से है ;
- (छ) 'खनिज और उपखनिज' का तात्पर्य ऐसे खनिजों से है, जो अधिनियम की धारा-3 में परिभाषित हैं ;
- (ज) नियमावली, 1963 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 से है ;

(झ) 'अनुसूची' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-8 से है ;

(ञ) 'न्यास' का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या-489/86-2017-132/2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास से है ;

(ट) 'न्यास विलेख' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष में निष्पादित विलेख से है ;

· ·		1
•	(ठ) 'न्यासी/न्यासीगण' का तात्पर्य न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा 💦 🦿 🤇	,>
	नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से है ;	
न्या हे उद्देश्य	3- ज्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-	
	(एक) 'खनन सक्रियाओं' या अन्य सम्बन्धित क्रिया कलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित	
	व्यक्तियां एवं क्षेत्रों के हिंत तथा उनकी प्रसुविधा के लिये कार्य करना ;	
	(दा) प्रमावित व्याकृत एव क्षेत्री का प्रसुविधों के लिय जिला खानज फाउन्डेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना	
	(तीन)ग्राम सडक, जलीय स्थान एव अन्य सामान्य मविधाओं को विकमित करने देत	
	सम्बन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना:	
न्यास का गठन	4- न्यास का गठन एवं प्रबन्ध निम्नानुसार होगा :-	
एव प्रबन्ध	(1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;	
	(2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;	
	(3) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-	
	(क) जिलाधिकारी/कलेक्टर अध्यक्ष	
	(ख) प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य	
	(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य	
	(घ) अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सदस्य	
	(इ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य	
	(च) जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य	
	(छ) जिला खनन अधिकारी सदस्य सचिव	
	(ज) जिला अधिकारी द्वारा यथानामनिर्दिष्ट दो खनन पट्टाधारक सदस्य	
	(झ) खनिज का उपयोग करने वाली संस्था, यदि कोई हो, का प्रतिनिधि सदस्य	
	(ज) जिलाधिकारी द्वारा यथानामनिर्दिष्ट सीधे तौर से प्रभावित क्षेत्रों के सदस्य	
	प्रतिनिधि	
*	(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा;	
	(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण	
	करने से प्रविरत हो जायेगा/जायेगी;	
	(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी;	
	(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे :-	
	(एक) जिलाधिकारी/कलेक्टर अध्यक्ष	
	(दो) अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व सदस्य	
	(तीन) जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक उपजिलाधिकारी सदस्य	
	(चार) जिला खनन अधिकारी सदस्य सचिव	
	(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो	
	जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।	:
	2 Ver	

- 5- (1) नियम-4 में यथाउल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में समय-समय पर बैठकें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेंगी और यथासम्भव ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी;
 - (2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिये प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के परामर्श से सम्बन्धित खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे;
 - (3) प्रस्ताव निम्निलिखित प्रकृति का होगा :-

(क) क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना उदाहरणार्थ पहुँच मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्ड पम्प तथा अन्य लोक उपयोगी कार्य;

(ख) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारो ओर सामान्य वृक्षारोपण ;

(ग) खनिज विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रिया कलाप।

- (4) न्यास की बैठक में खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत कर सकता है;
- (5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातिय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी;

6- शासी परिषद् निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी :-

(एक) न्यास की कार्यप्रणाली के लिये नीतिगत रूप रेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना;

(दो) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाता तथा अनुमोद्भित किया जाना।

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भी कारण से शासी। परिषद् वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तद्निमित्त कारण अभिलिखित करते हुये उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद द्वारा सम्यक रूप में तैयार किया गया एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिवद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिये पूर्व देनदारियों और प्रतिवद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिये न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अर्न्तप्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

(तीन) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसरित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय। (चार) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।

3

शासी परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य

(पाँच) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टी और [्]सम्परिक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना; মত্র কী 7- (एक) शासी परिषद् प्राय: यथा आवश्यक बैठक करेगी किन्त् प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करेगी; (दो) शासी परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष दवारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी; (तीन) ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी; प्रबन्ध समिति की 8- किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छ: बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय; 9- प्रबन्ध समिति, प्रजन्धन समिति की (एक) न्यास के हितों की रक्षा हेत् अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक् रूप से शाकितयाँ और कृत्य तत्परतापूर्वक कार्य करेगी; (दो) अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अन्सार सम्बन्धित खनन पट्टाधारको से सामयिक अंश दान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी; (तीन) ज्यास के क्रिया कलापों के लिये महायोजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी; (चार) प्रस्तावित योजनाओं और प्ररियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी; (पाँच) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी; (छ:) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि जारी करेगी तथा आहरित करेगी: (सात) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलेगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी; (आठ) ल्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी; (नो) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शासी परिषद् के समक्ष उसके अनुमोदन

> हेत् वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तूत करेगी; (दस) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिये आवश्यक हो;

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के

दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टा के धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को द्वितीय अन्सूची के निबन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि से अनधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टा के

(ग्यारह) न्यास की कार्य प्रणाली के लिये प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

10-(1) मुख्य खनिजों के मामले में :--

जाय, के अध्यधीन करना होगा;

निधि हेत् न्यास

अंशदान

शासी

बैं ठक

बैठक

धारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बधनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिजों के मामले में :-

किया जा सकेगा :-

(एक) अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय

सम्परीक्षक के माध्यम से की जायेगी;

(दो) न्यास के प्रशासनिक व्यय पर 05 प्रतिशत

निदेशालय, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तूत करना होगा;

प्रत्येक खनिज परिहार/अनुजा पत्र धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो स्वामित्व धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय;

(3) सम्बन्धित खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक न्यास निधि हेतु संग्रह करने के लिये उत्तरदायी होगा और उसे न्यास द्वारा यथा विनिश्चित किये गये किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में उक्त धनराशि को जमा करना होगा;

11-न्यास निधि में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिये

12-(1) न्यास के लेखा की सम्परीक्षा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश द्वारा किसी अर्ह

13- न्यास का प्रबन्ध शासी परिषद में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे तथापि

(2) न्यास को एक वार्षिक रिपोट तथा सम्परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म

न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध, नियम 4 के उपनियम (7) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन

न्यास के निधि से व्यय

न्यास के लेखा और की सम्परीक्षा

न्यास का प्रबन्ध

न्यासियों विनिश्चय करने का विनिश्चय कर सकती है। 14-(1) शासी परिषद् की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेंगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा

(3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति न प्रदान कर दी जाय तब तक न्यासीगण को न्यास के विलेख के किसी भाग में संशोधन नहीं करना होगा।

(4) न्यासीगण, शासी परिषद् और प्रबन्ध समिति को रॉज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्ग दर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

15- न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखापुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

16- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना (प्र॰ख॰क्षे॰यो॰) और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिये प्रोद्भूत होने वाली निधियों का प्रयोग

न्यास की परिधि

न्यास निधि का

संचालन

5

.

करते हुये सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है :-(क)खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास सम्बन्धी और कल्याणकारी परियोजनायें/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिये क्रियान्वित किये जायेंगे।

(ख)खनन वाले जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगोके लिये दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका स्निश्चित करना।

17-न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा :-

(क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कम से कम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :-

- (क) पेयजल आपूर्ति केन्द्रीकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी स्विधा सम्मिलित है।
- (ख) पर्यावरण सरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वहिःस्रोत उपचार संयत्र क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं और भंडारणों, खान जल निकास प्रणाली, खनन, खान प्रदूषण निवारण तकनीकों के कारण हुये वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिये उपाय तथा पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु अपेक्षित अन्य वाय, जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के अन्य तौर तरीके।
- (ग) स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल जोर नहीं दिया जाना चाहिये, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिये आवश्यक विशेष अवसरंचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये किया जा सकती है।

(घ) शिक्षा - विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।

न्यास निधि सं ध्यय

- (ड़) महिला एवं बाल कल्याण मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।
- (च) वयोवृद्ध एवं नि:शक्त लोगों का कल्याण वयोवृद्ध एवं नि:शक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम।
- (छ) कौशल विकास जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिये आर्थिक गतिविधियों/ परियोजनाओं/ योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/ कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया-कलापों हेतु अगडे और पिछड़े लोगों के प्रति जुडाव का उपबन्ध सम्मिति है।
- (ज) स्वच्छता अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकास और मल उपचार संयत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रशाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाणों से सम्बन्धित उपबन्ध।

(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र - 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :-

(क) भौतिक अवसंरचना - अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सडक, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

(ख) सिंचाई- सिंचाई के बैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।

(ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास - ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास।

(घ) खनन वाले जिला से प्रयावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय -(एक) फाउण्डेशन के ज्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य

योजना के अनुसार जिलें में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास। (दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन।

(तीन)खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेत् प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती है।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा। ितेखा और पंपरीक्षा 18- (1) (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिये न्यास निधि के सम्बन्ध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख

अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी।

(दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी। 69

(तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद् की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी।

(चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

- (2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार किसी संपरीक्षक या सम्परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखापरीक्षक से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकती है।
- (3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिये योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।
- (4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध में त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला, प्रशासन को अग्रसारित करेगा।
- (5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के तत्काल पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाण्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेत् अग्रसारित करेगा।

19- (1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्त धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्त धनराशि संग्रहीत करने के लिये प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्सम्बन्धी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।

(3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था

20-

(एक) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।

s

8...

न्यास को संदेय धनराशि का अनुश्रवण (दो) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार से सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने-अपने संवर्गो में बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का उप्रतिशत तक व्यय वहन कर सकता है।

(तीन) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकता है।

21- (1) न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं होगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे।

(2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के सम्बन्ध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे तथापि प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी स्थिति में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होगी।

22- न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के लिये हकदार नहीं होगे।

23- न्यासीगण शासी परिषद् की बैठक में, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकते है और उन्हें समय-समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नया मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपभोग करने का प्राधिकार होगा।

24- यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय। न्यास समाप्त होने के समय पर, न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगी।

(राज प्रताप सिंह) अपर मुख्य सचिव

न्यासियों दायित्व

पारिश्रमिक

न्यास की मुहर

प्रतिसंहरणीयता

GUIDELINES FOR LOADING, UNLOADING AND NUISANCE FREE TRANSPORTATION OF ALL TYPES OF FLYASH, INCLUDING BOTTOM ASH ETC. GENERATED BY THERMAL POWER STATIONS

中静脉冲静静 新时代的新闻

7 71



Central Pollution Control Board Delhi December 2013

1

TABLE OF CONTENTS

- (1<u>8)</u>-

Sr.No.	Chapter	Page Nos.
1.0	Introduction	3
2.0	The Committee	4
3.0	Flyash utilisation	4
4.0	Current Practice for Handling & Disposal of Flyash& Bottom ash (within the power plant)	5
5.0	Modes for loading, unloading and transportationof flyash, bottom ash & pond ash for utilisation (Outside the power plant)	6
6.0	Environmental issues	8
7.0	Guidelines for loading, unloading, storage , transportation of flyash	8
7.1	Maximise dry collection of fly ash and bottom ash	8
7.2	Loading, unloading and storage	9
7.3	Transportation	10
7.4	Code of practice for general maintenance of Haulage roads, vehicles and conditioning of flyash	11
1.0 Introduction

Indian coal is generally of low grade having high ash content ranging from 40 – 48 % and thus large quantity of ash is being generated at coal/lignite based Thermal Power Stations in the country, which is the source of pollution of both air and water. During 2012-13 about 163 million tonnes of flyash was generated. It is expected that during 12th& 13th Plans, more than 100000 MW power generation capacity is likely to be added which would be resultingin an increase of ash generation by about two folds by the year 2022. The quantum of fly ash to be handled, therefore, would be much more than in the past.

As per the conventional practices, ash is disposed in slurry form to the ash ponds and the overflow from the ash pond after adequate settling time used to be discharged in nearby water bodies. This mode of ash disposal wasnot only causes air & water pollution but also requires large land area for its disposal. However, after implementation of the recommendations made under Corporate Responsibility for Environmental Protection (CREP) in the year 2003, power plants have been asked to stop discharge of ash pond overflow water and recycle it back to the plant for different usages.

- 1.1 To protect the environment, conserve top soil and prevent dumping & disposal of ash generated from coal/lignite based fired thermal power plants on land and for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and Ministry of Environment & Forests, Government of building materials, India, issued directions vide Notification nos. S.O 763 (E) dated September 14,1999 and as amended in the years2003 &2009 (S.O. 979(E) &2804 (E) dated August 27, 2003 & November 03, 2009 respectively) touse hundredper cent of flyash generated by thermal power plants in a time bound manner. The Notification also emphasized that flyash shall be utilised for manufacturing of bricks, tiles, cement, concrete etc., construction of roads within 100 kms radius from thermal power pants and backfilling/reclamation of abandoned mines/ quarry (both underground and open cast) shall be done with flyash, if located within 50 kms radius from thermal power plants.
- 1.2 As per the 2009 Notification onflyash utilisation, transportation of flyash should be in an environmentally sound manner.Fflyash is categorised as high volume low effect waste under Hazardous Waste (Management& Handling) Rules, 2008(S.O. 2265(E) dated September 24, 2008) and thus excluded from the category of Hazardous waste. The guidelines for transportation offlyash havenot been prepared by Central Pollution Control Board, so far. However, the consent under Air (prevention& Control of Pollution) Act, 1981 issued by State Pollution Control Boards envisagesthat flyash should be transported in an environmentally friendly manner.

1.3

The Hon'ble Supreme Court of India in its Order dated August 13, 2013 &September 24, 2013, in the matter of DamodarValley Corporation&Ors Vs BKB Transport (P) Ltd.& Company, SLA No. 30381of 2011, directed CPCB to frame guidelines for loading, unloading, utilization and nuisance free transportation of all types of flyash, including flyash, bottom ash etc. generated by thermal power stations prepared at the earliest. In line with the directions of Hon'ble Supreme Court, CPCB accordingly constituted a Committee to prepare the desired guidelines.

2.0 The Committee

To evaluate and suggest all aspects of handling and transportation of flyash like, in plant handling/storage, transportation to the user's/disposal site, road and rail tankers, transfer by boats, barges for export, closed tankers etc, a Committee under the chairmanship of Sh. T.K. Dhar, Former Executive Director (Environment and R&R), NTPC wasconstituted vide Office Order dated October 07, 2013. The composition and Terms of Reference (ToR) of the Committee are given in **Annexure I**.

The committee met on October 23, 2013 & November 21, 2103 at CPCB, Delhi. The committee discussed the current practices for handling and disposal of flyash& bottom ash, its utilisation and transportation modes and environmental issues involved. Based on the suggestions and recommendation of the Committee, guidelines onloading, unloading and transportation of flyash, bottom ash & pond ashwere prepared.

3.0 Flyash Utilisation

3.1 Utilisation of Flyashgained momentum only after enactment of Notification by the Ministry of Environment & Forests, Government of India in the year 1999. During the past decade, flyash utilisation has increased by more than six folds from 9 % (1996-97) to about 61% in the year 2012-13 (source :CEA). The major modes of flyash utilisation are as under:-

41%
12%
11%
6%
9%
10%
11%

Flyash is also being exported at few thermal power plants to nearby countries such as BanglaDesh and Dubai.

The balance flyash is stored into ash ponds. The filled - in abandoned ash ponds or ash mounds are reclaimed with top soil cover and development of green belt (by planting local species)over it.

3.2 Though, flyash utilisation has gained momentum progressively over the years, however, still further efforts required to explore new areas of ash utilisation. With suitable safeguards, mine backfilling including disposal of flyash in abandoned quarries and road construction especially in the Construction of National Highways and Expressways could be the major mode of flyash utilisation in the near future as these areas have vast potential It would perhaps be desirable that Ministry of Environment & Forests, Government of India with feedbacks from CPCB and other SPCBs takes periodic reviews with the concerned Ministries for sorting out the bottlenecks such as declaring a list of abandoned mines, making adequate provisions in respective schedules for flyash utilisation by the Indian Road Congress &construction agencies etc.

4.0 Current Practice for Handling & Disposal of Flyash& Bottom ash (within the power plant)

Flyash is collected in dry form from ESP hopper and disposed either in dry form or through wet slurry form. While, bottom ash falls from the bottom of the boiler is disposed in wet slurry form into the ash ponds.



Following technologies are conventionally used for handling & disposal of flyash and bottom ash from ESPs Hoppers and Boiler bottom within the plant or upto the ash pond area:

16

- Pneumatic conveying
- Lean slurry disposal system
- Medium Concentration slurry disposal system
- High Concentration slurry disposal system
- Dry (moist) Conveying system through belt conveyor/tube belt conveyor.

Amongst the above technologies, Pneumatic conveying, Medium Concentration slurry disposal system, HighConcentration slurry disposal system, Dry (moist) Conveying system through belt conveyor/tube belt conveyor are recommended.

The dry ash is typically conveyed pneumatically from the ESP or filter fabric Hoppers to storage silos where it is kept dry, pending utilization or further processing, or to a system where the dry ash is mixed with water and conveyed (sluiced) to an on-site storage pond.

The dry ashcollected is normally stored and handled using equipment and procedures similar to those used for handling portland cement:

- Fly ash is stored in silos, domes and other bulk storage facilities
- Fly ash can be transferred using air slides, bucket conveyors and screw conveyors, or it can be pneumatically conveyed through pipelines under positive or negative pressure conditions
- Dry fly ash collected can also be suitably moistened with water and wetting agents, as applicable, using specialized equipment (conditioned) and hauled in covered dump trucks for such special applications as structural fills. Water conditioned fly ash can also be suitably stockpiled at jobsites. Exposed stockpiled material must be kept moist or suitably covered to prevent fugitiveemission.

5.0 Modes for loading, unloading and transportation of flyash, bottom ash & pond ash for utilisation (Outside the power plant)

Existing practices

Flyash is generally transported either from flyash Silo or from ash pond upto distances varying from less than 1 Km to 50 Kms using the following modes of transportation:

- **5.1** Flyash or pond ash is generally transported by tractor trollies or trucksby the brick manufacturers and road construction agencies depending upon the requirement and distance of transport. Loading and unloading of flyash or pond ash is done mechanically which are likely to cause pollution by way of fugitive emission or spillages during loading, un- loading and transportation.
- **5.2** As cement plants need dry flyash, some of the power plants earlier made arrangement for loading of flyash in the trucks directly from ESP hoppers which used to cause severeair pollution due to fugitive dust emission. To overcome the fugitive dust emission problem, cement plants thereafter constructed silos for intermediate collection and storage of flaysh on their own inside the premises of thermal power plants whereby flyashwas transferred directly from ESP hoppers pneumatically and loaded into the trucksthrough telescopic chute which curbs fugitive emission during loading. As a follow up of the recommendations of CPCB under Corporate Responsibility for Environmental Protection (CREP), thermal power plants subsequently took initiatives to construct silos for intermediate storage of dry flyash and made arrangements for proper loading of flyash to the trucks.Flyash from these silos after loading is transported to the cement plantseither by Bulkers or by Trucks covered with tarpaulins.



Photograph showing flyash loading into truck & bulker through telescopic chute avoiding fugitive emission

5.3 Flyash is also transported to abandoned mines by trucks covered suitably with tarpaulins. TalcherThermal Power Plant of NTPC is currently transporting fly ashslurry to theabandoned mine pitthrough a pipeline toa distance of about 9 kms. However, due to non-availability of abandoned mines, mine backfilling usingflyash is being done in very few thermal power plants. As per the 2009 notification, flyash disposal in abandoned mines or quarry should be done

under the guidance of Director General of Mine Safety (DGMS) and the power plant authorities shall regularly monitor the ground water in the surrounding area to assess ground water contamination, if any.

6.0Environmental issues

During transportation of flyash, fugitive dust emission is bound to arise if proper and adequate measures are not taken. Loading, unloading of flyash in carriage vehicles, movement of vehicles on haulage road if water sprinkling is not resorted to and wheels of vehicles are major sources of fugitive dust emission. Flaysh may also become air borne, if trucks/tankers are overfilled, and notadequately covered at top.

7.0 Guidelines for loading, unloading, storage, transportation of flyash

Based on the present modes of flyash utilisation and to augment flyash utilisation in future, the committeeis of the view that there isan imperative need to explore future possibilities in other areas which are yet to be exploited to increaseflyash utilisation. The power plants need to maximise dry collection of fly ash& bottom ash besides adopting adequate measures to prevent fugitive dust emission during loading, unloading, storage, transportation and various uses of dry as well as ash from ash pond.Following guidelines are, therefore, suggested for prevention of pollution and augmentation of flyash utilisation

7.1 Maximise dry collection of fly ash and bottom ash

- The implementation of following suggestionsdepend upon the requirement of end users of flyash/ bottom ash.
- a. Coarse fly ash from first field of ESP Hoppersneed to be collected and storedseparately into the coarse fly ash silo.
- b. Fine flyash from second field onwards of ESP Hoppersshould be collected separately. For some specific usage, fine flaysh may be passed throughClassifier for further separation of fine fly ash and stored in separate silo.
- c. Bottom ash which is not utilised presently could alsobe collected in dry form and converted into a valuable resource if processed to match the end use specification. The dry bottom ash removal and its transportation is certainly more environment friendly, compared to that of wet ash removal and transport system. Wet collection & disposal of bottom ash should be minimised as far as possible.

7.2Loading, Unloading and Storage

f.

Installation of Bag Filters with dry flyashcollection and storage in Silos at loading and unloading points are standard practices at both locationsi.eloading at power plant site as well as at the unloading point at user's site. Suggestions for further improvement in existing practices are as under:

- a. Current practice of loading of fly ash in Bulkers / Tankers requires improvement at the stage of loadingof fly ash in Tankers. The opening telescopic chutes should beclosed and confined to avoid fugitive dust emission.
- b. The Pollution Control Equipment / Cascade Filters, attached with fly ash loading Chuteshould be periodicallycleanedalong with regular scheduled maintenance of Bag Filter to avoid choking and malfunctioning of Bag Filter. It would mitigate the dust emission during loading of fly ash.
- c. Malfunctioning of level sensorscan be avoided, with regular maintenance, to prevent over filling of fly ash in Tankers.
- d. The Weigh Bridge tobe installed under fly ash loading chute to fill just the required quantity of fly ash in Tankers so that rejection and emptying out of fly ash in open areasis avoided which otherwise results in heavy fugitive emission all around.
- e. Opening of Tankersneed tobe closed and properly locked during transportation of fly ash. Automatic opening / close system need tobe installed without fail.
 - Current practice of unloading of fly ash from Tanker to Storage Hopper through pneumatic system is certainly good.But it has, however, been observed that the leakage of fly ash occur at bends and joints of transportation pipe line. The fly ash beingabrasive in nature causes damage at bends and joint locations.Fly ashshould , therefore be transported through PVC coated MS pipes to avoid the abrasion otherwise it may lead to leakage of flyash. The mechanical unloading system should be envisaged to avoid high pressure, more power consumption and dust leakage from unloading pipe lines.As far as possible, number of bends should be minimised.
- g. The fly ash storage silo should tobe made up of anti-abrasive or anti corrosive material. It is preferred to provide concrete silo/hopper to avoid leakages.

h The bottom ash dischargedfromboiler bed, may be transported pneumatically in dry form / in slurry form to the ash pond.

i. Proper functioning of all the level sensor of Storage Hopper has to be ensured to avoid any possible spillage from Hopper opening.

5-12個國際醫師新聞的###1201

- j. The Bag Filter made of anti-abrasive material/cloth be provided with telescopic chute.
- k. Dumping of ash in Ash pond should be loaded mechanically in moist condition so that the ash doesnot get air borne and pose fugitive dust problem.

7.3 Transportation

Flyash transportation has many challenges like distance to be transported, form of ash i.e. dry or wet ash, user's requirement, economic feasibility, requirement of surrounding vicinity and many more site specific issues. Over and above, in any case control of dust emission during transportation is prime concern and more challenging being a non-point source of pollution and larger area coverage due to movement from one place to other passing through various receptors. As flyash is used by different users for different purpose such as cement manufacturing, brick manufacturing, mine back filling, road construction and filling of low lying area, the handling and transportation have to accordingly suggested. Following modes of transportation and precautions, to avoid fugitive dust emission are, therefore, suggested for different end usersof flyash or bottom ash as the case may be:

a. Cement/ Asbestos manufacturing

- I. Specially designed Road Tankers/ Bulkers or mechanically designed covered Trucksand provided with automatic loading and unloading through compressor / vacuum pumps mounted on the tankersneed only to be used
- II. Special designed railway wagons similar to Bulkers/Tankers need to be-used for transportation
- III. Dedicated boats and bargers should only carryflyash containers for transportation of flyash. Specially designed jetty with automatic loading and unloading system for transportation of flyash from silo to container should be developed.

b. Flyash based Brick, Tiles, Blocks etc. manufacturing:

I. Tankers/ Bulkers or mechanically designed covered Trucksneed to be used

11. Tractor trolleys with box type cover on top with hydraulic unloading system needonly to be deployedfor transportation of dry or wet fly ash, while traversing through habilitated areas otherwise, Tractor trolleys suitably covered with good quality of tarpaulin (made of HDPE)could be allowedto transport flyash for shorter distance say upto a distance of about 10 Kms.

81

c. Mine/ abandoned quarry back filling

- 1. Tankers/ Bulkers or mechanically designed covered Trucksneed to be used
- II. Pipe conveyors, wherever feasible, based on the topography of the area should be used.
- III. Thermal Power Plants using wet ash disposal, if permitted can transport ash slurry directly to abandoned mine through ash slurry pipe line.

d. Road construction and filling of low lying area

I. Tankers/ Bulkers or mechanically designed covered Trucksneed to be used.

e. Other miscellaneous purposes

- I. Tankers/ Bulkers or mechanically designed covered Trucksneed only to be used
- 7.3.1 The user agency shall obtain prior approval of design of Road Tankers/ Bulkers'or mechanically covered Trucks, as the case may be, from the concerned State Pollution Control Board.

In no case, flyash or bottom ash shall be allowed to be transported by open trucks / trollies irrespective of distance or end use.

7.4 Code of Practicesfor general maintenance of roads, vehicles and conditioning of flyash

a. Thermal power plants and use agency collectively shall ensure that flyash is transported in environmentally sound manner following the guidelines prescribed by CPCB

- b. Roads inside power plant and that of flyash user agency should be paved and plantation f adequate width should be done at both sides. Mechanised Road Sweepers should be deployed. In addition, adequate arrangementsfor water sprinkling should be made to suppress fugitive dust emission, if any generated.
- c. Thermal power plants and user agencies should make arrangements (two stages) for washing of wheels of the vehicles (Bulkers/trucks) before they leave out for the main road.

Pond ash to be transported should be conditioned with water to maintain minimum 15% moisture at the disposal point so that ash does not get air borne and cause fugitive emission.

- e Adequate free board in trucks should be kept to avoid overflow/spillage during transportation.
- f. In case of any spillage enroute during transportation of flyash, the agency shall ensure that spilled ash is collected and transported to the disposal/usage site immediately
- g. All the Bulkers and trucks responsible for carrying flyash should have valid Pollution Under Control certificates.
- h. The speed limit of vehicles carrying flyash should be strictly enforced and in no case same shall exceed 40 km per hour.
- i. State Pollution Control Boardsshall indicate clearly mode of transportation and method of loading and unloading while granting the consent.
- j. Transportation of flyashthrough thicklythrough thickly populated areas populated areas should be avoided as for as possible.
- k. General awareness/ training programmes be organised regularly for tanker operating staff like drivers and cleaners on the impact of hazards of fly ash.



Mechanically designed truck



Small bulkers designed for transportation of flyash by tractors

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

83.

पहला आवेदन न. 276/2013 (M.A. 571/2016)

और

पहला आवेदन न. 20/2014

(M.A. 59/2014)

r.

के विषय में -

अश्वनी कुमार दुबे vs भारत सरकार & अन्य

और

जगतं नारायण विश्वकर्मा & अन्य: vs भारत सरकार & अन्य

कोरम - माननीय जज स्वतन्त्र कुमार, अध्यक्ष माननीय जज जवाद रहीम, जज माननीय जज रघुवेंद्र एस. राठौर, जज माननीय बिक्रम सिंह सजवान, एक्सपर्ट

पहला आवेदन 276/2013

मौजूद:	आवेदक	: श्री अश्वनी कुमार दुबे, आवेदक
	उत्तरदाता न. 1	: श्री विकास मल्होत्रा, वकील
	उत्तरदाता न. 4	: श्री राजुल श्रीवास्तव, वकील
	उत्तरदाता न. 6 & 7	: श्री दलीप कुमार ध्यानी, वकील
	उत्तरदाता न.10,11 & 12	2: श्री भारत संगल, और श्री स्पंदन रेड्डी, वकील
	उत्तरदाता 13,15,16,21	: श्री सैय्यद शहीद हुसैन रिज़वी, वकील
	उत्तरदाता 14, 17, 37	: श्री विक्रांत पचनन्दा, वकील
	उत्तरदाता 20	: श्री रजत जरीवाल, भारत गुप्ता- वकील
	उत्तरदाता 19 & 20	: श्री प्रदीप मिश्र, वकील
	उत्तरदाता 22	: श्री नितिन मिश्र, सुश्री मिताली गुप्ता - वकील
		सुश्री दीप शिखा भारती - UP सरकार की वकील
	उत्तरदाता 23 & 27	: श्री पवन उपाध्याय, कृष्ण कनोडिया, आकाश त्यागी - वकील
	उत्तरदाता 26	: श्री विवेक सिंह, श्री स्वस्तिक - वकील
	MP सरकार	: श्री वी. के. शुक्ल, श्री हिमांशु दुबे - वकील
		श्री भारत गुप्ता, श्री रजत जरीवाल - वकील
	UPPCB	: श्री दलीप कुमार ध्यानी, वकील
	उत्तरदाता 36	: श्री अनिप सचथे, सुश्री अंजलि चौहान, श्री रिया सचथे - वकील
	UP सरकार	: श्री शरद चौहान - वकील
	,	श्री राजकमार, श्री भूपेंदर - वकील

श्री I. K. कपिला - UP जल निगम के वकील श्री भवर पल सिंह जड़ों - वकील श्री रजत जरीवाल - वकील

पहला आवेदन 20/2014 मौजूद: आवेदक उत्तरदाता 1 उत्तरदाता 2

उत्तरदाता 5 MP सरकार

UP सरकार

: सुश्री कात्यायनी, सुश्री महक रतोगी - वकील : सुश्री पांचजन्य बत्रा सिंह, सुश्री औंन्या श्रोत्रिय - MoEF&CC के वकील : श्री राज कुमार - वकील : श्री दलीप कुमार ध्यानी - वकील : श्री वी. के. शुक्ल, सुश्री विजय लक्ष्मी - वकील श्री अनिप सचथेन, सुश्री श्री रिया सचथेन, सुश्री अंजलि चौहान- वकील : श्री शरद चौहान - वकील

श्री कृष्णा कुमार सिंह- वकील

श्री राजकुमार, श्री भूपेंदर - वकील श्री अमित तिवारी - वकील

श्री सैय्यद शाहिद ह्सैन रिज़वी, श्री जीशान रिज़वी- वकील

श्री भंवर पल सिंह जड़ों - वकील

श्री विजेंद्र महिन्दया - UP सरकार के वकील

श्री दलीप कुमार ध्यानी - वकील

श्री विक्रांत पच्नान्दो, श्री निशांत राव, सुश्री तन्वी मंचंदो - वकील श्री राजुल श्रीवास्तव - वकील

श्री संजय सेन, श्री ऋषि अगरवाल, आँचल मल्लिक, श्री निशांत राव,

सुश्री तन्वी मनचंदा - वकील

श्री पवन उपाध्याय, श्री आकाश त्यागी, और श्री कृष्णा वेनोडिया -वकील

NGT के आदेश

दिसंबर 06, 2017

हमने दोनों पक्षों के काबिल वकीलों को सुना है | हम निम्न आदेश देते हुए इन आवेदनों की सुनवाई समाप्त करते हैं :-

1. हम कोर कमिटी द्वारा NGT को दी गयी दिनांक 07-07-2014 की अंतरिम रिपोर्ट और 20-08-

2015 की अंतिम रिपोर्ट को सही मानते हैं, क्यूंकि किसी भी पक्ष द्वारा इन पर कोई आपत्ति, सवाल या टिपण्णी नहीं की गयी है | इसलिए हम इनको सही मान रहे हैं | 2. केस के तथ्यों और परिस्थियों को मद्देनज़र रखते हुए कोर कमिटी आज से चार हफ़्तों में फिर से सिंगरौली इलाके में स्थित सभी उद्योगों और उन उद्योगों के आसपास के इलाकों में फिर से एक जाँच करेगी | वह यह देखेगी कि कोर कमिटी के द्वारा अपने 14.02.2014, 07.07.2014 और 20.08.2014 के रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू किया गया है या नहीं और उनको कैसे लागू करना है | अगर किसी भी उत्तरदाता द्वारा इन सुझावों का अनुपालन करने में किसी प्रकार की कमी मिलती है, तो कमिटी बताये कि उन उद्योगों या उप्रिकारीयों या राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कारवाही लेनी चाहिए |

÷.,

- 3. हम कोर कमिटी के द्वारा अपने रिपोर्टों में दिए गए सुझावों को सही तरह से लागू कराने के लिए दो अलग अलग कमिटियों को नियुक्त करते हैं और यह दो कमिटी अपने राज्यों में उन सुझावों को बिना किसी विलम्ब के लागू कराने के लिए जिम्मेदार होंगी | प्रत्येक राज्य में इन निरीक्षण (Supervisory) कमिटियों के निम्न सदस्य होंगे :
 - i. राज्य का पर्यावरण सचिव
 - ii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का Member Secretary (सदस्य सचिव)

iii. ज़िला के DM जो मीटिंग को आयोजित करेंगे |

- iv. जिला पंचायत अध्यक्ष जिस जिले के गाँव में जाँच हो रही है |
- शहरी इलाकों में मेयर का नूमाइन्दा |
- vi. राज्य के कोयला खदान विभाग का वरिष्ट अधिकारी |
- 4. यह निरीक्षण (Supervisory) कमिटी दो प्रकार के कार्य करेगी | पहला, कोर कमिटी के सुझावों को लागू कराना और उसका निरीक्षण करना | दूसरा, कोर कमिटी को यह सुझाना कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए आगे क्या कदम लिए जा सकते हैं |
- यह निरीक्षण (Supervisory) कमिटी कोर कमिटी को मासिक रिपोर्ट जमा करेगी, और कोर कमिटी NGT में हर तीन महीनों में रिपोर्ट जमा करेगी |
- 6. हम यह आदेश देते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Member Secretary (सदस्य सचिव), ज़िला के DM और उद्योगों और विद्युत् ताप गृहों के CEO (डायरेक्टर/पार्टनर/एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे सिंगरौली क्षेत्र और उसके कोयला खदान इलाके सहित, हर एक गाँव को एक RO प्लांट मुहैय्या कराया जाये | और यदि गाँव के निवासी मांग करते हैं तो गाँव में दो या दो से अधिक RO प्लांट का निर्माण किया जाये ताकि गाँव के निवासी मांग करते हैं तो गाँव में दो या दो से अधिक RO प्लांट का निर्माण किया जाये ताकि गाँव के निवासियों को किसी भी कीमत पर पीने योग्य पानी मिले | इसके खर्च की ज़िम्मेदारी सभी उद्योगों की है, जो वो अपने CSR के तहत कर सकते हैं क्यूंकि सिंगरौली क्षेत्र में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं ये ही हैं | प्रदूषक ही प्रदूषण का खर्चा भरे, इस सिधांत को भी लागु किया जाना चाहिए, लेकिन इस समय हम ये नहीं कह सकते की ये प्रदुषण इन उद्योगों द्वारा ही फैलाया गया है | हम इस सवाल को, की इस

प्रदुषण के लिए कौन जिम्मेदार है, निरिक्षण कमिटी की जांच और उनके विश्लेषण रिपोर्ट पर छोड़ देते हैं।

7. क्यूंकिं यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों ही राज्यों में आता है, हम यह आदेश देते हैं कि दोनों ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के पर्यावरण विभाग के साथ ऑन लाइन वायु अनुमापन व्यवस्था (On-line air monitorig system) लगायेंगे | वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ भी गाँव / उद्योग के पास जल स्रोत है वहां पानी की गुणवता की अनुमापन की व्यवस्था मुहैय्या करवाई जाये |

- 8. निरीक्षण कमिटी के सुझाव पर कोर कमिटी उद्योगों को निर्देशों के अनुपालन के लिए और समय दे सकती है यदि उद्योग यह साबित कर सके कि प्रदूषण के रोक के लिए प्रभावशाली कदम लिए जा चुके हैं और वह सुझावों और दिशानिर्देशों को पूरा करने के प्रक्रिया में हैं, जैसे ETP या और कोई प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना |
- 9. RO प्लांट लगाने के लिए सरकार / ग्राम पंचायत ज़मीन देगी और लगाने और रखरखाव का सारा खर्चा उद्योगों का होगा |
- 10. निरीक्षण कमिटी किसी भी अधिकारी या व्यक्ति से सलाह ले सकती है, खदान सुरक्षा के डायरेक्टर जनरल से भी |
- 11. इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बगैर चल रहे सभी स्टोन क्रेशर को बिना नोटिस जारी किये बंद किया जाये | जिन स्टोन क्रेशर को चलने की अनुमति दी गयी है, को आदेश दिया जाता है कि जहाँ बहुत सारे स्टोन क्रेशर हैं वहां RO प्लांट लगाया जाये और वह भी हमारे द्वारा उद्योगों को दिए दिशानिर्देशों के पालन के लिए कटिबद्ध हैं |

इन आदेशों के साथ हम यह दोनों आवेदनों, पहला आवेदन न. 276/2013 और पहला आवेदन न. 20/2013, का आज आखरी निर्णय दे रहे है, और इनमे किसी भी पक्ष को दुसरे पक्ष के अदालती खर्च वहन करने का कोई आदेश नहीं है |

जब कोर कमिटी की रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी उसे अलग से रजिस्टर किया जायेगा और NGT के सामने रखा जाएगा ताकि उसपर उचित आदेश दिए जा सके |

<u>М.А. न. 571/2016 और М.А. न. 59/2014</u>

j)

इन याचिकाओं पर कोई सुनवाई की जरुरत नहीं है क्यूंकि इनकी मुख्य आवेदन की सुनवाई पूरी हो गयी है |

M.A. न. 571/2016 और M.A. न. 59/2014 की सुनवाई पूरी हो गयी, बिना किसी पक्ष को दुसरे पक्ष का अदालती खर्च वहन करने के आदेश के |



INDIAN FEDERATION OF WORKING JOURNALISTS

(Founded on 28 October 1950 in New Delty and registered as trade union) Registration No. 1992 Add. : B-1, Vikram Nagar, Kota Ferox Shab, Zahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

President : B.V. Mallikarjunaiah Secy. Gen.: Parmanand Pandey Treasurer : Rinku Yadav Ph.: 011-23701338, Fax: 011-23701337 Mobile : 09868553507, 09871328595 E-mail : lbvj.lbvj@gmail.com

Date: 9-1-18

W.C.Member Sanjay Dwivedi

Mobile : 07007227043 E-mail : sanjaydrivedi@gmail.com

WC-323

× .

सेवा में, श्रीमान डा॰ तपन चक्रवर्ती विश्वेसरैया नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी (एन.आई.टी.) नागपुर

महोदय,

आप को अवगत कराना चाहता कि सिगरौली परिक्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय।

- 1- एन.सी.एल. द्वारा दिये गये जनपद सोनभद्र के डी.एम.एफ. फन्ड में पड़े करोड़ों रूपयों का उपयोग प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हाथीनाला से शक्ति नगर तक बने सडक का चौड़ीकरण एवं किनारे पटरियों को इंटरलाकिंग किया जाय तो काफी हद तक दुर्घटनाओं के साथ —साथ सड़क परिवहन से हो रहे प्रदूषण से निजात दिलाया जा सकता है।
- 2- एन.सी.एल.की अमलोरी, जयन्त, निगाही, दुद्धीचुआ, खड़ियां, कृष्णशीला, बीना एवं ककरी परियोजनाओं के खदान क्षेत्र के अन्दर से वैरीकेडींग कर सम्पर्क मार्ग बनाकर कोल ट्रान्सपोंटिंग किया जाय तो प्रदूषण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।
- 3- महोदय आपको विदित हो कि डब्लू एच.ओ. द्वारा आ.रो.प्लांट से शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को गलत ठहराया है और इसका मनुष्य के जीवन मे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात भी कही है। वही आपके द्वारा भी पूर्व सिंगरौली परिक्षेत्र के दौरे मे आ.रो.प्लांट न लगाने की बात कही गयी थी फिर भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं द्वारा आ रो. प्लांट अभी भी लगवाया जा रहा है, जबकि हम आप सभी जानते है कि आर.ओ. प्लांट से निकलने वाला वेस्टेज पर्यावरण की दृष्टिकोण से और भी घातक होगा। इसको तत्काल प्रभाव से लगने वाले आर.ओ.प्लांट पर रोक लगायी जाय।
- 4- ग्राम सभाओं एवं नगर पंचायतों में आवंटित करोड़ों रूपये के फंड से जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया हेतू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायं।
- 5- महोदय एन.जी.टी. के द्वारा सिंगरौली परिक्षेत्र के लिए निर्देशित है कि सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन बद किया जाय । इस संदर्भ मे हमारा सुझाव है कि, उद्योगों को विकास के लिए ईधन तो आवश्यक है । तापीय परियोजनाओं को विद्युत उत्पादन के लिए दूर दराज से कायले की आपूर्ती लेनी पड़ती है जिससे निश्चित तौर पर सड़क परिवहन से कोयले की आपूर्ति करनी पड़ती है। सिंगरौली परिक्षेत्र में इतना कोयले का भण्डारण है जिससे देश के कोने कोने तक निर्यात किया जाता रहा है, यदि भारत सरकार एवं राज्य सरकार इस दिशा में ध्यान दे तो स्थानीय कोल परियोजनाओं को उनके आवश्यकतानुसार विद्युत परियोजनओ को कोयले की आपूर्ति मुहैया करायी जाय तो निश्चित ही सड़क से कोल परिवहन बन्द हो जायेगा।

भवदीय,

. रोजा कें

ATIMIT 8154787 75184 NGIT. Enicannet



दावीलप जिनेदन हैं को स्पोर्प ढलाक देने छाछ पंजापट इतरोला (मतत्वदा) भीट मंडोमी गांव कि तार्ग जडीपा, जशहडाँड ज्यारपुट पत्ना का राग हो प्लोशहड जाकी, जाही निक की लप्तस्य) है जिससे विकलंशता वाझाएग, जाहालपन जर्भ होडा काला त्यान की बिकारीण रिता से केल श्ही है

मात! अगंध में माग्रेट ही जो उपरोक्त राज में मापतां हो हेंका दे ह्युहद जलाव्ही काराने की मुपार्की ।



15

BB.

WATER QUALITY ANALYSIS REPORT

÷ 1

Registration Number : S/19082

Samp Samp	Sample collected and analysed on (April 2017													
<u>Sam</u>	S.N Sample Location GPS POINT Parameters													
	Sample	Location	Longitude	Latitude	Elevation	pH	TDS	F	Fe					
1	WELL	Ramvriksh	24 ⁰ 11'37.0"	083 ⁰ 09'14.6"	271	7.6	(ppm) 348	(mg/l) 2.3	(mg/l) BDL					
2	HP(2)	Raamsundar	24°11'32.9"	083°09'11."	270	7.1	403	3.3	BDL					
3	HP(3)	Jaimangal	24 ⁰ 11'33.4"	083 ⁰ 08'11".9	269	7.5	241	2.78	0.6					
4	WELL (4)	Kariraam	24 ⁰ 11'28.2"	083 ⁰ 08'56.5"	269	7.8	478	1.95	0.1					
5	HP(5)	Ram Singh	24 ⁰ 11'25.9"	083 ⁰ 08'57.9"	270	7.5	262	2.42	0.2					
6	HP(6)	Kishdhan (Dhaikar Basti)	24 ⁰ 11'10.4"	083 ⁰ 08'52.8"	278	7.8	502	3.32	BDL					
7	DAM (7)	Jharo	24 ⁰ 11'14.5"	083 ⁰ 08'45.9"	269	9.7	235	2.93	BDL					
8	HP(8)	Thakuritola- School	24 [°] 11'47.3"	083 ⁰ 08'41.7"	282	7.3	348	6.57	BDL					
9	HP(9)	Jharokal- Primary School	24 ⁰ 10'54.4"	083 ⁰ 09 ⁰ 1.5	275	7.6	442	3.54	0.2					
. 10	WELL (10)	Ramroop	24 ⁰ 10'55.6"	083 ⁰ 08'51.7	276	7	422	2.11	0.1					
11	HP(11)	Upedra Doctor	24 ⁰ 10'57.4"	083°08'48.7	281	7.1	472	1.67	0.3					
12	HP(12)	Jharokala- Panchayat	24 ⁰ 10'50.0"	083 ⁰ 08'33.2	286	7.4	507	3.87	0.2					
13	HP(13)	Suraj Bali	24 ⁰ 10'46.7"	083008'10.3	292	7	480	2.85	BDL					
			BIS:10500			6.5- 8.5	500 ppm	1.5 mg/l	0.3 mg/l					
- CON	IPOSITE -	SAMPLE:												

como	JIL DAUL DE.						
S.N	Composite sample	Village	рН	TDS (ppm)	F (mg/l)	Hg (µg/l)	As (µg/l)
1	JH-1 HP	JHAROKALA	7.9	471	2.68	BDL	7
2	JH-2 W	JHAROKALA	8.2	407	1.43	BDL	5
	BIS:10500		6.5-8.5	500 ppm	1.5 mg/l	1 це/I	10 ця/I

Abbreviations used: m=meter; TDS=Total Dissolved Solids; F=Flouride; Fe= Iron; ppm= Parts per million; As=Arsenic BDL=Below Detectable Limit; mg/l= milligram per liters µg/l=microgram per Liter; Hg=Mercury;

Checked By:

Dr. Anil Gautam

Research Headquarters.

653, Indira Nagar,

Dehra Doon-248 006

Tel: (0135) 2763649 Fax: (0135) 2763368 E-mail: psiddoon@gmail.com

WATER QUALITY ANALYSIS REPORT

SCIEN CA

P5

Registration Number : S/19082

Sample received from: Baraidad Sample collected and analysed on : April,2017

S. N	Sampl e	Location	GPS P	OINT	Elevation (m)		Param	eters	
			Longitude	Latitude		рН	TDS (ppm)	F (mg/ l)	Fe (mg/ l)
1	BD- HP1	YAMUNA YADAV- PRADHAN	24°08'56.9"	082°57'59.2"	325	7	363	4.88	BDL
2	BD- W1	DINESH KUMAR	24°08'52.0"	082°57'59.8"	318	7.5	496	4.64	BDL
3	BD- W2	VINOD'S HOUSE	24°09'07.1"	082°57'12.4"	306	8.2	284	4.9	BDL
4	BD- HP2	PRIMARY SCHOOL- PADRI	24°09'12.9"	082°57'09.8"	313	7.6	485	4.53	1.9
5	BD- W3	DINESH+BIREN KISHWAR	24°09'11.2"	082°57'03.8"	292	7.2	427	4.74	BDL
6	BD- HP3	SHIV TEMPLE	24º08'50.8"	082°58'02.2"	315	7.4	533	9.94	BDL
7	BD- HP4	KISHAN HOUSE	24°08'37.2"	082°58'16.4"	316	7.2	3 05	6.71	BDL
		BIS:1		6.5- 8.5	500 ppm	1.5 mg/l	0.3 mg/l		

COMPOSITE SAMPLE:

S.N	Composite Sample	Village	pH	TDS (ppm)	F (mg/l)	Hg (µg/l)	As (µg/l)
1	BD-1 HP	BARAIDAD	7.6	455	5.62	0.6	3
2	BD-2 W	BARAIDAD	7.9	461	4.36	0.5	7
	BIS:10500		6.5-8.5	500 ppm	1.5 mg/l	1 μg/l	10 µg/l

Abbreviations used:

m=meter;TDS=Total Dissolved Solids;F=Flouride;Fe= Iron;ppm= Parts per million;BDL=Below Detectable Limit;mg/l= milligram per liters; $\mu g/l=microgram per Liter;$ Hg=Mercury;As=Arsenic

Checked by:

Dr. Anil Gautam

WATER QUALITY ANALYSIS REPORT

Registration Number : S/19082

Sample received from: Raspahari Sample collected and analysed on

C

S.N	Sample	Location	GPS	POINT	Elevation (m)		Parar	neters		
			Longitude	Latitude		pH	TDS (ppm)	F (mg/l)	Fe (mg/l)	
1	RSP-HP1	Bodhan's House	24°09'36.3"	083°03'19.7"	330	6.7	445	1.71	BDL	
2	RSP-W1	Arjun Singh	24°09'39.5"	083°03'21.04"	328	7.4	396	3.15	0.2	
3	RSP-HP2	Jansor Khadhan Tola	24°09'01.4"	083°03'25.4"	352	7.1	402	2.81	BDL	
4	RSP-W2		24°09'02.1"	083°03'31.8"	343	7.2	442	1.52	BDL	
5	RSP-HP3	Panchayat Bhawan	24°09'13.3"	083°03'49.6"	338	7.4	395	5.77	0.1	
6	RSP-W3(KOCHA)	Rajman's House	24°09'15.9"	083°03'48.0"	335	7.6	421	1.83	BDL	
7	RSP-HP4	Near Shivdas House	24°09'35.4"	083°04'06.5"	339	7.5	364	1.87	0.4	
8	RSP-HP5	Harishankar Mishra	24°09'28.1"	083°04'13.8"	339	6.9	324	1.85	BDL	
9	RSP-HP6	Budhai House	24°09'46.1"	083°04'26.1"	316	6.8	483	1.08	BDL	
10	RSP-HP7	Ramkishore House	24°09'50.5"	083°04'01.5"	328	7	778	1.47	BDL	
11	RSP-W4	Shiv Prasad	24°09'50.3"	083°03'58.5"	320	7.3	664	1.7	BDL	
12	RSP-HP8		24°09'58.9"	083°04'14.9"	313	6.9	477	1.37	0.2	
	BIS:10500 6.5-8.5 500 1.5 0.3 ppm mg/l mg/l									

COMPOSITE SAMPLE:

S.N	Composite sample	Village	рH	TDS (ppm)	F (mg/l)	Hg (µg/l)	As (µg/l)
1	RP-1 HP	RASPAHARI	7.7	532	2.56	4.5	16
2	RP-2 W	RASPAHARI	7.4	500	1.96	0.9	13
	BIS:10500		6.5-8.5	500 ppm	1.5 mg/l	1 µg/l	10 ug/l

Abbreviations used:

m=meter; TDS=Total D BDL=Below Detectable Limit; Hg=Mercury; As=Arsenic TDS=Total Dissolved Solids; F=Flouride; Fe= Iron; ppm= Parts per million; etectable Limit; mg/l= milligram per liters $\mu g/l=$ microgram per Liter;

Checked by:

Dr. Anil Gautam

Research Headquarters. 653, Indira Nagar, Dehra Doon-248 006



Tel: (0135) 2763649 Fax: (0135) 2763368 E-mail: psiddoon@gmail.com

WATER QUALITY ANALYSIS REPORT

Registration Number : S/19082

Sample received from: Pipari Sample collected and analysed or

S. N	Sample	Location	GPS POINT Elevatio (m)				Para	neters			
			Longitude	Latitude		pН	TDS (ppm)	F (mg/l)	Fe (mg/l)		
1	TW(92)	Ro-Mayaram House(After Filter)	24°12'.084"	082°51'.855"	293	7.5	68	2.56	0.2		
2	TW(93)	Ro-Mayaram House(Before Filter)	24°12'.084"	082°51'.855"		7.5	262	1.82			
3	HP(94)	Brahmnarayan Singh	24º12'.037"	082°51'.611"	291	7.2	262	2.86			
4	HP(95)	Mandhari House	24°12'.002"	082°51'.122"	276	7.3	361	1.37			
5	HP(96)	Pradhan House	24°12'.309"	082°50'.511"	282	7.4	345	3.86			
6	HP(97)	High Primary School	24°12'.210"	082°49'.975"	283	7.4	342	1.58			
7	HP(98)	Arjun	24º12'.321"	082°49'.823"	300	6.8	213	4.12			
8	RO(99)	Ro Plant-Tw	.24°12'.357"	082°49'.300"	277	7.4	115	4.8			
9	HP(100)	Babuli-Raasamen	24°12'.215"	082°49'.578"	276	7,5	395	4.12			
10	WELL (101)	Rajkumar	24°12'.483"	082°49'.418"	282 -	7.4	467	1.96			
11	HP(102)	Mahadev	24°12'.518"	082°49'.346"	282	7	537	2.18			
12	WELL (103)	Mahavir	24°12'.494"	082°49'.342"	281	7.5	464	1.59			
	BIS:10500 6.5- 500 1.5 0.3 8.5 ppm mg/l mg/l										

COMPOSITE SAMPLE:

S.N	Composite Sample	Village	pH	TDS (ppm)	F (mg/l)	Hg (µg/l)	As (µg/l)
1	PS-1 HP	PIPARI	7.2	348	2.81	1	18
2	PS-2 W	PIPARI	7.6	543	3.92	1	26
	BIS:10500		6.5-8.5	500 ppm	1.5 mg/l	1 μg/l	10 µg/l

Abbreviations used:

m=meter; TDS=Total Dissolved Solids; F=Flouride; Fe= Iron; ppm= Parts per million; Hg=Mercury; BDL=Below Detectable Limit; mg/l= milligram per liter; $\mu g/l=microgram per Liter; As=Arsenic$

Checked By:

WATER QUALITY ANALYSIS REPORT

Registration Number : S/19082

Sample received from: Rantola Sample collected and analysed on : April.2017

Ó

Dai	ample concetted and analysed on . //pin.2017											
S. N	Sample	Location	GPS	POINT	Elev ation (m)		Param	eters				
			LONGITU DE	LATITUDE		pН	TDS (ppm)	F (mg /l)	Fe (mg /l)			
1	HP	Ashram Mod	24°10'48.5"	083°05'19.8"	344	6.7	800	1.16	0.3			
2	WELL	Under Rantola Gate	24°10'48.2"	083°05'17.8"	333		DR	Y				
3	HP	Near The Well	24°10'48.6"	083°05'17.1"	336	7	716	1.45	0.1			
4	HP	In School(Middle)	24°12'23.3"	083°06'00.2"	320	6.3	317	1.26	BD L			
5	HP	Near Pond	24°12'21.2"	083°06'02.6"	317	68	225	2.26	0.3			
6	WELL	Near Bifal House	24º12'33.6"	083°06'05.6"	316	6.6	182	1.11	BD L			
• 7	TW	Babulaal	24°12'36.1"	083°06'22.8"	316	6.9	212	1.28	BD L			
8	HP .	Near Raamsundar House	24°12'37.3"	083°06'24.5"	321	6.5	281	1.56	1.3			
9	WELL	Heeralaal House	24º12'26.2"	083°05'57.1"	315	6.9	221	1.25	BD L			
10	TW(FILTER PLANT)	Katauli Tiraha	24°12'27.8"	083°05'40.2"	329	6.4	206	0.90 2	BD L			
11	HP	Near Sunil House	24º12'14.8"	083°05'35.3"	311	6.7	280	1.5	BD L			
12	HP	Near Shri Goving House	24°12'06.0"	083°05'36.1"	295	7.2	367	1.31	BD L			
13	HP	Near Lakshandhari House	24°12'05.1"	083°05'58.2"	315	7	531	1.39	BD · L			
14	HP	Near Chhannuraam House	24°11'58.4"	083°05'56.2"	319	6.7	251	0.96 2	0.2			
15	HP+TW	In Pradhan House	24°10'49.6"	083°305'15.9'	317	7.1	397	2.52	0.4			
16	HP	Myorpur-Manrahvan Tola	24°10'56.4"	083°04'50.0"	325	7	395	1.1	0.2			
	BIS:10500 6.5- 500 1.5 0.3 mg/ mg/ l l											



COMPOSITE SAMPLE:

S.N	Composite sample	Village	pН	TDS (ppm)	F (mg/l)	Hg (µg/l)	As (µg/l)
1	RT-1 HP	RANTOLA	7.6	719	1.75	1.3	15
2	RT-2 WELL	RANTOLA	7.6	302	1.62	1.4	7
	BIS:10500		6.5-8.5	500 ppm	1.5 mg/l	1 μg/l	10 µg/l

Abbreviations used: m=meter; TDS=Total Dissolved Solids; F=Flouride; Fe= Iron; ppm= Parts per million; Hg=Mercury; BDL=Below Detectable Limit; mg/l= milligram per liters; µg/l=microgram per Liter; As=Arsenic

Checked By:

Dr. Anil Gautam





अ. भा. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं विकास समि

एस. के. गौतम अध्यक्ष पता: गुरूद्वारा रोड, बीना, पो.-बीना जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन-231 220 मोबाइल : 9407040776 मेल : skgautam08@gmail.com

चेयर मैन⁄सदस्य एनजीटी कोर कमेटी कैम्प सिंगरौली

महोदय.

मै आपका ध्यान निम्नि विन्दुओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

- 1. एनसीएल सिंगरौली को निर्देशित करें कि उनकी कोयला खदानों से निकलने वाले पानी के बहाव के हर नाले पर दो से तीन चैक डैम निर्माण कर यह सुनिश्चित करें कि किसी हाल में खदान से बहने बाला जल रिहन्द डैम में प्रदृशित होकर न जाये। इसके अतिरिक्त जिन खदानों से संभव हो तो नहर का निर्माण कर आसपास के किसानों को यह पानी सिंचाई हेत् उपलब्ध कराया जाय।
- 2. एनसीएल एवं एनटीपीसी को निर्देशित करें कि 20 किमी की परिधि में स्थित ग्रामों में फलदार पौधों जैसे आम,अमरूद,जामुन इत्यादि का बितरण निःशुल्क करायें तथा पेंड लगाने वाले व्यक्ति को तीन वर्श तक प्रति पेंड 500 रूपए अनुदान उस पेंड की देखभाल के लिए दिया जाय।
- 3. आईआईटी बीएचय वाराणसी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी एण्ड रिसोर्स डवलपमेंट में एनसीएल सीएमडी को दिनांक 13.12.2014 को कार्बन इमीशन पर एक शोध केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु पत्र दिया था जिससे कोयला खदानों एवं पावर प्लांट में निकलने वाली गैसों से भारी मात्रा में कार्बन गैसों के उत्सर्जन को कम किये जाने हेतू विस्तार से समझाया था। लेकिन जाने किस भय से एनसीएल ने यह शोध केन्द्र खोले जाने हेतू मना कर दिया कि यह एनटीपीसी से संबंधित मामला है। अतः आप एनटीपीसी एवं एनसीएल सिंगरौली को निर्देशित करें कि आईआईटी बीएचयू के साथ दोनों प्रतिश्ठान चर्चा कर शोध केन्द्र खोले जाने हेतू स्वीकृति प्रदान करें।
- 4. एनसीएल कालोनियों एवं मुख्य मार्ग पर ज्यादातर अवैध कब्जे से बनाये गये होटल,गुमती,ढावा तथा एनसीएल की जमीनों में बसी अवैध कालोनियों में रेल्वे से जाने वाले कोयले को उतार कर उसको जलाया जाता है जो एक सबसे बड़ा इस क्षेत्र में प्रदुशण का कारण है। इस संबंध में सुझाव है कि एनसीएल जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत इन लोगों को रसोई गैस कनेक्सन दिया जाय। तथा कोयला जलाना पूर्णतः हर हाल में प्रतिबंधित हो।
- 5. रिहन्द डैम के जल की जांच हेतू इंडियन हाइडोलाजिकल संस्थान रूड़की को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाय। और उसके द्वारा प्राप्त डेटा के अनुसार कार्यवाही की जाय।
- 6. सिंगरौली परिक्षेत्र में आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित आनलाइन पॉलूसन मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित किये जायें।
- 7. एन. सी- एक. धारपी जनाया में मोलर हम टाप प्लान लगाय दिनांक

8 1 2018

ਮਰਟੀয 911/18 5 00 एस.के.गौतम

To, Date: 13/12/2014

The CMD NCL, Singrauli

Subject: Proposal for setting up a Carbon Emission Research Centre at NCL Singrauli

Dear Sir,

It gives me immense pleasure to write this email to apprise you about activities of our centre; CERD, IIT(BHU), Varanasi. One of the thrust areas of our centre is carbon emission, capture and storage and work is being undertaken presently in CERD, IIT (BHU) in this area. The following objectives have been identified for research;

1. CO2 emissions need to be assessed as a resource along with the coal and power output for its sustainability and conservation. The excess CO2 in the atmosphere which is not utilised may be linked to the carbon grid networks (centre as well as state) and thus to be used for many purposeful industrial option in a sustainable, efficient, and cost effective manner on a long term basis. Sustainable management of CO2 emission offers an alternate source of CBM exploration in the coal mining belts.

2. For sustainable production of energy supply and environmental protection comprehensive plans are to be drawn based on the CO2 hot spot frame work for conservation and management of carbon resources. Due to mining activities resulting into an imbalance in the carbon cycle.

3. CO2 mapping program needs to be taken up to understand and develop a relationship with land and energy resources for assessment, conservation and sustainable management of land and energy resources and their development.

4. Air quality is a major concern of health. Pollution by GHG and other toxic pollutant are prevalent in the coal mining belt and other power plant area which need to be investigated in a planned way by

carrying out systematic analysis of air samples from different type of sources.

In order to develop the capacity in terms of data collection, research and development and human resource to address the present issues pertaining to different aspects of CCS, an Energy Research Cell can be established at NCL Singarauli with collaboration of the CERD, IIT-BHU, Varanasi.

After getting your response, we will send a formal proposal based on input-output and infrastructural support needed for the same.

Hope to hear from you in this matter. Thanking you Best Regards

S.K.Shukla Coordinatior-CERD

Dr.Shailendra Kumar Shukla

Coordinator, Centre For Energy and Resources Development(CERD)

& Associate Professor, Mechanical Engg.Dept.

Indian Institute of Technology(Banaras Hindu University)

Varanasi-221005 , India

JSPS Fellow, Fellow of Institution of Engineers (India) &

Principal Member, MED-39 and MED-04 Sectional Committees,

Bureau of Indian Stanadard (BIS) New Delhi

Email: skshukla.mec@itbhu.ac.in, skshukla.mec@iitbhu.ac.in, shuskla@gmail.com

3

Website: http://www.skshukla.com

Telefax:.91-542-6702825

Mobile:09450011123, 09235791504

98 आप युवा शक्ति, मध्यप्रदेश आवास संदीप शाह शासन, खाद्य गोदाम के पास वैढ़न, सिंगरौली म0प्र0 486886 रीवा जोन प्रभारी आप युवा शक्ति (म०प्र०) मो0नं0-91-8889552864 सेवा है, भी मार इत्यास प्रवस्य निर्मेशक नेशनल जीन ट्रियूनल नेई दिखी। विद्यम' - रिलायहरु शास्यन पानर द्वात प्रयुधन के साम्य है। HIMAR - स्वित्रय निर्वेयत देनि रिलायन्स पावर प्लान्ट में रहेश रेडित का राखर आग्रामम के नारगाव रेर रवा, करकोरा आर्ड्स रियल्ड्वा गिरामार्ग्ने उन जोनों में राज्य के क्या युगर दोगाया? हैमर डेमर्ड मासपास के लाम है पास का जुलखुला के नाम बतर दी युक्ती है। गता भी मान भी महरादा देनि इनपहलुको पर लेन्द्र करते हुए दिलामक नज्यती का रेखा उहा कि निर्ध्वाकि फार्जिय Sher Shel

ΤO,

Core committee

For environmental impact assassement

In Singroli area

Subject- Fact finding against the compliance of core committee recomndations

Sir,

We here are submitting our observation and facts from the field against the compliance of the recommdation of core committee chaired by you.

Peoples are facing severe problems of physical and mental health, productivity of vegitation is badly affected.

We request you to visit the affected villages too and give a strict time line for polluters to controle the pollution under the permissible limit and also declair the punishment who will not comply with in time line.

Thanking you

Sincerely Partitionale UP>DONINO Pagaan 277996-9773'



आस्था बहुउद्देशीय निःशक्त कल्याण संस्थान बिजुरी ⁽⁰⁰

प्रधान कार्यालय :- H.NO. 228, माइनस कालोनी बिजुरी, जिला-अनुपपुर (शहडोल) मुख्य कार्यालय :- बहेलिया भाठ, जिला-सतना क्षेत्रीय कार्यालय :- माजन कला, अमलोरी मोड़ के पास, जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

-: अध्यक्ष :-पुज्य ब्युक्ता श्रीमती सुनीता रामा मो. 8889288494 २१४२ २४७७४६

(पंजी०क्र० 05/48/02/06679/06)

-: **अचिख** :-कुमारी अन्नु पटेल

9074536159 . Email : annupatel2014@gmail.com

दिनांक.<u>9/.१./.१</u>8..

чліа.1.6/.АВИК6/17-18

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष प्रबंधक महोदय

एनजीटी नई दिल्ली

विषय-- रिलायन्स के कन्वेयर बेल्ट से होने वाने प्रदूषण एवं एस्सार कम्पनी के कोल टासपोर्ट से होने वाले

सड़क दुर्घटना के संबंध में।

मान्यवर—

विषयार्न्तगत लेख है कि सिंगरौली जिले में प्रदूषण एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर निम्नलिखित

बिन्दुओं पर आपका ध्यान केन्द्रीत कराना चाहती हूँ।

- 1. यह कि रिलायन्स कन्वेयर बेल्ट से होने वाले प्रदूषण के कारण कई गांव जैसे अमलोरी,हिर्रवाह,सासन,सिद्धीखुर्द,शिवपहरी आदि गांव प्रभावित हो रहे हैं। जिसके कारण ग्राम एवं नगरवासियों में बहरापन,मानसिक तनाव एवं गर्भवर्ती स्त्रियों,बच्चों एवं समस्त रहवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो कि एक दयनीय स्थिति है
- 2. यह कि रिलायन्स कन्वेयर बेल्ट से होने वाले वायुं प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रत्रिका समाचार पत्र में 18 सितम्बर 2016 को इस संबंध में प्रकाषित किया गया था फिर भी आज दिनांक तक कम्पनी प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही चंही की गई जबकि वहां के रहवासियों की स्थिति एक समान व्यक्ति के प्रतिकूल है। एवं रिलायन्स कम्पनी के सैकड़ो एकढ जमीन खाली पड़ी है जिसमें कोई भी प्लांटेशन एवं कम्पनी के विस्तार का कोई प्रस्ताव नही है जिसमें प्लांटेशन कराया जाय जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे।
- 3. यह कि एस्सार पावर प्लांट बंधौरा में लगातार हो रहे कोल टांसपोर्ट के कारण कई सड़क हादसे हो चुके हैं जिनमें अब तक सैकड़ो जान जा चुकी हैं लेकिन एस्सार पावर प्लांट प्रबंधक द्वारा एनजीटी के आदेश के बाद भी कोल टांसपोर्ट किया जा रहा है।

भवदीय

ंअन्नू पटेल

Anny

Mob.: 7509999581 : 9826515469 E-mail : aamadmipartysingrauli@gmail.com



आम आदमी पार्टी जिला इकाई सिंगरौली जिला : सिंगरौली (म.प्र.)

प्रधान कार्यालय : माजन मोड़, पेट्रोल पम्प के पास, जिला- सिंगरौली (म.प्र.) 486 886

чята: Эл Эл ЧТ /17-18/035

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष प्रबंध निदेशक

नेशनल ग्रीन टब्यूनल नई दिल्ली

े विषय— गोपद नदी के बांध पर जालपानी गांव में डैम बनाने पर 62 आदिवासी गांव का अस्तित्व खतरे में तथा जेपी मझौली का ओवर वर्डेन से मनिहारी गांव में कठौता काचन नदी का अस्तित्व खतरे के संबंध में

महोदय,

सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के आदेशानुसार महान कोल ब्लाक रिजर्व जंगल में होने के बजह से निरस्त कर दिया गया था परन्तु उन्ही रिजर्व जंगल में सुलियरी कोल माइंस खोला जा रहा है और गोपद नदी के जालपानी गांव में डैम को बांधने का प्रस्ताव आया है जिसमें आदिवासियों के लगभग 62 गांव एवं रिजर्व जंगल का अस्तित्व खतरे में है जिससे सिंगरौली एवं आसपास के मौसम पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है एवं जेपी मझौली द्वारा कोयले का ओवर वर्डेन मनिहारी गांव में काचन नदी को पाटने में किया जा रहा है जिससे आसपास के गांव में पानी का जल स्तर नीचे चले जाने का खतरा है एवं किसानों को सिंचाई के लिए पानी भविष्य में उपलब्ध नही हो पायेगा।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि दोनो मुख्य विन्दुओं को जांच कर रोकने का प्रयास करें अन्यथा विषुबत रेखा पर स्थित जंगलो का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। जिसका असर पूरे हिन्दुस्तान के बातावरण पर पडेगा।

strants of

जिला संयोजक आम आदमी पार्टी

8/Jan/18

102

टोम का दोरा जहा-2 जास है

(1) बार्लपानला (3000) (2) शानपुर लियाईक (स090) (3) अस स्टेंण्ड शान्तिनगर (3) (4) ऐस प्राईक शान्तिनगर (3) (4) ऐस प्राईक (2) (5) जपन्त-सोर्या रोंग्र (स090) (5) जपन्त-सोर्या रोंग्र (स090) (6) बर्ज्या न वेन्द्रींस रांग्र (30) (4) जाग्ना (4)

> महादय इन साम जगहों पर सवसे आहा 'हाराल नर की' है मन्नदी मिन्दन हैं 'कि इन जगहों' का दोराल नर की' के मन्नदी मिन्दा हैं 'कि इन को हैं के कि तो प्रायत की प्रायत की प्रायत की का परिवहन जारी हैं। एनको की सारक को के प्रायत की हो? जारी हैं। एनको के जगदेगी सिंगदेगी हिंगद की लग प्रायत्नी का स्वाय की एकरीकी सी स्विन्दन की जाद का प्रायत्नी का स्वाय प्रायत्नी का स्वाय प्रायत्नी की का स्वाय प्रायत्नी की प्रायत्वी स्वाय प्रायत्नी की जादात्ना ही स्वाय ना ही स्वाय ना ही स्वाय को की की स्वायत्वी की प्रायत्वी सी स्वाय की की का जयत्वाय ना ही स्वाय की स्वाय की स्वाय

स्विमीत योंदे पताः भरस्वार् -116 भार्मनगर (३०५०) भार्मनगर (३०५०)



(Founded on 28 October 1950 in New DeBi and registered as trade union) Registration No. 1992 Add. : B-1, Vikram Neger, Kota Feroz Shah, Sahadur Shah Zafar Marg, New Delh-110002

President : B.V. Malfikerjunaiah Secy. Gen., Parmanand Pandey Treasurer : Rinku Yadav Ph., 011-23701338, Fax : 011-23701337 Mobile : 09868553507, 09871328595 E-mail : Ifwj.ifwj@gmail.com 103

Date 3-1-18

W.C.Nember Sanjay Dwivedi

Mobile : 07007227043 E-mail : sanjaydrivedi@gmail.com

WC- 323

सेवा में, श्रीमान डा॰ तपन चकवर्ती विश्वेसरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी (एन.आई.टी.) नागपुर

महोदय,

आप को अवगत कराना चाहता कि सिंगरौली परिक्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय।

- 1- एन.सी.एल. द्वारा दिये गये जनपद सोनभद के डी.एम.एफ. फन्ड में पड़े करोड़ों रूपयों का उपयोग प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हाथीनाला से शक्ति नगर तक बने सडक का चौड़ीकरण एवं किनारे पटरियों को इंटरलाकिंग किया जाय तो काफी हद तक दुर्घटनाओं के साथ —साथ सड़क परिवहन से हो रहे प्रदूषण से निजात दिलाया जा सकता है।
- 2- एन.सी.एल.की अमलोरी, जयन्त, निगाही, दुद्धीचुआ, खड़ियां, कृष्णशीला, बीना एवं ककरी परियोजनाओं के खदान क्षेत्र के अन्दर से वैरीकेडींग कर सम्पर्क मार्ग बनाकर कोल ट्रान्सपोंटिंग किया जाय तो प्रदूषण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।
- 3- महोदय आपको विदित हो कि डब्लू एच.ओ. द्वारा आ.रो.एलंट से शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को गलत ठहराया है और इसका मनुष्य के जीवन मे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात भी कही है। वही आपके द्वारा भी पूर्व सिंगरौली परिक्षेत्र के दौरे मे आ.रो.एलंट न लगाने की बात कही गयी थी फिर भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं द्वारा आ. रो. एलंट न लगाने की बात कही गयी थी फिर भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में परियोजनाओं द्वारा आ. रो. एलंट अभी भी लगवाया जा रहा है, जबकि हम आप सभी जानते है कि आर.ओ. एलंट से निकलने वाला वेस्टेज पर्यावरण की दृष्टिकोण से और भी घातक होगा। इसको तत्काल प्रभाव से लगने वाले आर.ओ.एलंट पर रोक लगायी जाय।
- 4- ग्राम सभाओं एवं नगर पंचायतों में आवंटित करोड़ों रूपये के फंड से जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया हेतू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायं।
- 5- महोदय एन.जी.टी. के द्वारा सिंगरौली परिक्षेत्र के लिए निर्देशित है कि सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन बंद किया जाय । इस संदर्भ में हमारा सुझाव है कि, उद्योगों को विकास के लिए ईधन तो आवश्यक है । तापीय परियोजनाओं को विद्युत उत्पादन के लिए दूर दराज से कायले की आपूर्ती लेनी पड़ती है जिससे निश्चित तौर पर सड़क परिवहन से कोयले की आपूर्ति करनी पड़ती है। सिंगरौली परिक्षेत्र में इतना कोयले का भण्डारण है जिससे देश के कोने कोने तक निर्यात किया जाता रहा है, यदि भारत सरकार एवं राज्य सरकार इस दिशा में ध्यान दे तो स्थानीय कोल परियोजनाओं को उनके आवश्यकतानुसार विद्युत परियोजनओ को कोयले की आपूर्ति मुहैया करायी जाय तो निश्चित ही सड़क से कोल परिवहन बन्द हो जायेगा।

भवदीय. admine 14